षोडश माला, खंड 2, अंक 1

सोमवार, 7 जुलाई, 2014
16 आषाढ़, 1936 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 94
Dated 10 April 2018

(खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : एक सौ पन्द्रह रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. श्रीधरन
महासचिव
लोक सभा

प्रभा सक्सेना
संयुक्त सचिव

ऊषा जैन
निदेशक

अजीत सिंह यादव
अपर निदेशक

इन्दु बख्शी
सम्पादक

अन्जु मीणा
सहायक सम्पादक

© 2014 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए क पया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीक ति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 2, दूसरा सत्र, 2014/1936 (शक)

अंक 1, सोमवार, 07 जुलाई, 2014/16 आषाढ़, 1936 (शक)

विषय	कॉलम
सोलहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची	(i)-(ix)
लोक सभा के पदाधिकारी	(xi)
मंत्रिपरिषद्	(xii-xiv)
राष्ट्रगान	1
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1
मंत्री का परिचय	1
निधन संबंधी उल्लेख	2-3
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 2	3-16
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 3 से 20	16-87
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 66	87-212
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
(एक) ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान सी-23 का सफल प्रक्षेपण	211-212
(दो) सुश्री सायना नेहवाल, श्री पंकज आडवाणी और श्री जीतू राय को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए बधाई	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	212-213
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2014 और अध्यादेश के संबंध में वक्तव्य	215
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) मध्य प्रदेश में जबलपुर की बरगी बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजनाओं की स्कीम में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री गणेश सिंह	216
(दो) राजस्थान के जालौर और सिरोही जिलों में सिंचाई और पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए माही बजाज परियोजना को शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री देवजी एम. पटेल	217
(तीन) केन-बेतवा नदी सम्पर्क परियोजना का कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता	
डॉ. वीरेन्द्र कुमार	217

विषय **कॉलम**

(चार) बरौनी तेलशोधक कारखाने के लिए पुनरुद्धार पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

डॉ. भोला सिंह 218

(पांच) झारखंड के पलामू में उत्तर कोयल जलाशय तथा बांध परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील कुमार सिंह 218

(छह) देश में रोजगार सृजन के लिए पशुपालन को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल 219

(सात) उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति में सुधार लाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बिका पाल 219

(आठ) राजस्थान के पाली जिले में स्थित बांदी नदी और नेहडा बांध को प्रदूषण मुक्त बनाने के उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.पी. चौधरी 220

(नौ) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीवर लाइन डाले जाने की आवश्यकता

साध्वी निरंजन ज्योति 220

(दस) बिहार के पटना में महात्मा गांधी सेतु तथा मोकामा में राजेन्द्र रोड पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही की अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रमा देवी 221

(ग्यारह) देश के तटीय क्षेत्रों, विशेषकर केरल में रह रहे लोगों को सुरक्षित पेयजल, साफ-सफाई तथा शौचालय सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन 221

(बारह) तमिलनाडु में तिरुवन्नमलाई जिले के मिशेनगाम गांव स्थित बीज फार्म को कार्यशील बनाने तथा इस क्षेत्र में एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती आर. वनरोजा 222

(तेरह) खाद्यान्नों, उर्वरकों, चीनी तथा सीमेंट की पैकिंग के लिए जूट बैग के कोटे को बहाल किए जाने की आवश्यकता

प्रो. सौगत राय 223

विषय	कॉलम
(चौदह) ओडिशा में पारादीप स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी द्वारा महानदी के संतारा क्रीक में औद्योगिक अपशिष्टों के प्रवाह को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता	
डॉ. कुलमणि सामल	223
(पंद्रह) महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां पर्याप्त पर्यटन सुविधाओं को विकसित किए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रकांत खैरे	224
(सोलह) केरल में पालक्काड रेलवे जंक्शन के पास स्थित समपार पर एक सड़क उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री एम.बी. राजेश	225
(सत्रह) महाराष्ट्र के पुणे में स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला के परिसर में पेड़ों की कटाई को रोके जाने की आवश्यकता	
श्रीमती सुप्रिया सुले	225
(अठारह) बिहार के भागलपुर में रेल मंडल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्री शैलेश कुमार	226
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	231-232
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	232-234
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	235-236
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	235-236

सोलहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

अंगड़ी, श्री सुरेश सी. (बेलगाम)

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र (मेरठ)

अज़मल, श्री बदरुद्दीन (धुबरी)

अज़मल, श्री सिराजुद्दीन (बारपेटा)

अडसुल, श्री आनंदराव (अमरावती)

अधिकारी, श्री दीपक (देव) (घाटल)

अधिकारी, श्री शिशिर कुमार (कांथी)

अधिकारी, श्री सुवेन्दू (तामलुक)

अनन्तकुमार, श्री (बेंगलूरु दक्षिण)

अनवर, श्री तारिक (कटिहार)

अमरप्पा, श्री करादी सनगन्ना (कोप्पल)

अरूणमणिदेवन, श्री ए. (कुड्डालोर)

अली, श्री इदरिस (बसीसरहाट)

अहमद, श्री ई. (मलप्पुरम)

अहमद, श्री सुल्तान (उलुबेरिया)

अहलावत, श्रीमती संतोष (झुंझुनू)

अहलुवालिया, श्री एस.एस. (दार्जिलिंग)

अहीर, श्री हंसराज गंगाराम (चन्द्रपुर)

आजाद, श्री कीर्ति (दरभंगा)

आडवाणी, श्री एल.के. (गांधीनगर)

आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)

इंगती, श्री बिरेन सिंह (स्वशासी जिला)

इन्नोसेन्ट, श्री (चालाकुडी)

इरिंग, श्री निनोंग (अरुणाचल पूर्व)

उटवाल, श्री मनोहर (देवास)

उदयकुमार, श्री एम. (डिण्डीगुल)

उदासि, श्री शिवकुमार (हावेरी)

उद्दीन, श्री तसलीम (अररिया)

उसेंडी, श्री विक्रम (कांकेर)

एन्टोनी, श्री एंटो (पथनमथीट्टा)

एलुमलाई, श्री वी. (अरानी)

एल्लैया, श्री नन्दी (नगर कुरनूल)

ओराम, श्री जुएल (सुंदरगढ़)

ओवैसी, श्री असादूद्दीन (हैदराबाद)

कटारिया, श्री रत्न लाल (अम्बाला)

कटील, श्री नलीन कुमार (दक्षिण कन्नड़)

कठेरिया, डॉ. रामशंकर (आगरा)

करुणाकरन, श्री पी. (कासरगौड)

कर्रा, श्री तारिक हमीद (श्रीनगर)

कलवकुंतला, श्रीमती कविता (निजामाबाद)

कश्यप, श्री दिनेश (बस्तर)

कश्यप, श्री वीरेन्द्र (शिमला)

कस्वां, श्री राहुल (चुरू)

श्री नारणभाई काछड़िया(अमरेली)

कामराज, डॉ. के. (कल्लाकुरिची)

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा (उदुपी चिकमगलूर)

किंजरापु, श्री राम मोहन नायडू (श्रीकाकुलम)

किशोर, श्री कौशल (मोहनलालगंज)

किशोर, श्री जुगल (जम्मू)

कीर्तिकर, श्री गजानन चंद्रकांत (मुंबई उत्तर पश्चिम)

कुंदरिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई (राजकोट)

कुमार, कुंवर सर्वेश (मुदराबाद)

कुमार, डॉ. अरुण (जहानाबाद)

कुमार, डॉ. वीरेन्द्र (टीकमगढ़)

कुमार, श्री अजय (खीरी)

कुमार, श्री अश्विनी (करनाल)

कुमारी, श्री के. अशोक (कृष्णागिरी)

कुमार, श्री कौशलेन्द्र (नालंदा)

कुमारी, श्री धर्मेन्द्र (आंवला)

कुमार, श्री पी. (तिरुचिरापल्ली)

कुमार, श्री बी. विनोद (करीमनगर)

कुमार, श्री शान्ता (कांगड़ा)

कुमार, श्री शैलेश (भागलपुर)

कुमार, श्री संतोष (पूर्णिया)

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह (मंडला)

कुशवाहा, श्री उपेन्द्र (काराकाट)

कुशवाहा, श्री रविन्दर (सलेमपुर)

कैसर, चौधरी महबूब अली (खगड़िया)

कोली, श्री बहादुर सिंह (भरतपुर)

कोश्यारी, श्री भगत सिंह (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर)

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र (सोनपीत)

क्रिष्टप्पा, श्री एन. (हिन्दुपुर)

खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र (गढ़वाल)

खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन (गुलबर्गा)

खन्ना, श्री विनोद (गुरदासपुर)

खाडसे, श्रीमती रक्षाताई (रावेर)

खान, श्री मोहम्मद बदरूद्दोजा (मुर्शिदाबाद)

खान, श्री सौमित्र (बिशनपुर)

खालसा, श्री हरिंदर सिंह (फतेहगढ़ साहिब)

खुबा, श्री भगवंत (बीदर)

खेर, श्रीमती किरण (चंडीगढ़)

खैरे, श्री चन्द्रकांत (औरंगाबाद)

गंगवार, श्री संतोष कुमार (बरेली)

गडकरी, श्री नितिन (नागपुर)

गद्दीगौदर, श्री पी.सी. (बागलकोट)

गल्ला, श्री जैदेव (गुंटूर)

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव (यवतमाल-वाशिम)

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल (अहमदनगर)

गांधी, श्री धर्म वीर (पटियाला)

गांधी, श्री फिरोज़ वरुण (सुल्तानपुर)

गांधी, श्री राहुल (अमेठी)

गांधी, श्रीमती मेनका संजय (पीलीभीत)

गांधी, श्रीमती सोनिया (रायबरेली)

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम (लातूर)

गायकवाड़, प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ (उस्मानाबाद)

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार (नन्दुरबार)

गिरी, श्री महेश (पूर्वी दिल्ली)

गिलुवा, श्री लक्ष्मण (सिंहभूम)

गीत, श्रीमती कोथापल्ली (अराकु)

गीते, श्री अनन्त गंगाराम (रायगढ़)

गुप्त, श्री श्यामा चरण (इलाहाबाद)

गुप्ता, श्री सुधीर (मंदसौर)

गुबाया, श्री शेर सिंह (फिरोजपुर)

गूर्जर, श्री कृष्णपाल (फरीदाबाद)

गोगोई, श्री गौरव (कलियाबोर)

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम (नासिक)

गोपाल, डॉ. के. (नागापट्टिनम)

गोपालकृष्णन, श्री आर. (मदुरै)

गोपालकृष्णन, श्री सी. (नीलगिरी)

गोहेन, श्री राजेन (नौगोंग)

गौड, डॉ. बूरा नरसैय्या (भोंगीर)

गौड़ा, श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे (टुमकुर)

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द (बेंगलूरु उत्तर)

गौतम, श्री सतीश कुमार (अलीगढ़)

घोष, श्रीमती अर्पिता (बालूरघाट)

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया (गौहाटी)

चन्द, श्री निहाल (गंगानगर)

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह (आनंदपुर साहिब)

चन्देल कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह (हमीरपुर)

चन्द्रप्पा, श्री बी.एन. (चित्रदुर्ग)

चन्द्राकाशी, श्री एम. (चिदम्बरम)

चव्हाण, श्री अशोक शंकरराव (नांदेड़)

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र (दिंडोरी)

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी (कच्छ)

चिन्नैयन, श्री एल. सेल्वाकुमार (इरोड)

चुड़ासमा, श्री राजेशभाई (जूनागढ़)

चौटाला, श्री दुष्यंत (हिसार)

चौधरी, कर्नल सोनाराम (बाड़मेर)

चौधरी, श्री अधीर रंजन (बहरामपुर)

चौधरी, श्री ए.एच. खान (मालदा दक्षिण)

चौधरी, श्री जितेन्द्र (त्रिपुरा पूर्व)

चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज)

चौधरी, श्री पी.पी. (पाली)

चौधरी, श्री बाबूलाल (फतेहपुर सीकरी)

चौधरी, श्री बीरेन्द्र कुमार (झंझारपुर)

चौधरी, श्री राम टहल (रांची)

चौधरी, श्री संतोख सिंह (जालंधर)

चौधरी, श्री सी.आर. (नागौर)

चौधरी, श्री हरिभाई (बनासकांठा)

चौबे, श्री अश्विनी कुमार (बक्सर)

चौहान, श्री देवुसिंह (खेड़ा)

चौहान, श्री नन्दकुमार सिंह (खंडवा)

चौहान, श्री पी.पी. (पंचमहल)

छेवांग, श्री थुपस्तान (लद्दाख)

छोटेलाल, श्री (रॉबर्ट्सगंज)

जटुआ, श्री चौधरी मोहन (मथुरापुर)

जयदेवन, श्री सी.एन. (त्रिस्सूर)

जयवर्धन, डॉ. जे. (चेन्नई दक्षिण)

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम (सूरत)

जाट, प्रो. सांवर लाल (अजमेर)

जाधव, श्री प्रतापराव (बुलढाणा)

जाधव, श्री संजय हरिभाऊ (परभणी)

जायसवाल, डॉ. संजय (पश्चिम चम्पारण)

जिगाजिनागि, श्री रमेश (बीजापुर)

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार (बालासोर)

जॉर्ज, एडवोकेट जोएस (इडुक्की)

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर (कानपुर)

जोशी, श्री चन्द्र प्रकाश (चित्तौड़गढ़)

जोशी, श्री प्रहलाद (धारवाड़)

जौनापुरिया, श्री सुखबीर सिंह (टोंक-सवाईमाधोपुर)

ज्योति, साध्वी निरंजन (फतेहपुर)

टम्टा, श्री अजय (अल्मोड़ा)

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमथि (कन्नूर)

टेनी, श्री अजय मिश्रा (खीरी)

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह (हमीरपुर)

ठाकुर, श्री के.के. (बनगांव)

ठाकुर, श्रीमती सावित्री (धार)

डे, डॉ. रत्ना (नाग) (हुगली)

डेका, श्री रमेन (मंगलदाई)

तंबिदुरै, डॉ. एम. (करूर)

तंवर, श्री कंवर सिंह (अमरोहा)

तडस, श्री रामदास सी. (वर्धा)

तराई, श्रीमती रीता (जाजपुर)

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद (जोरहट)

तिर्की, श्री दशरथ (अलीपुर द्वारस)

तिवारी, श्री मनोज (उत्तर पूर्व दिल्ली)

तुमाने, श्री कृपाल बालाजी (रामटेक)

तेली, श्री रामेश्वर (डिब्रूगढ़)

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह (ग्वालियर)

त्रिपाठी, श्री शरद (संत कबीर नगर)

त्रिवेदी, श्री दिनेश (बैकरपुर)

थरूर डॉ. शशि (तिरुवनन्तपुरम)

थॉमस, प्रो. के.वी. (एर्नाकुलम)

दत्ता, श्री शंकर प्रसाद (त्रिपुरा पश्चिम)

दत्तात्रेय, श्री बंडारू (सिकन्दराबाद)

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष (बारासात)

दानवे, श्री रावसाहेब पाटील (जालना)

दिवाकर, श्री राजेश कुमार (हाथरस)

दुबे, श्री निशिकान्त (गोड्डा)

दुबे, श्री सतीश चंद्र (वाल्मीकिनगर)

देव, कुमारी सुष्मिता (सिल्चर)

देव, श्री अर्का केशरी (कालाहांडी)

देव, श्री कलिकेश एन. सिंह (बोलंगीर)

देवेगौडा, श्री एच.डी. (हासन)

देवी, श्रीमती रमा (शिवहर)

देवी, श्रीमती वीणा (मुंगेर)

दोहरे, श्री अशोक कुमार (इटावा)

द्विवेदी, श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश (बस्ती)

धर्मवीर, श्री (भिवानी - महेन्द्रगढ़)

धुर्वे, श्रीमती ज्योति (बैतूल)

धोत्रे, श्री संजय (अकोला)

ध्रुवनारायण, श्री आर. (चामराजनगर)

नगेश, श्री गोडम (आदिलाबाद)

नट्टर्जी, श्री जे.जे.टी. (थूथुकुडी)

नरसिम्हम, श्री थोटा (काकीनाडा)

नाईक, श्री बी.वी. (रायचूर)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (उत्तर गोवा)

नागर, श्री रोड़मल (राजगढ़)

नागराजन, श्री पी. (कोयम्बटूर)

नाथ, श्री कमल (छिंदवाड़ा)

नाथ, श्री चांद (अलवर)

नायक, प्रो. ए.एस.आर. (महबूबाबाद)

निनामा, श्री मानशंकर (बांसवाड़ा)

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल (हरिद्वार)

निषाद, श्री अजय (मुजफ्फरपुर)

निषाद, श्री राम चरित्र (मछलीशहर)

नूर, श्रीमती मौसम (माल्दहा)

नेते, श्री अशोक महादेवराव (गड़चिरोली-चिमुर)

पटेल, डॉ. के.सी. (वलसाड)

पटेल, श्री दिलीप (आनन्द)

पटेल, श्री देवजी एम. (जालौर)

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई (दादरा और नगर हवेली)

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह (दमोह)

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई (दमन और दीव)

पटेल, श्री सुभाष (खरगौन)

पटेल, श्रीमती अनुप्रिया (मिर्जापुर)

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन (मेहसाणा)

पटोले, श्री नाना (भन्डारा-गोंदिया)

पन्नीरसेलवम, श्री वी. (सलेम)

परसुरमन, श्री वी. (तंजावुर)

परस्ते, श्री दलपत सिंह (शहडोल)

पांडा, श्री बैजयंत जे. (केन्द्रपाड़ा)

पाटले, श्रीमती कमला (जांजगीर-चाम्पा)

पाटसाणी, श्री प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटील, श्री ए.टी. नाना (जलगांव)

पाटील, श्री कपिल मोरेश्वर (भिवंडी)

पाटील, श्री भीमराव बी. (जहीराबाद)

पाटील, श्री संजय काका (सांगली)

पाटील, श्री सी.आर. (नवसारी)

पाठक, श्रीमती रीती (सीधी)

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ (चन्दौली)

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह)

पाण्डेय, श्री राजेश (कुशीनगर)

पाण्डेय, श्री हरि ओम (अम्बेडकर नगर)

पार्थिपन, श्री आर. (थेनी)

पाल, श्री जगदम्बिका (डुमरियागंज)

पाल, श्री तापस (कृष्णानगर)

पाला, श्री विनसेंट एच. (शिलौंग)

पासवान, श्री कमलेश (बासगांव)

पासवान, श्री चिराग (जमुई)

पासवान, श्री छेदी (सासाराम)

पासवान, श्री राम चन्द्र (समस्तीपुर)

पासवान, श्री रामविलास (हाजीपुर)

पोद्दार, श्रीमती अपरूपा (आरामबाग)

प्रताप, श्री कृष्ण (जौनपुर)

प्रधान, श्री नागेन्द्र कुमार (संबलपुर)

प्रबाकरन, श्री के.आर.पी. (तिरुनेलवेली)

प्रसाद, डॉ. भागीरथ (भिंड)

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के. (कोल्लम)

फतेपारा, श्री देवजीभाई गोविंदभाई (सुरेन्द्रनगर)

फूले, साध्वी सावित्री बाई (बहराइच)

फैज़ल, मोहम्मद (लक्षद्वीप)

बक्शी, श्री सुब्रत (कोलकाता दक्षिण)

बनर्जी, श्री अभिषेक (डायमण्ड हार्बर)

बनर्जी, श्री कल्याण (श्रीरामपुर)

बनर्जी, श्री प्रसून (हावड़ा)

बनसोडे, एडवोकेट शरद (शोलापुर)

बन्दोपाध्याय, श्री सुदीप (कोलकाता उत्तर)

वर्मन, श्री बिजय चन्द्र (जलपाईगुड़ी)

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद (पोन्नानी)

बहेड़िया, श्री सुभाष चन्द्र (भीलवाड़ा)

बाइटे, श्री थांगसो (बाह्य मणिपुर)

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर (भटिंडा)

बाबू, डॉ. रविन्द्र (अमलापुरम)

बारणे, श्री श्रीरंग आप्पा (मावल)

बाला, श्रीमती अंजू (मिश्रिख)

बालियान, डॉ. संजीव (मुजफ्फरनगर)

बिजू, श्री पी.के. (अलथूर)

बिधूड़ी, श्री रमेश (दक्षिण दिल्ली)

बिरला, श्री ओम (कोटा)

बिश्वास, श्री राधेश्याम (करीमगंज)

बेग, श्री मुजफ्फर हुसैन (बारामुल्ला)

बैस, श्री रमेश (रायपुर)

बोस, प्रो. सुगत (जादवपुर)

बोहरा, श्री रामचरण (जयपुर शहर)

ब्रह्मपुरा, श्री रनजीत सिंह (खडूर साहिब)

भगत, श्री बोध सिंह (बालाघाट)

भगत, श्री सुदर्शन (लोहरदगा)

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई (दाहोद)

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव (धुले)

भारती मोहन, श्री आर.के. (मइलादुथुरई)

भारती, सुश्री उमा (झांसी)

भूरिया, श्री दिलीप सिंह (रतलाम)

भोंसले, श्री छ. उदयनराजे (सतारा)

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह (अकबरपुर)

मंडल, डॉ. तापस (रणघाट)

मणि, श्री जोस के. (कोट्टयम)

मण्डल, श्री सुनील कुमार (बर्धमान पूर्व)

मण्डल, श्रीमती प्रतिमा (जयनगर)

मरगथम, श्रीमती के. (कांचीपुरम)

मराबी, श्री कमल भान सिंह (सरगुजा)

मरुदराजा, श्री आर.पी. (पैरम्बलुर)

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

महतो, डॉ. बंशीलाल (कोरबा)

महतो, डॉ. मृगांका (पुरूलिया)

महतो, श्री विद्युत वरण (जमशेदपुर)

महाजन, श्रीमती पूनम (उत्तर मध्य मुम्बई)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इंदौर)

महाडीक, श्री धनंजय (कोल्हापुर)

महापात्रा, डॉ. सिद्धांत (बरहामपुर)

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी (उन्नाव)

महेंद्रन, श्री सी. (पोल्लाची)

मांझी, श्री हरि (गया)

माझी, श्री बलभद्र (नबरंगपुर)

माडम, श्रीमती पूनमबेन (जामनगर)

मान, श्री भगवंत (संगरूर)

मालवीय, प्रो. चिंतामणि (उज्जैन)

मिश्र, श्री कलराज (देवरिया)

मिश्र, श्री जनार्दन (रीवा)

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद (बांदा)

मिश्रा, श्री अनूप (मुरैना)

मिश्रा, श्री दद्दन (श्रावस्ती)

मिश्रा, श्री पिनाकी (पुरी)

मीणा, श्री अर्जुन लाल (उदयपुर)

मीना, श्री हरीश (दौसा)

मुखर्जी, श्री अभिजित (जंगीपुर)

मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)

मुफ़्ती, कुमारी महबूबा (अनन्तनाग)

मेघवाल, श्री अर्जुन राम (बीकानेर)

मेन्या, डॉ. थोकचोम (आंतरिक मणिपुर)

मोइली, श्री एम. वीरप्पा (चिक्कबल्लापुर)

मोदी, श्री नरेन्द्र (वाराणसी)

मोहन, श्री एम. मुरली (राजामुन्दरी)

मोहन, श्री पी.सी. (बंगलौर मध्य)

मौर्य, श्री केशव प्रसाद (फूलपुर)

यादव, श्री अक्षय (फिरोजाबाद)

यादव, श्री ओम प्रकाश (सीवान)

यादव, श्री जय प्रकाश नारायण (बांका)

यादव, श्री धर्मेन्द्र (बदायूं)

यादव, श्री मुलायम सिंह (आज़मगढ़)

यादव, श्री राम कृपाल (पाटलीपुत्र)

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण (सागर)

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (मधुबनी)

यादव, श्रीमती डिम्पल (कन्नौज)

येदियुरप्पा, श्री बी.एस. (शिमोगा)

रंजन, श्री राजेश (मधेपुरा)

रंजन, श्रीमती रंजीत (सुपौल)

रदाडीया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई (पोरबंदर)

राई, श्री प्रेम दास (सिक्किम)

राऊत, श्री विनायक भाऊराव (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग)

राघवन, श्री एम.के. (कोझीकोड)

राज, डॉ. उदित (उत्तर-पश्चिम दिल्ली)

राज, श्रीमती कृष्णा (शाहजहांपुर)

राजपूत, श्री मुकेश (फरूखाबाद)

राजभर, श्री हरिनारायन (घोसी)

राजा, श्री ए. अनवर (रामनाथपुरम)

राजू, श्री अशोक गजपति (विजियानगरम)

राजू, श्री गोकाराजू गंगा (नरसापुरम)

राजू, श्री सी.एस. पुट्टा (मान्डया)

राजेन्द्रन, श्री एस. (विलुप्पुरम)

राजेश, श्री एम.बी. (पालक्काड)

राजोरिया, डॉ. मनोज (करौली-धौलपुर)

राठवा, श्री रामसिंह (छोटा उदयपुर)

राठौड़, श्री डी.एस. (साबरकांठा)

राठौड़, श्री हरिओम सिंह (राजसमन्द)

राठौर, कर्नल राज्यवर्धन (जयपुर ग्रामीण)

राधाकृष्णन, श्री आर. (पुदुचेरी)

राधाकृष्णन, श्री टी. (विरुधुनगर)

राधाकृष्णन, श्री पोन (कन्याकुमारी)

राम, श्री जनक (गोपालगंज)

राम, श्री विष्णु दयाल (पलामू)

रामचंद्रन, श्री के.एन. (श्रीपेरूम्बुदुर)

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (वडकरा)

रामादोस, डॉ. अंबुमनि (धर्मापुरी)

राय, प्रो. सौगत (दमदम)

राय, श्री नित्यानन्द (उजियारपुर)

राय, श्री बिष्णु पद (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)

राय, श्री रवीन्द्र कुमार (कोडरमा)

राय, श्रीमती शताब्दी (बीरभूम)

राय, श्रीमती संध्या (मेदीनिपुर)

राव, श्री एम. वेंकटेश्वर (इलुरू)

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण (मछलीपटनम)

राव, श्री मुथमसेटी श्रीनिवास (अवंती) (अनाकापल्ली)

राव, श्री रायपति सम्बासिवा (नरसारापेट)

रावत, श्रीमती प्रियंका सिंह (बाराबंकी)

रावत, श्री परेश (अहमदाबाद-पूर्व)

रिओ, श्री नेफिउ (नागालैंड)

रिजीजू, श्री किरेन (अरुणाचल पश्चिम)

रुआला, श्री सी.एल. (मिजोरम)

रूडी, श्री राजीव प्रताप (सारण)

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र (महबूबनगर)

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई. (नन्दयाल)

रेड्डी, श्री कुण्डा विश्वेश्वर (चेवेल्ला)

रेड्डी, श्री गुत्था सुकेंद्र (नलगोन्डा)

रेड्डी, श्री चामाकुरा मल्ला (मलकानगिरी)

रेड्डी, श्री जे.सी. दिवाकर (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास (खम्माम)

रेड्डी, श्री पी.वी. मिदून (राजमपेट)

रेड्डी, श्री मेकापति राज मोहन (नेल्लोर)

रेड्डी, श्री वाई.एस. अविनाश (कडापा)

रेड्डी, श्री वाई.बी. सुब्बा (ओंगोले)

रेणुका, श्रीमती बुत्ता (कुरनूल)

रोड़ी, श्री चरणजीत सिंह (सिरसा)

लखनपाल, श्री राघव (सहारनपुर)

लागुरी, श्रीमती सकुंतला (क्योंझर)

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी (नई दिल्ली)

लोखंडे, श्री सदाशिव (शिर्डी)

वनरोजा, श्रीमती आर. (तिरुवन्नमलाई)

वर्धन, डॉ. हर्ष (चांदनी चौक)

वर्मा, डॉ. अंशुल (हरदोई)

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह (पश्चिमी दिल्ली)

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह (जालौन)

वर्मा, श्री राजेश (सीतापुर)

वर्मा, श्रीमती देव (बकुरा)

वर्मा, श्रीमती रेखा (धौरहरा)

वसन्ती, श्रीमती एम. (तेनकासी)

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई (बारदौली)

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई (भरूच)

वांगा, श्री चिन्तामन नावाशा (पालघर)

वाघेला, श्री एल.के. (पाटन)

विचारे, श्री राजन (ठाणे)

विजय कुमार, श्री एस.आर. (चेन्नई मध्य)

वेंकटेश बाबू, श्री टी.जी. (चेन्नई उत्तर)

वेणुगोपाल, श्री पी. (तिरुवल्लुर)

वेणुगोपाल, श्री के.सी. (अलप्पुझा)

वेलगापल्ली, श्री वाराप्रसाद राव (तिरूपति)

शंकरराव, श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह (माढा)

शनवास, श्री एम.आई. (वयनाड)

शर्मा, डॉ. महेश (गौतम बुद्ध नगर)

शर्मा, श्री राम कुमार (सीतामढ़ी)

शर्मा, श्री राम प्रसाद (तेजपुर)

शर्मा, श्री रामस्वरूप (मंडी)

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी (टिहरी गढ़वाल)

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ (कल्याण)

शिरोले, श्री अनिल (पुणे)

शिवप्रसाद, श्री नारामल्ली (चित्तूर)

शिवाजीराव, श्री आधलराव पाटील (शिरूर)

शेखावत, श्री गजेन्द्र सिंह (जोधपुर)

शेट्टी, श्री गोपाल (मुम्बई उत्तर)

शेट्टी, श्री राजू (हातकणगले)

शेवाले, श्री राहुल रमेश (मुम्बई दक्षिण मध्य)

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी. (भावनगर)

श्रीनिवास, श्री केसिनेनी (विजयवाड़ा)

श्रीराम, श्री मलयाद्रि (बापतला)

श्रीरामुलु, श्री बी. (बेल्लारी)

श्रीहरि, श्री कडियम (वारंगल)

संगमा, श्री पूरनो अगितोक (तुरा)

संघमिता, डॉ. ममताज़ (बर्धमान-दुर्गापुर)

संजर, श्री आलोक (भोपाल)

सत्पथी, श्री तथागत (धेन्कानल)

सत्यबामा, श्रीमती वी. (तिरूप्पुर)

सम्पत, डॉ. ए. (अट्टिंगली)

सरनीया, श्री नव कुमार (कोकराझार)

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द (सीकर)

सरेन, डॉ. उमा (झाड़ग्राम)

सलीम, श्री मोहम्मद (रायगंज)

सांपला, श्री विजय (होशियारपुर)

सातव, श्री राजीव (हिंगोली)

सामल, डॉ. कुलमणि (जगतसिंहपुर)

साय, श्री विष्णु देव (राजगढ़)

सावंत, श्री अरविंद (मुंबई दक्षिण)

सावईकर, एडवोकेट नरेन्द्र केशव (दक्षिण गोवा)

साहू, श्री चंदूलाल (महासमन्द)

साहू, श्री ताम्रध्वज (दुर्ग)

साहू, श्री लखन लाल (बिलासपुर)

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव (गुना)

सिंह, कुंवर भारतेन्द्र (बिजनौर)

सिंह, कुंवर हरिवंश (प्रतापगढ़)

सिंह, कैप्टन अमरिन्दर (अमृतसर)

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार (गाज़ियाबाद)

सिंह, डॉ. जितेन्द्र (उधमपुर)

सिंह, डॉ. नैपाल (रामपुर)

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार (बारगढ़)

सिंह, डॉ. भोला (बेगूसराय)

सिंह, डॉ. यशवंत (नगीना)

सिंह, डॉ. सत्यपाल (बागपत)

सिंह, प्रो. साधु (फरीदकोट)

सिंह, श्री अभिषेक (राजनंदगांव)

सिंह, श्री आर.के. (आरा)

सिंह, श्री उदय प्रताप (होशंगाबाद)

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन (गौंडा)

सिंह, श्री गणेश (सतना)

सिंह, श्री गिरिराज (नवादा)

सिंह, श्री दुष्यंत (झालावाड़-बारां)

सिंह, श्री नागेन्द्र (खजुराहो)

सिंह, श्री पशुपति नाथ (धनबाद)

सिंह, श्री बृजभूषण शरण (कैसरगंज)

सिंह, श्री भरत (बलिया)

सिंह, श्री भोला (बुलंदशहर)

सिंह, श्री रवनीत (लुधियाना)

सिंह, श्री राकेश (जबलपुर)

सिंह, श्री राजनाथ (लखनऊ)

सिंह, श्री राजवीर (एटा)

सिंह, श्री राधा मोहन (पूर्वी चम्पारण)

सिंह, श्री रामा किशोर (वैशाली)

सिंह, श्री राव इंद्रजीत (गुड़गांव)

सिंह, श्री लल्लू (फैजाबाद)

सिंह, श्री वीरेन्द्र (भदोही)

सिंह, श्री सत्यपाल (सम्भल)

सिंह, श्री सुनील कुमार (चतरा)

सिंह, श्री सुशील कुमार (औरंगाबाद)

सिंह, श्री हुकुम (कैराना)

सिंह, श्री हेमेन्द्र चन्द्र (कंधमाल)

सिद्देश्वरा, श्री, जी.एम. (दावनगेरे)

सिन्हा, श्री जयंत (हजारीबाग)

सिन्हा, श्री मनोज (गाजीपुर)

सिन्हा, श्री शत्रुघ्न (पटना साहिब)

सिन्हा, श्रीमती रेणुका (कूच विहार)

सिम्हा, श्री प्रताप (मैसूर)

सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह (महाराजगंज)

सुन्दरम, श्री पी.आर. (नामाक्कल)

सुप्रियो, श्री बाबुल (आसनसोल)

सुमन, श्री बलका (पेड्डापल्ले)

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील (मावेलीक्करा)

सुरेश, श्री डी.के. (बंगलौर ग्रामीण)

सुले, श्रीमती सुप्रिया (बारामती)

सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक)

सेनगुट्टुवन, श्री बी. (वेल्लोर)

सेनथिलनाथन, श्री पी.आर. (शिवगंगा)

सैनी, श्री राजकुमार (कुरूक्षेत्र)

सोनकर, श्री विनोद कुमार (कौशाम्बी)

सोनकर, श्रीमती नीलम (लालगंज)

सोनोवाल, श्री सर्वानन्द (लखीमपुर)

सोमैया, डॉ. किरीट (मुम्बई उत्तर-पूर्व)

सोरेन, श्री शिबु (दुमका)

सोलंकी, डॉ. किरिट पी. (अहमदाबाद)

स्वराज, श्रीमती सुषमा (विदिशा)

स्वाइँ, श्री लडू किशोर (अस्का)

हक, श्री मोहम्मद असरारुल (किशनगंज)

हरि, श्री जी. (अराकोनम)

हरिबाबू, डॉ. कंभमपति (विशाखापटनम)

हांसदा, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज)

हांसदाक, श्री विजय कुमार (राजमहल)

हाजरा, डॉ. अनुपम (बोलपुर)

हीकाका, श्री झीना (कोरापुट)

हुक्केरी, श्री प्रकाश (चिक्कोडी)

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह (रोहतक)

हेगड़े, श्री अनंतकुमार (उत्तर कन्नड़)

हेमामालिनी, श्रीमती (मथुरा)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. एम. तंबिदुरै

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

प्रो. के.वी. थॉमस

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

महासचिव

श्री पी. श्रीधरन

7 जुलाई, 2014

मंत्रिपरिषद्

कैबिनेट मंत्री

श्री नरेन्द्र मोदी	प्रधानमंत्री तथा निम्न मंत्रालयों/विभागों के भी प्रभारी: 1. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय; 2. परमाणु ऊर्जा विभाग; 3. अंतरिक्ष विभाग, और सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आबंटित नहीं किये गये हैं।
श्री राजनाथ सिंह	गृह मंत्री
श्रीमती सुषमा स्वराज	विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री
श्री अरुण जेटली	वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री
श्री एम. वेंकैय्या नायडू	शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री
श्री नितिन गडकरी	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, पोत परिवहन मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायत राज मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री
श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा	रेल मंत्री
सुश्री उमा भारती	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री
डॉ. नज़मा ए. हेपतुल्ला	अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
श्री रामविलास पासवान	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
श्री कलराज मिश्र	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
श्रीमती मेनका संजय गांधी	महिला और बल विकास मंत्री
श्री अनन्तकुमार	रसायन और उर्वरक मंत्री
श्री रवि शंकर प्रसाद	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री
श्री अशोक गजपति राजू	नागर विमानन मंत्री
श्री अनन्त गंगाराम गीते	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	खान मंत्री, इस्पात मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री
श्री जुएल ओराम	जनजातीय कार्य मंत्री
श्री राधा मोहन सिंह	कृषि मंत्री
श्री थावर चंद गहलोत	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी	मानव संसाधन विकास मंत्री
डॉ. हर्ष वर्धन	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री राव इंद्रजीत सिंह	योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री संतोष कुमार गंगवार	वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री श्रीपाद येसो नाईक	संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री धर्मेन्द्र प्रधान	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री सर्वानन्द सोनोवाल	कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री प्रकाश जावड़ेकर	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री पीयूष गोयल	विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री
डॉ. जितेन्द्र सिंह	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री
श्रीमती निर्मला सीतारमण	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री जी.एम. सिद्देश्वरा	नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मनोज सिन्हा	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री निहाल चंद	रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री उपेन्द्र कुशवाहा	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री पोन राधाकृष्णन	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री किरेन रिजीजू	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री कृष्णपाल गूर्जर	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. संजीव बालियान	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा	जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री रावसाहेब पाटील दानवे	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री विष्णु देव साय	खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुदर्शन भगत	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा वाद-विवाद

खंड 2 | सोलहवीं लोक सभा के दूसरे सत्र का पहला दिन | अंक 1

लोक सभा

सोमवार, 07 जुलाई, 2014/16 आषाढ़, 1936 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान की धुन बजाई गई)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

सदस्यों द्वारा शपथग्रहण

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब महासचिव माननीय सदस्यों द्वारा शपथग्रहण या प्रतिज्ञान करने के लिए उनके नाम पुकारेंगे।

महासचिव : श्री प्रकाश बबन्ना हुक्केरी।

1. श्री प्रकाश बबन्ना हुक्केरी (चिक्कोडी) – शपथ – कन्नड़

2. प्रो. सांवर लाल जाट (अजमेर) – उपस्थित नहीं।

पूर्वाह्न 11.01½ बजे

मंत्री का परिचय

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से आपसे वे आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन से अपने मंत्रिपरिषद् के एक सहयोगी का परिचय कराना चाहता हूं:–

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री पीयूष गोयल	विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री

इनका परिचय दिनांक 06.06.2014 को नहीं हो सका था।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यो, मुझे सभा को श्री हरभजन लखा के दु:खद निधन की सूचना देनी है जो नौवीं और ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने पंजाब के फिल्लौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री लखा श्रम और कल्याण संबंधी समिति तथा आवास समिति के सदस्य रहे।

श्री हरभजन लखा का निधन 72 वर्ष की आयु में 11 जून, 2014 को शहीद भगत सिंह नगर, पंजाब में हुआ।

हम श्री लखा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं।

माननीय सदस्यो, 25 जून, 2014 को बिहार के सारण जिले में नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रैस के पटरी से उतर जाने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई तथा अन्य 22 लोग घायल हो गए।

एक अन्य दु:खद दुर्घटना में 27 जून, 2014 को आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले के नगरम के निकट गैस रिसाव के परिणामस्वरूप गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (जीएआईएल) की ट्रंक पाइपलाइन में विस्फोट हो जाने से लगभग 15 लोग मारे गए तथा कई अन्य लोग घायल हुए।

माननीय सदस्यो, 28 जून, 2014 को दिल्ली में जीर्ण-शीर्ण चार मंजिला इमारत के ढह जाने से पांच बच्चे और तीन महिलाओं समेत दस लोगों की मृत्यु हो गई तथा अन्य दो घायल हो गए।

एक अन्य दु:खद दुर्घटना में 28 जून, 2014 को चेन्नई में भारी वर्षा के कारण एक निर्माणाधीन ग्यारह-मंजिला इमारत के ढह जाने से 60 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य लोग घायल हो गए।

यह सभा इन दु:खद दुर्घटनाओं के कारण शोक संतप्त परिवारों को हुए कष्ट और पीड़ा पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है और सभी प्रभावित परिजनों के इस दु:ख से उबरने की कामना करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

तत्पश्चात्, सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 1, श्री हंसराज गंगाराम अहीर।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.06 बजे

इस समय श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, श्री कल्याण बनर्जी, श्रीमती कविता कलवकुंतला, श्री धर्मेन्द्र यादव, श्री राजेश रंजन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

पेट्रोल में इथनॉल मिलाया जाना

***1. श्री हंसराज गंगाराम अहीर :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल/डीजल में इथनॉल मिलाए जाने की अनुमति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न पक्षों से पेट्रोल में इथनॉल मिलाने की अनुमेय प्रतिशतता/मात्रा में वृद्धि किए जाने की मांग प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में इथनॉल की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इथनॉल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाये जाने से किसानों की आय पर क्या प्रभाव होगा; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में पेट्रोल/डीजल में इथनॉल मिलाये जाने का समर्थन करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारत सरकार ने 5 प्रतिशत इथनॉल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति के लिए जनवरी, 2013 में इथनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम शुरू किया था। दिनांक 20 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना जीएसआर संख्या 580(ई) के द्वारा, पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप समूह को छोड़कर, ईबीपी कार्यक्रम का विस्तार वाणिज्यिक व्यवहार्यता की शर्त पर पूरे देश में किया गया था। डीजल के साथ इथनॉल का मिश्रण नहीं किया जाता।

आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) की दिनांक 22.11.2012 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पेट्रोल के साथ 5 प्रतिशत इथनॉल के मिश्रण को अनिवार्य रूप से पूरे देश में कार्यान्वित किया जाए और यह लक्ष्य दिनांक 30.06.2013 तक प्राप्त किया जाए। इथनॉल का खरीद मूल्य तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) और इथनॉल के आपूर्तिकर्ताओं के बीच तय किया जाना था और घरेलू आपूर्ति में कमी होने की दशा में, ओएमसीज और रसायन कंपनियां इथनॉल का आयात करने के लिए स्वतंत्र थीं। इस निर्णय के अनुसरण में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 2 जनवरी, 2013 को एक राजपत्रित अधिसूचना जारी की जिसके द्वारा तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को निर्देश दिए गए थे कि वे बीआईएस विनिर्देशन के अनुसार, 10 प्रतिशत तक इथनॉल की प्रतिशतता के साथ इथनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचें ताकि पूरे देश में 5 प्रतिशत इथनॉल मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

इसके पश्चात्, सीसीईए ने दिनांक 3.7.2013 को यह भी निर्णय लिया कि ओएमसीज़ देश के उन क्षेत्रों/भागों में, जहां इथनॉल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, घरेलू स्रोतों से ही इथनॉल खरीदें ताकि अक्तूबर, 2013 तक पेट्रोल के साथ 5 प्रतिशत इथनॉल मिश्रण की अनिवार्य आवश्यकता प्राप्त की जा सके। देश में अन्य भागों में, इथनॉल की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, एथनॉल के मिश्रण को उत्तरोत्तर बढ़ाया जाएगा ताकि 5 प्रतिशत के अनिवार्य स्तर पर पहुंचा जा सके।

(ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (आईएसएमए) से दिनांक 3 सितम्बर, 2013 को एक अभ्यावेदन मिला है जिसमें उन्होंने कुछ वर्षों में पूरे राष्ट्र में 10 प्रतिशत के मिश्रण स्तर पर पहुंचने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है। दिनांक 19 नवम्बर, 2013 के एक अन्य अभ्यावेदन में, आईएसएमए ने उत्पादन लागत के अनुरूप नियम प्रीमियम मूल्य निर्धारण पर उपलब्ध अत्यधिक

गन्नों पर निर्भर करते हुए, सरकार ने अनुरोध किया है कि वह पेट्रोल के साथ इथनॉल मिश्रण का 5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की रेंज का लचीला कार्यक्रम चलाने के लिए कदम उठाए। तथापि, वर्ष 2013-14 के दौरान ओएमसीज पेट्रोल में इथनॉल मिश्रण का लगभग 1.37 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर सकी।

(ग) और (घ) विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, किसी भी मंत्रालय/विभाग से इथनॉल के निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए इथेनॉल, की निर्यात नीति में संशोधन करने के लिए डीजीएफटी में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) दिनांक 22 नवम्बर, 2012 के सीसीईए के निर्णय के बाद, ओएमसीज ने इथनॉल की अपेक्षाकृत अधिक खरीद करने के लिए दो निविदाएं (दिसम्बर, 2012 और जुलाई, 2013 और इसके बाद जनवरी, 2014 में रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की हैं। यह ईओआई जुलाई 2013 में इथनॉल के अधिक प्रापण के लिए मांगी गई निविदा की अनुवर्ती कार्रवाई थी। इसके अतिरिक्त ईबीपी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करने के लिए गठित अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ओएमसीज द्वारा आमंत्रित निविदाओं के जरिए इथनॉल की खरीद के लिए बैंचमार्क मूल्य में किए गए संशोधनों पर सहमत है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों से प्रक्रिया सरल करने और ईबीपी कार्यक्रम के लिए इथनॉल की उपलब्धता को आसान बनाने हेतु शीघ्र अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एनडीए के शासनकाल में, वर्ष 2003 से पेट्रोल में 5 फीसदी एथनॉल मिश्रण करने के लिए स्वीकृति दी गई थी।...*(व्यवधान)* मंत्री महोदय के जवाब में हमें यह भी बताया गया है कि एथनॉल की आपूर्ति करने वाली कंपनियों 5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण करने की मांग कर रही है।...*(व्यवधान)* और इतनी आपूर्ति करने की उनकी इच्छा है।...*(व्यवधान)* लेकिन, जो जवाब आया है उसमें स्पष्ट है कि वर्ष 2013-14 तक, 5 फीसदी एथनॉल मिश्रण करने की जो नीति थी, ...*(व्यवधान)* वह पूरी न करते हुए, 1.37 फीसदी तक ही पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण करने का लक्ष्य हम पूरा कर सके हैं।...*(व्यवधान)* मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में पेट्रोल बहुत बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है।...*(व्यवधान)* अगर, हम अधिक से अधिक एथनॉल को पेट्रोल में मिश्रण करते हैं...*(व्यवधान)* तो, देश को कुछ बचत हो सकती है।...*(व्यवधान)* 5 फीसदी से लेकर 10 फीसदी तक पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण करने की अनिवार्य नीति बनाने हेतु...*(व्यवधान)* क्या इसे हम कंपनियों पर लागू कर सकते हैं, ...*(व्यवधान)* जिससे देश को लाभ मिले?...*(व्यवधान)*

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने देश के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं।...*(व्यवधान)* शुगर इंडस्ट्रीज की तरफ से 5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक एथनॉल लैंडिंग की मांग है।...*(व्यवधान)* लेकिन, वे पुराने अनुभव हैं।...*(व्यवधान)* जिस प्रकार एथनॉल सप्लाई की क्वांटीटी पिछले अनुभव से 1.37 प्रतिशत तक हो पाई है।...*(व्यवधान)* कुछ प्रश्न उसके साथ जुड़े हुए हैं।...*(व्यवधान)* मार्केटिंग नेटवर्किंग से कुछ प्रश्न जुड़े हुए हैं।...*(व्यवधान)* जो मूल्य अभी तक एथनॉल उत्पादन कार्यों को मिल रहा है...*(व्यवधान)* और जो कंपनी जिस पद्धति से ले रहा है।...*(व्यवधान)* उसमें कुछ विवाद है।...*(व्यवधान)* उसमें कुछ विसंगतियां हैं।...*(व्यवधान)* हमारा शासन आने के बाद इन सारे विषयों को संज्ञान में ले कर,...*(व्यवधान)* किसान के हित में सारे नियमों को, ...*(व्यवधान)* किसान हितैषी नीति लगाने का हमने तय किया है।...*(व्यवधान)* आने वाले दिनों के अंदर किसानों के हित में ज्यादा से ज्यादा हम एथनॉल ले पाएं उसके लिए दर निर्धारण का नया तरीका हम लागू करने वाले हैं।...*(व्यवधान)*

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि एथनॉल के मूल्य निर्धारण करने हेतु सरकार ने संयुक्त सचिवों की एक समिति गठित की है।...*(व्यवधान)* उस संयुक्त समिति ने ईबीपी की नीलामी हेतु जो बैंच मार्क तय किया है, वह कम है।...*(व्यवधान)* इथनॉल उत्पादन कम्पनियां इसे दोषपूर्ण मानती हैं।...*(व्यवधान)* जिस तरह एथनॉल के मूल्य निर्धारण किए जा रहे हैं, उसमें बढ़ाने की मांग की जा रही है जबकि हम आयातित पेट्रोल को 70 रुपये से अधिक मूल्य देते हैं और इथनॉल को 44 रुपए देते हैं। क्या इसे बढ़ाने के लिए और इथनॉल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कोई नई नीति बनाने जा रही है? क्या सरकार इथनॉल का मूल्य बढ़ाकर देने पर विचार कर रही है?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य की समस्या कुछ हद तक वाजिब है। इस देश में इथनॉल ब्लैंडिंग हो।...*(व्यवधान)* ईबीपी स्कीम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में वर्ष 2001 में शुरू हुई थी। वर्ष 2003 में नौ राज्यों और चार केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू हुई थी।...*(व्यवधान)* उस समय सरकार अपनी तरफ से एक कर निर्धारित करती थी और जैसे अनुभव प्राप्त करने के साथ आगे बढ़ी, दो महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं – पांच प्रतिशत ब्लैंडिंग मैनडेटरी की गई है और इसे मार्किट डिटरमिन प्राइस बाजार मूल्यों के साथ जोड़ने की पद्धति की गई है।...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से सदन को नई सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसानों का हित सर्वोपरि है।...*(व्यवधान)* आज रिफाइनरी के गेट से जो पेट्रोल का प्राइस 48 रुपए पड़ता है, मोदी जी का नया शासन, नई सरकार उसी

की तरजीह पर बाजार भाव में ऑयल कम्पनियों के माध्यम से देश के किसानों को इेथनॉल प्राइस दे सकती है, यह हम जिम्मेदारी के साथ आपके सामने जवाब देते हैं।

[अनुवाद]

श्री एस.पी.वाई. रेड्डी : अध्यक्ष महोदया, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं।...*(व्यवधान)* मैं एथनॉल का विनिर्माता हूं। इसलिए, मैं इस मुद्दे पर अधिकारपूर्वक बोल सकता हूं... *(व्यवधान)* एथनॉल का मूल्य निर्धारण वैज्ञानिक कारकों जैसे (एक) आयातित पेट्रोल की प्रति किलो कैलोरी लागत; (दो) एथनॉल द्वारा प्रतिस्थापित एंटी-नॉकिंग एजेंट की कीमत; और (तीन) स्वदेशी होने के कारण ऊर्जा सुरक्षा की कीमत और आर्थिक कार्यकलाप की कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए और इस प्रकार इससे कर सृजित होगा...*(व्यवधान)*

इसलिए, सभी उपर्युक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए एथनॉल दर का निर्धारण किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए... *(व्यवधान)*

अब मैं मंत्री जी से पूछ रहा हूं कि क्या मंत्री जी इस तरह सोच रहे हैं या नहीं। एथनॉल के मूल्य का निर्धारण वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : माननीय सदस्य ने पेट्रोल और इथनॉल की कैलोरिफिक वैल्यू के बारे में प्रश्न उठाया है। कितनी माइलेज गाड़ी जा सकती है, पेट्रोल और इथनॉल में थोड़ी डिसपैरिटी है।...*(व्यवधान)* इथनॉल की ऐफीशिएंसी थोड़ी कम है। लेकिन देश के किसानों के हित में, बहुसंख्यक आबादी के हित में उस समय की सरकार ने सही फैसला दिया है। उस फैसले को नई सरकार और आगे बढ़ाएगी।...*(व्यवधान)*

डॉ. किरीट सोमैया : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी से विनती करना चाहता हूं कि गत दस वर्षों में सिर्फ नॉन कन्वेंशनल फ्यूल और एनर्जी की बातें ही हुई हैं।...*(व्यवधान)* क्या मोदी सरकार इस संबंध में ठोस कदम उठाकर, एक्शन प्लान बनाकर उसके एग्जिक्यूशन के लिए कोई योजना बनायेगी? सरकार ने इस बारे में कुछ सोचा है, तो बताये। ...*(व्यवधान)*

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने रखा है।...*(व्यवधान)* पिछले दस सालों में सिर्फ बातें हुई हैं, कोई ठोस कानूनी सुधार नहीं हुए हैं। ...*(व्यवधान)* इस सरकार ने आते ही उसमें एक सैद्धांतिक फैसला लिया है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सैक्टर को बढ़ावा दिया जायेगा...*(व्यवधान)* नयी-नयी ऊर्जा के बारे में सोचा जायेगा और उसकी बाजार दर के साथ...*(व्यवधान)* मैं पुनः कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो मूल बॉटलनेक है, जो मूल समस्या है, किसानों को उचित मूल्य मिले...*(व्यवधान)* उस संबंध में एनडीए की नयी सरकार, प्रधानमंत्री जी ने जब जिम्मेदारी संभाली, तब उन्होंने इसी सदन में आश्वस्त किया था कि उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता देश के गरीबों के हित में है।...*(व्यवधान)* माननीय सदस्य ने जो महत्वपूर्ण विषय उठाया, उस रेट डिसपैरिटी के बारे में, किसानों को ज्यादा मूल्ये मिले, जो बैंचमार्क प्राइस तय किया जायेगा, वह प्रोग्रेसिव होगा और पेट्रोल के साथ लगभग मिलकर होगा...*(व्यवधान)* मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री कालीकेश नारायण सिंह देव : मंत्री जी ने किसानों को उनका बकाया पारिश्रमिक दिलाने के संबंध में इथनॉल मिश्रण के मामले पर चर्चा की है...*(व्यवधान)* तथापि, यदि किसान इथनॉल नहीं बनाते हैं तो वे शीरे से अल्कोहल बनाएंगे...*(व्यवधान)* इसलिए, किसी भी स्थिति में किसानों को उनका हक मिलेगा।...*(व्यवधान)* मंत्री जी को किसानों को लाभ पहुंचाने के रूप में इथनॉल मिश्रण की बात पेश नहीं करनी चाहिए। वास्तव में इथनॉल मिश्रण का प्रयोग जलवायु परिवर्तन से सामना करने तथा कार्बन उत्सर्जन को कम करने में होता है।...*(व्यवधान)* इसलिए मंत्री जी के सुझाव के अनुसार यदि इथनॉल मिश्रण को अनिवार्यतः पांच प्रतिशत से बढ़ाकर दस प्रतिशत कर दिया जाता है तो कार्बन का उत्सर्जन कितना कम होगा?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यो, मेरी आप सबसे रिक्वैस्ट है।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप सब इस बात को समझिए। मेरी आप सबसे रिक्वैस्ट है कि आज बजट सैशन का पहला दिन है। मैंने आपके सब नोटिसेज भी देखे हैं, मगर यह प्रश्न काल है।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न काल बाधित न कीजिए। उसके बाद आपने जो भी नोटिसेज या बताया है, हम हर एक बात पर चर्चा करने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अभी आप सब प्रश्न काल बाधित न करें। प्रश्न काल बाधित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 2। श्रीमती सुप्रिया सुले।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुप्रिया सुले : महोदया, यह सरकार की संवेदनहीनता है जिसने झकझोर दिया है।...*(व्यवधान)* राजग सरकार ने इस देश को बेरोजगारी और महंगाई दी है...*(व्यवधान)* महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है ...*(व्यवधान)*। पेट्रोल चर्चा का बहुत बड़ा विषय है...*(व्यवधान)*।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : सुप्रिया जी, आपको केवल प्रश्न संख्या बोलनी है। क्या आपको अपना प्रश्न नहीं पूछना है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती सुप्रिया सुले : मैं निश्चित रूप से प्रश्न पूछना चाहती हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप सबसे पहले प्रश्न संख्या बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती सुप्रिया सुले : सरकार ने जो उत्तर दिया है, वह बिल्कुल असंतोषजनक है।...*(व्यवधान)* उत्तर नौकरशाही प्रवृत्ति का है जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : सबसे पहले आप प्रश्न संख्या बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती सुप्रिया सुले : इथनॉल मिश्रण आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्या यह महंगाई से बड़ा मुद्दा नहीं है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : क्या आपको प्रश्न नहीं पूछना है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती सुप्रिया सुले : मैं रोजगार सृजन के बारे में पूछना चाहती हूं। बेरोजगारी हमारे देश में सबसे बड़ी चुनौतियों में एक दिखाई देती है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : सुप्रिया जी, आप एक मिनट रुकिए। सबसे पहले आप प्रोसीजर के अनुसार प्रश्न संख्या बोलिए

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती सुप्रिया सुले : 'हमारे देश में बेरोजगारी', यही मेरा प्रश्न है...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : इसलिए, प्रश्न संख्या 2 बताइए।

श्रीमती सुप्रिया सुले : प्रश्न संख्या 2।

[अनुवाद]

रोजगार सृजन

***2. श्रीमती सुप्रिया सुले :** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी की ओर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में रोजगार कार्यालयों और अन्य माध्यमों से बेरोजगार युवकों को विभिन्न क्षेत्रों हेतु राज्य संघ-राज्यक्षेत्र-वार कितनी नौकरियां/रोजगार के अवसर प्रदान किये गये हैं; और

(ग) देश में रोजगार के अवसरों में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

माननीय अध्यक्ष : अब मंत्री जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

खान मंत्री, इस्पात मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएस), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी पर आयोजित किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार 2011-12 के दौरान बेरोजगारी दर इस प्रकार है:—

2011-12 के दौरान सामान्य स्थिति के अनुसार बेरोजगारी दर (% में)

आयु समूह	ग्रामीण		शहरी	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
15-29	5.0	4.8	8.1	13.1
सभी आयु	1.7	1.7	3.0	5.2

विगत तीन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के अनुमानों के अनुसार प्रमुख क्षेत्रों में क्षेत्र-वार रोजगार इस प्रकार हैं:—

(व्यक्ति करोड़ में)

प्रमुख क्षेत्रों द्वारा कार्यबल	2004-05	2009-10	2011-12
1	2	3	4
कृषि एवं संबद्ध सेवाएं	26.83	24.74	23.18
उद्योग	8.35	10.00	11.50
सेवाएं	10.73	11.81	12.73
योग	45.91	46.55	47.41

रोजगार कार्यालयों में नियोजन पर क्षेत्र-वार सूचना नहीं रखी जाती है, तथापि, रोजगार कार्यालयों में चालू रजिस्टर तथा बेरोजगार युवाओं के नियोजन का विगत तीन वर्षों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

(ग) सरकार विद्यमान सार्वजनिक रोजगार सृजन योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए), स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अतिरिक्त श्रम-सघन विनिर्माण का संवर्धन कर रही है तथा पर्यटन एवं कृषि-आधारित उद्योगों का संवर्धन करके रोजगार अवसरों में वृद्धि कर रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में गैर-कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ नए रोजगार अवसर सृजित किए जाने तथा इतनी ही संख्या में कौशल प्रमाणीकरण प्रदान करने की योजना बनाई गई है। यह भी निर्णय लिया गया है कि जनजातीय उप-योजना की विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए-टीएसपी), अनुसूचित जाति उप-योजना हेतु विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए-एससीपी), बहु-क्षेत्रक सहायता कार्यक्रम निधियों का कम से कम 10% तथा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम निधियों का 5% कौशल विकास तथा युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने में प्रयोग किया जाए।

अनुबंध

रोजगार कार्यालयों में चालू रजिस्टर तथा बेरोजगार युवाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

(आंकड़े हजार में)

क्र. सं.	रोजगार कार्यालय/ यूईआईजीबी	2010		2011		2012	
		चालू रजिस्टर	नियोजन	चालू रजिस्टर	नियोजन	चालू रजिस्टर	नियोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1960.9	0.9	1934.7	0.8	1917.6	0.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	39.0	0.0	44.0	0.0	48.1	0.0
3.	असम	1516.3	0.6	1563.0	3.1	1616.4	0.7
4.	बिहार	856.1	3.2	881.2	2.3	854.1	2.1

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	छत्तीसगढ़	1317.4	2.2	1337.2	0.9	1462.3	0.3
6.	दिल्ली	588.5	4.1	752.9	0.2	752.9	0.0
7.	गोवा	105.7	1.8	121.5	1.4	127.8	1.8
8.	गुजरात	891.6	202.8	899.5	225.6	877.0	246.0
9.	हरियाणा	961.9	5.8	820.0	6.9	778.8	12.3
10.	हिमाचल प्रदेश	822.9	1.1	843.5	3.2	851.7	4.1
11.	जम्मू और कश्मीर	411.0	1.7	496.0	1.3	466.7	0.5
12.	झारखंड	819.5	12.5	832.5	8.7	640.3	12.1
13.	कर्नाटक	510.8	2.0	480.8	2.1	442.1	2.6
14.	केरल	4366.4	11.5	4331.9	13.5	3928.0	9.4
15.	मध्य प्रदेश	1951.9	9.0	2001.2	6.6	2066.2	8.5
16.	महाराष्ट्र	2856.8	207.3	2735.3	165.6	2558.3	103.8
17.	मणिपुर	684.5	0.6	705.2	@	661.9	0.1
18.	मेघालय	32.8	0.0	30.5	@	33.6	@
19.	मिज़ोरम	40.5	0.0	40.2	0.0	43.4	0.0
20.	नागालैंड	61.7	0.0	65.2	@	69.4	0.2
21.	ओडिशा	930.1	5.4	1044.1	2.9	1068.1	2.8
22.	पंजाब	379.9	2.1	355.5	3.2	358.3	2.7
23.	राजस्थान	765.5	0.8	718.5	1.1	736.6	0.5
24.	सिक्किम*	0.0	0.0		—		—
25.	तमिलनाडु	6013.9	17.4	6777.1	11.2	7743.2	10.8
26.	त्रिपुरा	503.4	0.7	511.4	0.9	531.6	0.4
27.	उत्तराखंड	560.8	1.3	659.7	1.1	706.8	1.2
28.	उत्तर प्रदेश	1980.1	7.2	2031.0	5.6	6072.7	1.6
29.	पश्चिम बंगाल	6569.2	2.5	6827.9	3.0	7040.9	2.2

1	2	3	4	5	6	7	8
	संघ राज्य-क्षेत्र						
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	40.6	0.3	41.5	0.1	41.8	0.1
31.	चंडीगढ़	39.1	0.0	37.1	0.2	37.7	0.1
32.	दादरा और नगर हवेली	4.8	0.0	5.6	0.0	6.2	0.0
33.	दमन और दीव	13.1	0.0	9.2	0.0	9.7	0.0
34.	लक्षद्वीप	14.9	0.0	14.9	0.0	16.1	0.1
35.	पुदुचेरी	217.4	0.5	221.8	0.1	224.1	0.3
	योग	38826.8	509.6	40171.6	471.5	44790.1	427.6

टिप्पणी:-

@आंकड़े 50 से कम

*राज्य में कोई कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

पूर्णांकन के कारण आंकड़ों के मेल न खाने की संभावना है।

टिप्पणी:- यह आवश्यक नहीं कि रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर समस्त व्यक्ति बेरोजगार हों।

[अनुवाद]

श्रीमती सुप्रिया सुले : उनका उत्तर पूरी तरह से असंतोषजनक है। ...*(व्यवधान)* उन्होंने कोई समाधान प्रस्तुत नहीं किया और उन्होंने मेरे मूल प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया जो यह है कि हम किसी प्रकार से बेरोजगारी कम करने जा रहे हैं अथवा देश में बेरोजगारी कम करने के लिए वह क्या कदम उठा रहे हैं। उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती सुप्रिया सुले : यही मेरा प्रश्न है। सरकार बेरोजगारी कम करने के लिए क्या कर रही है?

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार बेरोज़गारी को अहम विषय मानती है।...*(व्यवधान)* इस बात को सारा देश जानता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने रोज़गार के अवसर बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की है।...*(व्यवधान)* आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए अनेक उपाय कर रही है। अभी इस सरकार का मात्र एक माह हुआ है,...*(व्यवधान)* लेकिन इसके बावजूद हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है,...*(व्यवधान)* पर्यटन पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है।...*(व्यवधान)* हम कौशल उन्नयन करना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* बड़ी संख्या में वोकेशनल ट्रेनिंग बढ़ाना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* ढ़ाई हजार आईटीआईज़ खोलना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* कौशल उन्नयन करके बड़ी संख्या में रोज़गार के अवसर उपलब्ध हों,...*(व्यवधान)* यह मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में सुनिश्चित होगा, मैं यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूं।...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

वन क्षेत्रों में खनन

***3. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन क्षेत्रों में खनन कार्यों के कारण देश के विभिन्न भागों में पादप और पशु जीवन की जैव-विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के अनुसार कर्नाटक सहित ऐसे वन क्षेत्रों में खनन कार्य के लिए अनुमति प्रदान करने से पूर्व पर्यावरण स्वीकृति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश की वनस्पति और जीव-जंतुओं को न्यूनतम क्षति/बाधा पहुंचे, वन क्षेत्रों में खनन कार्य का विनियमन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्री, इस्पात मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) : (क) और (ख) वन क्षेत्रों में खनन कार्यकलाप स्वत: ही वनस्पति और जीव-जंतुओं की जैव-विविधता को प्रभावित करते है। वन क्षेत्रों में खनन परियोजनाओं के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 तथा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन देते समय केंद्र सरकार वनस्पति एवं जीव जंतुओं पर ऐसी प्रत्येक परियोजना के प्रभाव का आकलन करती है और इन प्रभावों को कम/न्यून करने के लिए समुचित उपाय निर्धारित करती है। इन उपायों में पेड़ पौधों की हानि की प्रतिपूर्ति के लिए वनीकरण, जीव जंतुओं पर विपरीत प्रभाव को दूर करने के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन, सुरक्षा जोन का वनीकरण, खनित क्षेत्रों की चरणबद्ध रूप से पुन: प्राप्ति करना आदि परियोजना लागत पर किया जाना शामिल है।

(ग) खनन कार्याकलापों की अनुमति देने से पहले, खनन परियोजनाओं सहित विभिन्न कार्यकलापों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी समय-समय पर यथा संशोधित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार दी जाती है।

(घ) वर्ष 2013-14 के दौरान खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ क्षेत्र-वार जारी की गई पर्यावरणीय मंजूरी की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है:—

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 2013-14 के दौरान जारी पर्यावरण मंजूरी की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5
2.	छत्तीसगढ़	1
3.	हिमाचल प्रदेश	3
4.	झारखंड	10
5.	मध्य प्रदेश	5
6.	महाराष्ट्र	3
7.	मेघालय	1
8.	ओडिशा	7
9.	पंजाब	26
10.	राजस्थान	4
11.	तमिलनाडु	3
12.	उत्तर प्रदेश	6
	कुल	74

(ङ) सरकार ने देश के वन क्षेत्रों में खनन कार्यकलापों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

(i) खनन प्रयोजनों सहित गैर-वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेने वाले प्रस्तावों की कारगर, कुशल और पारदर्शी ढंग से जांच में सुविधा के लिए केंद्र तथा राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार, दोनों स्तरों में व्यापक सांस्थानिक प्रणाली स्थापित की गई हैं।

(ii) केंद्र सरकार निम्नलिखित सभी अथवा किसी भी मामलों का यथोचित ध्यान रखते हुए खनन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान करती है अथवा उसे अस्वीकृत करती है:—

(क) क्या गैर-वन प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि प्राकृतिक रिज़र्व, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य-जीव अभ्यारण्य, बायोस्फेयर रिज़र्व अथवा वनस्पति और जीव की किसी विलुप्तप्राय या संकटग्रस्त

प्रजाति के पर्यावास का भाग अथवा गंभीर रूप से अपर्दित कैचमेंट क्षेत्र का भाग है;

(ख) क्या राज्य सरकार अथवा अन्य प्राधिकरण ने यह प्रमाणित किया है कि उसने सभी अन्य विकल्पों पर विचार कर लिया है और यह कि इन परिस्थितियों में कोई अन्य विकल्प व्यवहार्य नहीं है तथा यह कि अपेक्षित क्षेत्र उस प्रयोजन के लिए न्यूनतम आवश्यक क्षेत्र है; और

(ग) क्या राज्य सरकार अथवा अन्य प्राधिकरण अपनी लागत पर समतुल्य क्षेत्र की भूमि के अधिग्रहण तथा उसके वनीकरण की वचनबद्धता देता है।

(iii) केंद्र सरकार, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमोदन देते समय प्रतिपूरक वनीकरण के सृजन एवं रख-रखाव, पथांतरित वन भूमि के निवल मौजूदा मूल्य की वसूली, वन्य जीवन संरक्षण योजना का कार्यान्वयन (जहां कहीं अपेक्षित हो), खनित क्षेत्र की चरणबद्ध पुन: प्राप्ति, खनन पट्टे की सीमा का चिह्नांकन आदि जैसे समुचित न्यूनीकरण उपाय निर्धारित करती है। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अनुमोदन की प्रति मंत्रालय की वेबसाइट में अपलोड की जाती है ताकि यह पब्लिक डोमेन में रहे।

(iv) वन्य जीवन (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र के भीतर स्थित वन भूमि के पथांतरण वाले मामले में प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमोदन देने से पूर्व संबंधित प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय वन्य जीवन बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) संबंधी स्थायी समिति और माननीय उच्चतम न्यायालय का अनुमोदन लिया जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार, यदि संरक्षित क्षेत्र की सीमा के आस-पास विधिवत् अधिसूचित पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के भीतर स्थित प्रस्तावित वन भूमि के पथांतरण के लिए परियोजना की ईआईए को एनबीडब्ल्यूएल संबंधी स्थायी समिति के समक्ष रखना आवश्यक है। यदि पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन को अधिसूचित नहीं किया गया है, तो ऐसे संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दस कि.मी. की दूरी की पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन माना जाएगा। एनबीडब्ल्यूएल संबंधी स्थायी समिति वन्य जीवन पर ऐसी परियोजनाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय निर्धारित करती है।

(v) सरकार, देश में वन क्षेत्रों में वनस्पति तथा जीवों की न्यूनतम क्षति सुनिश्चित करने के लिए खनन कार्यकलापों को विनियमित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय करती है।

एयर इंडिया को घाटा

***4. श्री एम.बी. राजेश :**
श्रीमती के. मरगथम :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों से एयर इंडिया को भारी घाटा हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं;

(ख) घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार की एयर इंडिया का पुनर्गठन करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चालक दल के सदस्यों सहित एयर इंडिया के कर्मचारी संबंधित प्राधिकारियों को कोई सूचना दिए बिना ड्यूटी से अनुपस्थित रह रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अशोक गजपति राजू) : (क) जी, हां। एयर इंडिया को वर्ष 2011-12 में 7559.74 करोड़ रुपए, 2012-13 में 5490.16 करोड़ रुपए और 2013-14 में 5388.82 करोड़ रुपए (अनंतिम) का घाटा हुआ। घाटों के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:–

(1) प्रतिकूल बाजार स्थितियां;

(2) ईंधन की कीमतों में वृद्धि; और

(3) विनिमय दर में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव।

(ख) और (ग) (I) एयर इंडिया को वर्ष 2010-11 तक हुए घाटे और इसके बढ़ते हुए ऋणभार को देखते हुए, एयर इंडिया ने एक कायाकल्प योजना (टीएपी) तैयार की, जिसमें एक प्रचालनिक कायाकल्प योजना और एक वित्तीय पुनर्संरचना योजना (एफआरपी) शामिल हैं।

(II) एयर इंडिया की टीएपी/एफआरपी नागर विमानन से संबंधित मंत्री समूह (जीओएम) को प्रस्तुत की गई थी। जीओएम ने इसके बाद

वित्त मंत्रालय के अधीन अधिकारियों के समूह (जीओओ) की समिति गठित की। जीओओ ने अपनी सिफारिशें अक्तूबर, 2011 में जीओएम को प्रस्तुत कीं। जीओएम ने जीओओ की सिफारिशें स्वीकार कर लीं, जिन्हें मंत्रिमंडल के समक्ष विचारार्थ रखा गया था।

(III) आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 12.04.2012 को एयर इंडिया की टीएपी और एफआरपी को अनुमोदित कर दिया, जिसमें सरकार द्वारा अतिरिक्त इक्विटी निवेश, लागत में कमी और उन्नत प्रचालनिक निष्पादन से संबंधित प्रावधान किए गए थे। टीएपी के तहत सरकार की ओर से अनुमोदित वित्तीय सहायता निम्नवत् है:—

(i) 6,750 करोड़ रुपए तक अग्रिम (अपफ्रंट) इक्विटी का निवेश;

(ii) वित्त वर्ष 2012-13 से वित्त वर्ष 2017-18 तक 4,552 करोड़ रुपए के नकद घाटा समर्थन के लिए इक्विटी;

(iii) वित्त वर्ष 2021 तक 18,929 करोड़ रुपए के पहले से प्रत्याभूत विमान ऋण के लिए इक्विटी;

(iv) एयर इंडिया द्वारा वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित 7400 करोड़ रुपए के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) पर मूलधन की धन वापसी और ब्याज के भुगतान के लिए सरकार की गारंटी; और

(v) टीएपी/एफआरपी के भाग के रूप में, सरकार ने एयर इंडिया के लिए निष्पादन संबंधी लक्ष्य निर्धारित किए हैं और टीएपी में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में एयर इंडिया के निष्पादन पर नजर रखने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी निगरानी समिति का गठन किया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। कुछ कर्मचारी, जिनमें केबिन कर्मीदल भी शामिल हैं, अनाधिकृत रूप से कार्य से अनुपस्थित रह रहे हैं। ऐसे दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल सेवा

***5. श्री निशिकान्त दुबे :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की त्रुटिपूर्ण सेवाओं और मोबाइल नेटवर्क की खराब कनेक्टिविटी की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो झारखंड सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) पावर बैकअप के रूप में स्थापित डीजल जेनरेटर सेट चलाने में प्रयुक्त डीजल की खरीद के लिए आवंटित की गई और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या राजसहायता प्राप्त डीजल की चोरी हो रही है/इसका अन्यत्र उपयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, हां। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के मोबाइल नेटवर्क की खराब कनेक्टिविटी सहित त्रुटिपूर्ण सेवाओं के बारे में जागरुक है। सरकार कनेक्टिविटी और सेवा प्रदान करने संबंधी समस्याओं का निदान करके बीएसएनएल की मोबाइल सेवाओं की गुणवत्ता (क्यूओएस) को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ख) सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) संबंधी मानदंड भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित किए गए हैं। हालांकि, बीएसएनएल बैंचमार्क संबंधी मानदंडों को, सामान्य तौर पर, पूरा करता है लेकिन, कुछ क्षेत्रों में कुछ मानदंडों हेतु बीएसएनएल की सेवाएं, निर्धारित किए गए बैंचमार्क से कुछ कम स्तर की हैं। सेवा की गुणवत्ता संबंधी मानदंडों में कमियां नेटवर्क निष्पादन, ग्राहक सेवा उपलब्धता, अधिक परियात अपर्याप्त नेटवर्क कवरेज आदि के कारण हैं। मार्च, 2014 को समाप्त तिमाही के संबंध में ब्यौरा जैसा ट्राई द्वारा उपलब्ध कराया गया है, संलग्न विवरण में दिया गया है।

बीएसएनएल की सेवा में कमियों के प्रमुख कारण हाल ही के वर्षों में अवसंरचना विस्तार में अपर्याप्त निवेश, जनशक्ति के धरोहर संबंधी मुद्दे, विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता में कमी आदि हैं।

(ग) देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) की वित्तीय सहायता से सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमों को क्रियान्वित किया जा रहा है। ऐसी स्कीमों का विवरण निम्नवत् है:—

- 2000 से अधिक आबादी वाले और मोबाइल कवरेजरहित गांवों या ग्रामसमूहों में साझा मोबाइल अवसंरचना स्कीम के

तहत यूएसओएफ की वित्तीय सहायता से 7317 मोबाइल टावरों को स्थापित किया गया है।

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों, जो वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित हैं, में गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा पहचान किए गए 2199 स्थानों पर मोबाइल टावर स्थापित करने हेतु एक प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। भारत संचार निगम लिमिटेड को इस कार्य को क्रियान्वित करने के लिए नामांकित किया गया है। दूरसंचार आयोग की दिनांक 13.06.2014 को आयोजित की गई बैठक में 3567.58 करोड़ रुपए की संशोधित परियोजना लागत के अनुमोदन की सिफारिश की गई है।

- दूरसंचार आयोग ने दिनांक 13.06.2014 को आयोजित की गई अपनी बैठक में 5336.18 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत से पूर्वोत्तर (एनईआर) क्षेत्र हेतु समग्र दूरसंचार विकास योजना को क्रियान्वित करने हेतु एक प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

बीएसएनएल सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने, धरोहर संबंधी मुद्दों का समाधान करने और नेटवर्क के विस्तार के लिए एक पुनरुद्धार योजना को तैयार करने में सक्रिय रूप से संलग्न है। बीएसएनएल 1704 करोड़ रुपए की लागत से अपनी चरण-VII विस्तार योजना के भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में 2जी और 3जी सेवाओं हेतु 8784 बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) की स्थापना की मार्फत अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है।

(घ) पावर बैकअप के रूप में स्थापित किए गए डीज़ल जेनरेटर सेटों को चलाने के लिए बीएसएनएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान अपने सभी सर्किलों हेतु आवंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि क्रमशः 673.89 करोड़ रुपए और 485.04 करोड़ रुपए है।

(ङ) बीएसएनएल डीज़ल की चोरी के बारे में सतर्क है। बीएसएनएल ने सूचित किया है कि, फिलहाल, डीज़ल की चोरी का कोई मामला पंजीकृत नहीं है, इस संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच की जाती है और समुचित कार्रवाई की जाती है।

विवरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता हेतु बीएसएनएल के निष्पादन निगरानी संकेतक

मानदंड	बैंचमार्क	सेवा क्षेत्र	निष्पादन
1	2	3	4
बीटीएस संचित डाउनटाइम (सेवा के लिए अनुपलब्ध) (प्रतिशत)	≤ 2%	असम	2.84
		बिहार	3.50
		पूर्वोत्तर	5.52
		पश्चिम बंगाल	2.33
डाउनटाइम के कारण सबसे अधिक कुप्रभावित बीटीएस (प्रतिशत)	≤ 2%	असम	6.02
		बिहार	7.70
		पूर्वोत्तर	17.05
		पश्चिम बंगाल	12.13
काल सेट-अप सफलता दर (लाइसेंसधारक के अपने नेटवर्क में)	≤ 95%	पूर्वोत्तर	94.67
एसडीसीसीएच/पेजिंग चैनल कन्जेशन (प्रतिशत)	≤ 1%	पूर्वोत्तर	3.55
टीसीएच कन्जेशन (प्रतिशत)	≤ 2%	पूर्वोत्तर	4.53

1	2	3	4
कॉल ड्रॉप दर (प्रतिशत)	≤ 2%	असम	2.12
		बिहार	2.14
		पूर्वोत्तर	4.50
3% से अधिक टीसीएच ड्रॉप वाली सबसे अधिक कुप्रभावित कॉलें	≤ 3%	असम	5.96
		बिहार	5.65
		पूर्वोत्तर	10.40
		पंजाब	9.93
अच्छी आवाज़ गुणवत्ता वाला कनेक्शन	≤ 95%	असम	90.47
		कोलकाता	66.50
		पूर्वोत्तर	93.68
पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन (पीओआई) कन्जेशन (बैंचमार्क को न पूरा करने वाले पीओआई की संख्या)	≤ 0.5%	हरियाणा	1.67
मीटरिंग और बिलिंग क्रेडिबिलिटी – प्री पेड	≤ 0.1%	कोलकाता	1.10
		पश्चिम बंगाल	0.54
शिकायतों के समाधान की तारीख से ग्राहक के खाते में क्रेडिट/छूट/समायोजन को लागू किए जाने की अवधि	शिकायतों के समाधान के एक सप्ताह के अंदर	पंजाब	एनआर
कॉल सेंटर/ग्राहक सुविधा की पहुंच	≤ 95%	असम	75.00
		कोलकाता	84.00
		चेन्नै	88.20
		हिमाचल प्रदेश	18.30
		हरियाणा	25.00
		जम्मू और कश्मीर	7.00
		कोलकाता	72.00
		महाराष्ट्र	73.70
		पंजाब	14.00

1	2	3	4
		तमिलनाडु	82.00
		उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	43.00
		पश्चिम बंगाल	55.50
सेवा की समाप्ति/बंद किए जाने हेतु अनुरोधों का प्रतिशत	7 दिनों के अंदर 100%	पश्चिम बंगाल	91.26
सेवाएं बंद किए जाने के बाद जमाराशियों को वापस करने में लगा समय	60 दिनों के अंदर 100%	पश्चिम बंगाल	51.00
3जी सेवाओं हेतु नोड-बी का संचित डाउनटाइम (सेवा हेतु उपलब्ध नहीं) (प्रतिशत)	≤ 2%	बिहार	5.10
3जी सेवाओं हेतु डाउनटाइम के कारण सर्वाधिक कुप्रभावित नोड-बी (प्रतिशत)	≤ 2%	बिहार	3.93
3जी सेवाओं हेतु सर्किट वॉयस ड्रॉप दर और 3% टीसीएच ड्रॉप (कॉल ड्रॉप) से अधिक वाली सर्वाधिक कुप्रभावित कॉलें	≤ 3%	बिहार	3.83
3जी सेवाओं हेतु सर्किट स्विच वॉयस गुणवत्ता और अच्छी वॉयस गुणवत्ता के साथ कनेक्शन	≤ 95%	असम	90.43
3जी सेवाओं हेतु पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन (पीओआई) कन्जेशन	≤ 0.5%	हरियाणा	2

टीसीएच: ट्रैफिक चैनल

एसडीसीसीएच: स्टेंडअलोन डेडिकेटिड चैनल

पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिज़ोरम शामिल हैं पश्चिम बंगाल में सिक्किम शामिल है।

डाक सामग्रियों का वितरण

***6. श्री नलीन कुमार कटील :**
कुमारी शोभा कारान्दलाजे :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रजिस्ट्रीकृत पत्रों, पार्सल, स्पीड पोस्ट आदि जैसी डाक सामग्री के वितरण में अत्यधिक विलंब की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ग) क्या सरकार के पास देश में डाक सामग्री के वितरण पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा डाक सामग्रियों का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) विभिन्न श्रेणियों की डाक के वितरण के लिए मानक स्थानीय क्षेत्रों और महानगरों के बीच के लिए 2 से 3 दिन तथा देश के शेष हिस्सों के लिए 2 से 7 दिन हैं। अधिकांश वस्तुएं निर्धारित मानकों के अनुसार वितरित की जाती हैं। तथापि, निम्नांकित कारणों से कभी-कभार विलंब हो जाता है।

(i) डाक की ढुलाई के लिए प्रयुक्त रेलगाड़ियों/विमानों/बसों का देरी से चलना/रद्द हो जाना।

(ii) वस्तु पर लिखे हुए पते का अपूर्ण होना।

(iii) संबंधित डाकघरों को सूचित किए बगैर पते में परिवर्तन।

(iv) डाक का सही प्रकार से प्रेषित न किए जाना।

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों और 31.03.2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान सर्किल-वार (सामान्यतय राज्यों से को-टर्मिनस) पंजीकृत पत्रों, पार्सल और स्पीड पोस्ट के लिए प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण I, II और III में दिया गया है।

(ग) डाक के वितरण की निगरानी के लिए नियमित तंत्र मौजूद हैं। डाक नेटवर्क का इष्टतम उपयोग परियोजना (एमएनओपी) के भाग के रूप में स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक और पार्सलों जैसी डाक वस्तुओं के प्रेषण की निगरानी करने के लिए एक ऑन-लाइन निगरानी प्रणाली विकसित की गई है। इससे अवरोध दूर करने के लिए यथा समय सूचना प्राप्त करने और उपचारी उपाय करने में सहायता मिलती है। त्वरित सुधार कार्रवाई और योजनाबद्ध परिवर्तन, जहां कहीं आवश्यक हो, के कारणों का विश्लेषण किया जाता है। डाक सेवाओं के संदर्भ में डाकघरों और डाक सर्किलों के कार्यनिष्पादन की पाक्षिक वीडियो कांफ्रेंस के जरिए समीक्षा भी की जाती है। निम्नलिखित तंत्रों के द्वारा डाक वस्तुओं के वितरण की नियमित निगरानी की जाती है:–

(i) तृतीय पक्ष स्वतंत्र मॉनीटर्स के जरिए परीक्षण पत्रों को प्रेषित करके डाक मार्गों की निगरानी और वितरण की निगरानी की जाती है।

(ii) पर्यवेक्षीय स्टाफ तथा अधिकारियों द्वारा डाक वितरण की आकस्मिक जांच।

(iii) कमजोर कड़ियों की पहचान करने तथा डाक प्रेषण और वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने के क्रम में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर वास्तविक डाक सर्वेक्षण (लाइव मेल सर्वे) किए जाते हैं।

(iv) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में डाक मोटर वाहनों की आवा-जाही की निगरानी करने के उद्देश्य से उनमें जीपीएस लगाए गए हैं।

(घ) डाक वस्तुओं का ठीक समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने विभिन्न उपाय किए हैं। उपर्युक्त भाग (ग) में यथा वर्णित नियमित मॉनीटरिंग के अलावा वितरण के नेटवर्क का पुनर्गठन किया गया है और डाक प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाया गया है। आम जनता के लाभ के लिए स्पीड पोस्ट की ऑन-लाइन ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली में सुधार किया गया है। पंजीकृत डाक और पार्सलों के लिए भी ऑन-लाइन ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली आरंभ की गई है ताकि लोक डाक विभाग की वेबसाइट *(www.indiapost.gov.in)* पर अपनी वस्तुओं की स्थिति का पता लगा सकें। डाक छंटाई के शीघ्र निपटान के लिए दिल्ली और कोलकाता में स्वचालित डाक प्रोसेसिंग केन्द्र (एएमपीसी) स्थापित किए गए हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पंजीकृत डाक के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या

क्र.सं.	सर्किल का नाम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6
1.	असम	3981	4459	3677	2881
2.	आंध्र प्रदेश	20971	22316	23964	21379
3.	बिहार	5143	2506	1303	1476
4.	छत्तीसगढ़	2136	2277	1536	2799
5.	दिल्ली	12151	15495	9673	10734
6.	गुजरात, दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र), दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र) सहित	20001	22099	19743	18808

	2	3	4	5	6
7.	हरियाणा	3341	3319	3975	2719
8.	हिमाचल प्रदेश	3273	3513	3593	2949
9.	जम्मू और कश्मीर	1358	1181	806	582
10.	झारखंड	750	893	1126	955
11.	कर्नाटक	24668	21986	26826	25717
12.	केरल, लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र) सहित	8684	8560	8113	8877
13.	मध्य प्रदेश	13071	17785	19802	17614
14.	महाराष्ट्र व गोवा	48883	51479	57978	49199
15.	पूर्वोत्तर क्षेत्र (मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड)	977	1138	1120	903
16.	ओडिशा	4522	5631	6827	6061
17.	पंजाब, चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) सहित	5464	5601	5711	5228
18.	राजस्थान	9794	10678	12857	13379
19.	तमिलनाडु, पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र) सहित	52250	50004	51131	53616
20.	उत्तर प्रदेश	14288	19282	17760	20113
21.	उत्तराखंड	2110	2041	2852	2676
22.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार (संघ राज्य क्षेत्र) सहित	12739	14731	13625	15347
23.	सेना डाक सेवा	521	343	391	382
	कुल	271076	287317	294389	284394

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पार्सल के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या

क्र.सं.	सर्किल का नाम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6
1.	असम	392	878	1987	2413
2.	आंध्र प्रदेश	1245	1341	2111	3515

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	540	337	225	619
4.	छत्तीसगढ़	162	173	210	412
5.	दिल्ली	2195	2538	3455	3885
6.	गुजरात, दादरा और नगर हवेली (संघ राज्यक्षेत्र), दमन और दीव (संघ राज्यक्षेत्र) सहित	536	936	1935	1930
7.	हरियाणा	231	569	921	750
8.	हिमाचल प्रदेश	340	381	568	738
9.	जम्मू और कश्मीर	160	1035	1244	664
10.	झारखंड	69	112	230	326
11.	कर्नाटक	1415	1303	2630	3547
12.	केरल, लक्षद्वीप (संघ राज्यक्षेत्र) सहित	1072	725	751	777
13.	मध्य प्रदेश	557	935	1251	1926
14.	महाराष्ट्र व गोवा	2160	2355	3613	3785
15.	पूर्वोत्तर क्षेत्र (मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड)	573	800	702	844
16.	ओडिशा	506	340	642	864
17.	पंजाब, चंडीगढ़ (संघ राज्यक्षेत्र) सहित	621	828	1383	2038
18.	राजस्थान	545	1012	1247	1800
19.	तमिलनाडु, पुदुचेरी (संघ राज्यक्षेत्र) सहित	1822	2340	2778	6629
20.	उत्तर प्रदेश	1894	1610	1964	2970
21.	उत्तराखंड	202	223	343	495
22.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार (संघ राज्यक्षेत्र) सहित	771	1115	1552	3268
23.	सेना डाक सेवा	81	42	80	67
	कुल	18089	21928	31822	44262

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान स्पीड पोस्ट के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या

क्र.सं.	सर्किल का नाम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6
1.	असम	3867	2391	2964	1785
2.	आंध्र प्रदेश	3564	4073	8291	8786
3.	बिहार	3987	2366	983	2648
4.	छत्तीसगढ़	2062	1878	1333	2752
5.	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	31747	37201	31966	26310
6.	गुजरात, दादरा और नगर हवेली (संघ राज्यक्षेत्र), दमन और दीव (संघ राज्यक्षेत्र) सहित	6198	11567	10225	10389
7.	हरियाणा	5740	4816	5233	9128
8.	हिमाचल प्रदेश	3062	1847	1886	1971
9.	जम्मू और कश्मीर	1788	1667	879	230
10.	झारखंड	631	1166	2345	2351
11.	कर्नाटक	19296	11644	15521	20913
12.	केरल, लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र) सहित	2703	2582	3385	3780
13.	मध्य प्रदेश	6674	5840	8146	7984
14.	महाराष्ट्र व गोवा	30461	26726	26219	33848
15.	पूर्वोत्तर क्षेत्र (मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड)	1279	3258	3303	2670
16.	ओडिशा	2376	2393	3786	4398
17.	पंजाब, चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) सहित	6730	4463	5471	7113
18.	राजस्थान	5161	4095	5131	6420
19.	तमिलनाडु, पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र) सहित	25738	26063	24419	24258

1	2	3	4	5	6
20.	उत्तर प्रदेश	15151	14868	17895	20941
21.	उत्तराखंड	2378	2074	2486	3142
22.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार (संघ राज्यक्षेत्र) सहित	11131	9838	11933	26778
23.	सेना डाक सेवा	246	242	203	147
	कुल	191970	183058	194003	228742

[हिन्दी]

बाल श्रम

***7. श्रीमती कृष्णा राज :** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रवर्तन के बावजूद बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में नियोजित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न व्यवसायों में लगे बाल श्रमिकों की वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस अधिनियम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने मामले दर्ज किए गए हैं और दोषी पाए गए नियोजकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा बच्चों को शोषण से बचाने के लिए क्या कड़े उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

खान मंत्री, इस्पात मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) : (क) और (ख) जी, हां। बाल श्रम अनेक समाजार्थिक समस्याओं यथा गरीबी, आर्थिक पिछड़ापन तथा असाक्षरता का परिणाम है। तथापि, देश में कामकाजी बच्चों की कुल संख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1.26 करोड़ थी जो घटकर 2011 की जनगणना के अनुसार 43.53 लाख रह गयी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 5 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के कामकाजी बच्चों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत दोषी नियोक्ताओं के विरुद्ध पाए गए उल्लंघन मामले, दायर किए गए अभियोजन तथा दोषसिद्धि के विभिन्न राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) बाल श्रम की समस्या के आकार और प्रकृति को देखते हुए सरकार एक बहु-आयामी नीति अपना रही है। इसमें सांविधिक एवं विधायी उपाय, बचाव एवं पुनर्वास सर्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक संरक्षण, गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन शामिल हैं। इसका उद्देश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिससे किसी परिवार को अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए बाध्य न होना पड़े। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 अठारह व्यवसायों एवं 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करता है। यह अधिनियम उन कार्य दशाओं को भी विनियमित करता है जहां बच्चों के नियोजन को प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है। कोई व्यक्ति जो बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत निषिद्ध किए गए किसी व्यवसाय अथवा प्रक्रिया में किसी बच्चे को नियोजित करता है तो वह कैद अथवा जुर्माने की सजा का पात्र होगा। ऐसी स्थापनों जिनका नियंत्रण केन्द्र सरकार अथवा रेलवे प्रशासन अथवा प्रमुख पत्तन अथवा किसी खान अथवा तेल क्षेत्र के मामले में केन्द्र सरकार एवं अन्य सभी मामलों में राज्य सरकार, बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रवर्तन के लिए समुचित प्राधिकारी है। बाल श्रमिक के पुनर्वास के लिए सरकार वर्ष 1988 से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। यह योजना जोखिमकारी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में कार्य कर रहे बच्चों का शैक्षिक पुनर्वास करता है। इस परियोजना के अंतर्गत कार्य से मुक्त कराए गए/हटाए गए बच्चों को एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकित किया जाता है जहां उन्हें औपचारिक शिक्षण पद्धति की मुख्यधारा में शामिल करने से पूर्व समायोजी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य देख-रेख आदि प्रदान किए जाते हैं।

बाल श्रम विधान को और अधिक कठोर बनाने के लिए सरकार बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन कर रही है। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012 पहले ही संसद में प्रस्तुत किया जा चुका है। इस संशोधन विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ (i) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को पूरी तरह प्रतिषिद्ध करना और प्रतिषिद्धि के लिए आयु को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अधिकार से जोड़ना, (ii) कारखाना अधिनियम, 1948 में दी गयी परिभाषा के अनुसार खानों, ज्वलनशील पदार्थों अथवा विस्फोटकों एवं जोखिमकारी प्रक्रियाओं में किशोरों (14 से 18 वर्ष) के नियोजन को प्रतिषिद्ध करना और (iii) अपराधियों को कठोर सजा देना और इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों को संज्ञेय बनाना आदि शामिल है। प्रस्तावित संशोधन पर श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की जांच की गयी है और उस पर मंत्रालय के विचार, पणधारियों के परामर्श हेतु मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया है।

विवरण-I

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 5 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के कामकाजी बच्चों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	5-14 वर्ष आयु वर्ग के कामगार बच्चों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	999
2.	आंध्र प्रदेश	404851
3.	अरुणाचल प्रदेश	5766
4.	असम	99512
5.	बिहार	451590
6.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	3135
7.	छत्तीसगढ़	63884
8.	दादरा और नगर हवेली	1054
9.	दमन और दीव	774
10.	दिल्ली	26473
11.	गोवा	6920
12.	गुजरात	250318
13.	हरियाणा	53492
14.	हिमाचल प्रदेश	15001
15.	जम्मू और कश्मीर	25528
16.	झारखंड	90996
17.	कर्नाटक	249432
18.	केरल	21757
19.	लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र	28
20.	मध्य प्रदेश	286310
21.	महाराष्ट्र	496316
22.	मणिपुर	11805
23.	मेघालय	18839
24.	मिज़ोरम	2793
25.	नागालैंड	11062
26.	ओडिशा	92087
27.	पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र	1421
28.	पंजाब	90353
29.	राजस्थान	252338
30.	सिक्किम	2704
31.	तमिलनाडु	151437
32.	त्रिपुरा	4998
33.	उत्तर प्रदेश	896301
34.	उत्तराखंड	28098
35.	पश्चिम बंगाल	234275
	कुल	4353247

विवरण-II

बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान दोषी नियोक्ताओं के विरुद्ध पाए गए उल्लंघन मामले, शुरू किए गए अभियोजन एवं दोषसिद्धियों के ब्यौरे

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	उल्लंघन की संख्या			अभियोजन की संख्या			दोषसिद्धियों की संख्या		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	0	0	0	0	0	उ.न.	0	0
आंध्र प्रदेश	4483	3052	1331	1275	1725	1285	उ.न.	27	13
अरुणाचल प्रदेश	3	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0	उ.न.	उ.न.	0	उ.न.
असम	574	306	322	30	129	119	2	8	0
बिहार	उ.न.	उ.न.	उ.न.	1258	716	उ.न.		133	
चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	33	12	17	18	24	5	1	8	4
छत्तीसगढ़	31	18	69	31	28	28	0	4	4
दादरा और नगर हवेली	0	1	0	0	1	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	6353	6174	5708	614	277	उ.न.	22	62	0
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	365	404	251	240	273	177	41	34	12
हरियाणा	100	125	42	82	105	71	120	100	112
हिमाचल प्रदेश	उ.न.	उ.न.	उ.न.	44	2	उ.न.	उ.न.	2	उ.न.
जम्मू और कश्मीर	12	24	उ.न.	38	27	उ.न.	25	2	उ.न.
झारखंड	43	89	उ.न.	36	64	उ.न.	12	0	उ.न.
कर्नाटक	180	177	71	232	155	71	48	38	31
केरल	0	3	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	170	502	उ.न.	170	502	उ.न.	57	0	उ.न.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
महाराष्ट्र	113	84	उ.न.	120	125	उ.न.	4	5	उ.न.
मणिपुर	20	2	उ.न.	5	2	उ.न.	5	2	उ.न.
मेघालय	2	उ.न.	उ.न.	9	7	30	9	2	4
मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	उ.न.	उ.न.	0	0	उ.न.	उ.न.	0	उ.न.
ओडिशा	179	149	185	46	34	31	5	0	0
पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र	0	0	0	10	0	0	7	0	0
पंजाब	1011	683	699	1011	683	699	478	551	424
राजस्थान	उ.न.	उ.न.	11	45	21	11	11	25	4
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	57	13	53	26	9	23	26	26	9
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	655	64	17	655	64	17	101	245	211
उत्तराखंड	उ.न.	उ.न.	उ.न.	5	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
पश्चिम बंगाल	14	92	उ.न.	9	29	उ.न.	0	1	उ.न.

उ.न. = उपलब्ध नहीं।

**तेलंगाना सहित, तेलंगाना के लिए अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

एयर कार्गो टर्मिनलों का विकास

***8. श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव :**
श्री धनंजय महाडीक :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर प्रचालित एयर कार्गो टर्मिनलों का ब्यौरा और उनकी स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में ऐसे और घरेलू एयर कार्गो टर्मिनलों का विकास करने का है और यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितने हवाई अड्डों की पहचान की गई और उनके विकास पर कितना व्यय होने की संभावना है तथा उनसे राजस्व अर्जित होगा; और

(ग) पूरे देश में प्रस्तावित कार्गो टर्मिनलों का कब तक विकास किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अशोक गजपति राजू) : (क) अंतर्देशीय एयर कार्गो संचलन (हैंडलिंग) तथा अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो संचलन (हैंडलिंग) के संबंध में देश के विभिन्न हवाईअड्डों पर प्रचालनरत एयर कार्गो टर्मिनलों का ब्यौरा तथा उनकी स्थिति क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ख) और (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाईअड्डों तथा संयुक्त उद्यम/निजी हवाईअड्डों पर घरेलू कार्गो सुविधाओं सहित एयर कार्गो टर्मिनलों का विकास समय-समय पर संबंधित हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा मौजूदा बाजार स्थितियों के उनके आकलन तथा ऐसी सुविधाओं की भावी संभाव्यता के आधार पर किया जाता है। इससे संबंधित राजस्व तथा व्यय

सहित ऐसी सुविधाओं को स्थापित करने की व्यवहार्यता तथा समय-सीमा संबंधित हवाईअड्डा प्रचालकों के व्यावसायिक मॉडलों पर निर्भर करती है।

विवरण-I

भारतीय हवाईअड्डों पर देशीय एयर कार्गो संचलन सुविधाओं का ब्यौरा

I. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकण के हवाईअड्डों पर

1.	पोर्ट ब्लेयर	19.	चंडीगढ़
2.	कोयम्बतूर	20.	बागडोगरा
3.	जयपुर	21.	मदुरै
4.	चेन्नै	22.	भुवनेश्वर
5.	कोलकाता	23.	इंदौर
6.	अहमदाबाद	24.	जम्मू
7.	गोवा	25.	रायपुर
8.	तिरुवनंतपुरम	26.	अगरतला
9.	कालीकट	27.	वडोदरा
10.	गुवाहाटी	28.	इम्फाल
11.	लखनऊ	29.	भोपाल
12.	श्रीनगर	30.	रांची
13.	मंगलौर	31.	औरंगाबाद
14.	अमृतसर	32.	लेह
15.	वाराणसी	33.	राजकोट
16.	पुणे	34.	जोधपुर
17.	विशाखापतनम	35.	डिब्रुगढ़
18.	पटना	36.	तिरुपति

II. संयुक्त उद्यम वाले हवाईअड्डों पर उपलब्ध अंतरदेशीय एयर कार्गो टर्मिनल सुविधा

1.	दिल्ली	4.	हैदराबाद
2.	मुम्बई	5.	कोच्चि
3.	बेंगलूरू	6.	नागपुर

विवरण-II

भारतीय हवाईअड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो संचलन सुविधाओं का विवरण

I. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा स्थापित कॉमन प्रयोक्ता अंतर्राष्ट्रीय कार्गो काम्प्लेक्स

1.	कोयम्बतूर	5.	लखनऊ
2.	चेन्नै	6.	अमृतसर
3.	कोलकाता	7.	त्रिची
4.	गुवाहाटी	8.	मंगलौर

II. राज्य/केन्द्र सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा उपलब्ध कराई गई कॉमन प्रयोक्ता अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो टर्मिनल सुविधाएं

1.	अहमदाबाद	6.	बागडोगरा
2.	इन्दौर	7.	गोवा
3.	वाराणसी	8.	भुवनेश्वर
4.	कालीकट	9.	विजाग
5.	तिरुवनंतपुरम	10.	जयपुर

III. संयुक्त उद्यम वाले हवाईअड्डों पर उपलब्ध कॉमन प्रयोक्ता अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाएं

1.	दिल्ली	4.	हैदराबाद
2.	मुम्बई	5.	कोच्चि
3.	बेंगलूरु	6.	नागपुर

IV. मैसर्स एयर इंडिया द्वारा संचलित अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाएं

1. श्रीनगर

V. भारतीय हवाईअड्डों पर उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस एयर कार्गो सुविधाएं

1.	चेन्नै	4.	हैदराबाद
2.	दिल्ली	5.	बेंगलूरु
3.	मुम्बई		

[हिन्दी]

भारी उद्योगों की स्थापना

***9. श्री अर्जुन राम मेघवाल :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में गत दो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान योजना-वार कितने भारी उद्योगों की स्थापना की गई और लाभ तथा घाटे सहित उनका कारोबार कितना रहा;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के पिछड़े क्षेत्रों में और अधिक भारी उद्योगों की स्थापना करने का है जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके और विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों से बेरोजगार युवाओं का पलायन रोका जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने देश में भारी उद्योगों के विकास हेतु कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) चूंकि उद्योग राज्य का विषय है, इसलिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए भारी उद्योगों के लिए इस विभाग में कोई केन्द्रीयकृत आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों जिनमें भारी उद्योग विभाग द्वारा प्रशासित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम शामिल हैं, के कारोबार तथा लाभ-हानि का ब्यौरा लोक उद्यम वर्ष 2012-13 के खंड-I के विवरण संख्या 15 और 3 में उपलब्ध है जिसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर पहले ही दिनांक 20 फरवरी, 2014 को रख दिया गया है।

(ग) जी, नहीं। तथापि, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय का संबंध तीन औद्योगिक क्षेत्रों अर्थात् हेवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उद्योग, हेवी इंजीनियरिंग उपकरण और मशीन टूल उद्योग तथा ऑटोमोटिव उद्योग से है। इन क्षेत्रों के विकास के लिए, मंत्रालय ने ऑटोमोटिव मिशन प्लान, नैशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री मिशन प्लान, केपिटल गुड्स स्कीम तैयार की हैं।

[अनुवाद]

हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण/उन्नयन

***10. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**
श्री सुल्तान अहमद :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के महानगरों और गैर-महानगरीय शहरों में ऐसे हवाई अड्डों का ब्यौरा क्या है जिनके उन्नयन/आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किया गया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस पर कितना व्यय किया गया;

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और हवाई अड्डे-वार यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार बिहार के मीरगंज के निकट सबेया हवाई अड्डे सहित और अन्य हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण/उन्नयन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और हवाई अड्डा-वार ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अशोक गजपति राजू) : (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा देश के महानगरों और गैर-महानगरीय शहरों के ऐसे हवाई अड्डों जिनका उन्नयन/आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किया गया है, का ब्यौरा तथा पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान हवाई अड्डा-वार तथा राज्य-वार कार्य पूरा होने के संभावित समय के साथ-साथ हवाईअड्डे के वर्तमान स्थिति तथा किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। हवाईअड्डों के आधुनिकीकरण/स्तरोन्नयन के साथ-साथ इनका विकास एक सतत् प्रक्रिया है और यह विभिन्न कारकों तथा सभी ऋणभारों से मुक्त भूमि की उपलब्धता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता तथा सामाजिक-आर्थिक तर्कों पर निर्भर करता है। तथापि, फिलहाल बिहार में मीरगंज के समीप सबेया हवाईअड्डे का उन्नयन/आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

पूंजीगत व्यय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महानगरीय हवाईअड्डे	व्यय				स्थिति
			2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (मई 2014 तक)	
1.	तमिलनाडु	चेन्नै	418.53	285.20	105.26	0.12	पूर्ण
2.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	638.19	609.55	90.20	0.94	पूर्ण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गैर-महानगरीय हवाईअड्डे	व्यय				स्थिति
			2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (मई 2014 तक)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गुजरात	अहमदाबाद	10.41	1.65	0.69	1.68	पूर्ण
2.		सूरत	1.80	2.26	0.80	0.00	पूर्ण
3.		बड़ोदरा	2.07	7.36	2.78	0.00	डब्ल्यूआईपी-26% (पीडीसी-दिसंबर, 2016)
4.	त्रिपुरा	अगरतला	4.17	1.32	0.00	0.00	पूर्ण
5.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	12.91	9.71	2.44	0.00	पूर्ण
6.		वाराणसी	12.53	0.00	0.00	0.00	पूर्ण
7.	पंजाब	अमृतसर	4.59	14.04	12.30	0.53	पूर्ण
8.	महाराष्ट्र	गोंदिया	29.17	15.08	0.95	0.00	पूर्ण
9.		नागपुर	3.65	0.05	13.62	10.91	डब्ल्यूआईपी-85% (पीडीसी-अक्तूबर, 2014)
10.		पुणे	0.06	0.00	20.25	0.00	डब्ल्यूआईपी-87% (पीडीसी-अक्तूबर, 2016)
11.	मध्य प्रदेश	भोपाल	2.21	1.30	0.00	0.00	पूर्ण
12.		इंदोर	28.96	1.17	0.37	0.00	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
13.		खजुराहो	4.11	11.36	14.67	1.9	डब्ल्यूआईपी-82% (पीडीसी-दिसंबर, 2014)
14.	ओडिशा	भुवनेश्वर	36.93	39.89	14.47	0.61	पूर्ण
15.	कर्नाटक	बेलगाम	0.00	0.09	0.00	0.36	डब्ल्यूआईपी-10% (पीडीसी-मई, 2017)
16.		हुबली	0.00	0.00	7.11	0.10	डब्ल्यूआईपी-20% (पीडीसी-मई, 2017)
17.		मेंगलोर	0.00	7.20	11.57	0.13	पूर्ण
18.	गोवा	गोवा	72.59	104.12	61.20	1.70	पूर्ण
19.	असम	डिब्रूगढ़	1.11	0.00	0.02	0.00	पूर्ण
20.		गुवाहाटी	1.37	4.09	16.7	1.62	डब्ल्यूआईपी-85% (पीडीसी-सितम्बर, 2014)
21.	मणिपुर	इंफाल	0.50	14.17	3.82	0.00	पूर्ण
22.	राजस्थान	जयपुर	0.13	3.92	0.37	2.10	डब्ल्यूआईपी-21% (पीडीसी-दिसंबर, 2015)
23.		जैसलमेर	[illegible].31	11.82	0.00	0.00	पूर्ण
24.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	1.03	2.32	0.00	0.00	डब्ल्यूआईपी-10% (पीडीसी-दिसंबर, 2016)
25.		श्रीनगर	1.97	0.00	2.27	0.54	पूर्ण
26.	तमिलनाडु	कोयंबटूर	21.54	0.68	0.00	0.00	पूर्ण
27.	केरल	कालीकट	1.98	3.49	8.54	1.03	डब्ल्यूआईपी-10% (पीडीसी-दिसंबर, 2016)
28.		त्रिवेंद्रम	7.92	1.33	5.34	0.00	डब्ल्यूआईपी-2% (पीडीसी-मई, 2016)
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पोर्टब्लेयर	1.49	4.65	0.51	0.00	डब्ल्यूआईपी-1% (पीडीसी-दिसंबर, 2019)
30.	छत्तीसगढ़	रायपुर	21.7	26.83	10.56	0.00	पूर्ण
31.	झारखंड	रांची	22.62	37.36	15.56	0.35	पूर्ण
32.	आंध्र प्रदेश	कुडिप्पा	6.69	4.90	2.31	0.00	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	आंध्र प्रदेश	तिरुपति	14.65	3.78	42.02	0.88	डब्ल्यूआईपी-43% (पीडीसी-अप्रैल, 2015)
34.		राजमुंदरी	10.18	2.27	1.66	0.00	पूर्ण
35.	चंडीगढ़ (संघ राज्यक्षेत्र)	चंडीगढ़-मोहाली	3.53	59.85	151.39	8.24	डब्ल्यूआईपी-65% (पीडीसी-अप्रैल, 2015)
36.	पुदुचेरी (संघ राज्यक्षेत्र)	पुदुचेरी	5.50	9.01	0.85	0.00	पूर्ण
37.	अरुणाचल प्रदेश	तेजू	3.51	3.71	10.28	1.40	डब्ल्यूआईपी-50% (पीडीसी-दिसंबर, 2015
38.	सिक्किम	पेक्योंग	73.20	51.77	42.99	0.00	*डब्ल्यूआईपी-83%

नोट: उपस्करों (सीएनएसपी तथा हवाईअड्डा प्रणाली) को छोड़कर व्यय।

*पुनर्वास मुद्दे पर स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा काम बंद करा दिया गया और राज्य सरकार इस मामले को सुलझाने की प्रक्रिया में है।

[हिन्दी]

न्यायालयों में लंबित मामले

***11. योगी आदित्यनाथ :**
श्री सुनील कुमार सिंह :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में विभिन्न न्यायालयों में अनेक मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च-न्यायालयों में न्यायालय-वार कितने मामले लंबित हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों और रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन रिक्तियों को यथाशीघ्र भरने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने मुकदमा करने वालों को न्याय मिलने में विभिन्न कारणों से होने वाले विलंब की ओर ध्यान दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ङ) लंबित मामलों की संख्या संबंधी आंकड़े उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा रखे जाते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या निम्नानुसार दी गई है:—

2011	58,519
2012	66,692
2013	66,349
2014 (01.05.2014 को)	63,843

पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

राज्य और केंद्रीय विधानों की बढ़ती हुई संख्या, प्रथम अपीलों का संचयन, कुछ उच्च न्यायालयों की साधाररण सिविल अधिकारिता का बना रहना, न्यायाधीशों की रिक्तियां, उच्च न्यायालयों में जाने वाली अर्ध-न्यायिक फोरम के आदेशों के विरुद्ध अपीलें, पुनरीक्षण/अपीलां की संख्या, आस्थगन उच्च न्यायालयों में रिट अधिकारिता का अंधाधुंध प्रयोग, सुनवाई के लिए मामलों को मॉनीटर करने, निपटान और उनको एकत्र करने के लिए व्यवस्था का अभाव, मुकदमेबाजी के पैटर्न का बदलना आदि

न्यायालयों में मामलों की लंबित संख्या के लिए उत्तरदायी मुख्य कारकों में से कुछ हैं।

उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या, कार्यरत पदसंख्या और रिक्त पदों की स्थिति के ब्यौरे संलग्न विवरण-III और IV में दिए गए हैं।

प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार उच्च न्यायालया के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव के पहल करने की प्रक्रिया भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के पास होती है। अगले छह मास में पूर्वानुमानित रिक्त स्थानों को भरने के लिए ठीक समय पर प्रस्ताव आरंभ करने के लिए आवधिक रूप से उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को स्मरण कराती रहती है। उच्च न्यायालयों में रिक्त स्थानों को भरना उच्चतर न्यायपालिका के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए सांविधानिक प्राधिकारियों के बीच एक सतत् परामर्शी प्रक्रिया है। जबकि, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, पदत्याग या प्रोन्नति के कारण उत्पन्न विद्यमान रिक्त स्थानों को शीघ्र भरने के लिए हर प्रयास किया जाता है। तथापि, केंद्रीय सरकार एक अति सक्रिय उपाय के रूप में विद्यमान रिक्त स्थानों और साथ ही जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों को भरे जाने के मामले को उच्च न्यायालयों/राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से अनुसरण किया जा रहा है।

विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान करना न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र के भीतर आता है। न्यायपालिका के लिए समर्थ बनाने वाला पर्यावरण सृजित करने के क्रम में सरकार ने राष्ट्रीय न्याय प्रदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना की है। मुख्य पहलुओं के अधीन अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए अवसंरचना विकास के लिए राष्ट्रीय मिशन और न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जाना है। केंद्रीय सरकार ने पिछले तीन वर्ष में न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय परिसरों और आवासीय इकाईयों के उन्नयन/संरचना के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों को 2198 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का उपबंध किया है। ई-न्यायालय परियोजना के अधीन 31 मार्च, 2014 को 13,227 न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जाना डाकेट में मामलों के प्रबंधन के अधिक नियंत्रण करने के लिए न्यायालयों को समर्थ बनायेगा। यह मुकदमेबाजों और वकीलों को अभिहित की गई सुविधाएं भी प्रदान करेगा। न्यायालयों में सरकारी मुकदमों को कम करने के क्रम में क्रेंद्रीय सरकार उनकी मुकदमा नीतियों को अभिनिश्चित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करती है जिसमें निष्फल मामलों की छटाई करने और वैकल्पिक प्रक्रिया के माध्यम से विवाद संकल्प का संवर्धन करने के लिए उपलब्ध अन्तर्विष्ट किए गए हैं। सरकार समुचित नीति को अंगीकृत करने और ऐसे मुकदमेबाजों को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक प्रवृत्त क्षत्रों में समुचित विधायी उपाय को भी देख रही है।

विवरण-I

वर्ष 2011, 2012 और 2013 में उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

क्र. सं.	न्यायालयों के नाम	31.12.2011 को लंबित मामले	31.12.2012 को लंबित मामले	31.12.2013 को लंबित मामले
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद	1005527	1008679	1043398
2.	आंध्र प्रदेश	198214	210101	232459
3.	बम्बई	362885	341969	349837
4.	कलकत्ता	347154	362131	280006
5.	दिल्ली	61210	62352	64652
6.	गुजरात	82232	76009	91953
7.	गुवाहाटी	53255	52873	40912

1	2	3	4	5
7.	हिमाचल प्रदेश	49541	55597	60073
9.	जम्मू और कश्मीर	82223	82306	93038
10.	कर्नाटक	172088	183852	196972
11.	केरल	128777	124061	132159
12.	मद्रास	473736	500374	557479
13.	मध्य प्रदेश	229336	248157	261611
14.	ओडिशा	301314	332910	206822
15.	पटना	118964	119191	132155
16.	पंजाब और हरियाणा	243666	251120	262760
17.	राजस्थान	281306	292551	307640
18.	सिक्किम	67	63	120
19.	उत्तराखंड	19263	20187	20686
20.	छत्तीसगढ़	50163	47751	44139
21.	झारखंड	61277	61957	72958
22.	त्रिपुरा*	—	—	5834
23.	मणिपुर*	—	—	3853
24.	मेघालय*	—	—	1189
	योग	4322198	4434191	4462705

*तीन नये उच्च न्यायालयों का प्रचालन 23 मार्च, 2013 को अधिसूचित किया गया था।

विवरण-II

वर्ष 2011, 2012 और 2013 में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामले

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011	2012	2013
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	945737	924943	983882
2.	अरुणाचल प्रदेश	6305	6200	6076

1	2	3	4	5
3.	असम	259596	253428	248472
4.	बिहार	1607306	1711380	1807782
5.	छत्तीसगढ़	271406	272523	269116
6.	गोवा	30057	30131	31703
7.	गुजरात	2183026	2174691	2226371
8.	हरियाणा	588812	564285	555669
9.	हिमाचल प्रदेश	189549	224563	258791
10.	जम्मू और कश्मीर	206308	191144	175647
11.	झारखंड	292215	299265	307853
12.	कर्नाटक	1128996	1138703	1190335
13.	केरल	1060056	1240164	1354379
14.	मध्य प्रदेश	1089195	1091221	1097658
15.	महाराष्ट्र	3275954	2977306	2884398
16.	मणिपुर	9844	14381	12907
17.	मेघालय	3181	4103	4441
18.	मिज़ोरम	4412	3569	3100
19.	नागालैंड	4405	3586	3318
20.	ओडिशा	1153517	1185763	1134448
21.	पंजाब	553202	537064	523759
22.	राजस्थान	1451368	1446129	1451881
23.	सिक्किम	1194	1077	845
24.	तमिलनाडु	1183249	1232469	1288315
25.	त्रिपुरा	48251	55895	69715
26.	उत्तर प्रदेश	5798048	5792331	5604985
27.	उत्तराखंड	145734	164495	152654

1	2	3	4	5
28.	पश्चिमी बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2644869	2605371	2572667
29.	चंडीगढ़	60116	49955	59712
30.	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	4977	7249	4712
31.	दिल्ली	758478	656587	522167
32.	लक्षद्वीप	239	291	354
33.	पुदुचेरी	26705	28941	30749
	योग	26986307	26889203	26838861

विवरण-III

भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या, कार्यरत पदसंख्या और रिक्त पदों की स्थिति

(01.07.2014 को)

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	स्वीकृत पदसंख्या			कार्यरत पदसंख्या			स्वीकृत पदसंख्या के अनुसार रिक्त पदों की स्थिति		
अ	भारत का उच्चतम न्यायालय	31			28			03		
आ	उच्च न्यायालय	स्थायी	अतिरिक्त	योग	स्थायी	अतिरिक्त	योग	स्थायी	अतिरिक्त	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	इलाहाबाद	76	84	160	64	24	88	12	60	72
2.	आंध्र प्रदेश	33	16	49	16	15	31	17	01	18
3.	बम्बई	48	27	75	41	23	64	07	04	11
4.	कलकत्ता*	45	13	58	26	13	39	19	0	19
5.	छत्तीसगढ़	06	12	18	05	08	13	01	04	05
6.	दिल्ली	29	19	48	27	11	38	02	08	10
7.	गुवाहाटी	17	07	24	10	03	13	07	04	11
8.	गुजरात	29	13	42	24	07	31	05	06	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	हिमाचल प्रदेश	07	04	11	05	03	08	02	01	03
10.	जम्मू और कश्मीर	09	05	14	08	02	10	01	03	04
11.	झारखंड	10	10	20	09	01	10	01	09	10
12.	कर्नाटक	33	17	50	28	05	33	05	12	17
13.	केरल	27	11	38	26	09	35	01	02	03
14.	मध्य प्रदेश	32	11	43	23	09	32	09	02	11
15.	मद्रास	45	15	60	36	08	44	09	07	16
16.	मणिपुर	04	0	04	02	0	02	02	0	02
17.	मेघालय	03	0	03	03	0	03	0	0	0
18.	ओडिशा*	17	05	22	16	03	19	01	02	03
19.	पटना	29	14	43	28	07	35	01	07	08
20.	पंजाब और हरियाणा	38	30	68	34	14	48	04	16	20
21.	राजस्थान	32	08	40	19	09	28	13	-01	12
22.	सिक्किम	03	0	03	03	0	03	0	0	0
23.	त्रिपुरा	04	0	04	04	0	04	0	0	0
24.	उत्तराखंड	09	0	09	05	0	05	04	0	04
	योग	585	321	906	462	174	636	123	147	270

विवरण-IV

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या, कार्यरत पदसंख्या और रिक्त पदों की स्थिति

क्र.सं.	उच्च न्यायालय-वार	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या	रिक्त पदों की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद	1922	1738	184
2.	आंध्र प्रदेश	962	816	146
3.	बम्बई	2049	1771	278

1	2	3	4	5
4.	कलकत्ता	994	854	140
5.	दिल्ली	778	484	294
6.	गुजरात	1958	1240	718
7.	गुवाहाटी	498	320	178
8.	हिमाचल प्रदेश	137	131	6
9.	जम्मू और कश्मीर	244	226	18
10.	कर्नाटक	1074	714	360
11.	केरल	427	397	30
12.	मद्रास	993	884	109
13.	मध्य प्रदेश	1421	1227	194
14.	ओडिशा	657	567	90
15.	पटना	1494	878	616
16.	पंजाब और हरियाणा	1315	917	398
17.	राजस्थान	1145	849	296
18.	सिक्किम	18	12	6
19.	उत्तराखंड	257	185	72
20	छत्तीसगढ़	328	285	43
21.	झारखंड	572	407	165
22.	मणिपुर	37	31	6
23.	मेघालय	39	39	0
24.	त्रिपुरा	102	67	35
	योग	19421	15039	4382

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य

*12. **श्री बी.वी. नाईक :**

प्रो. सौगत राय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान तेल विपणन कम्पनियों द्वारा विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में की गई वृद्धि/कमी का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि जैसे पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी उत्पाद-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन उत्पादों के मूल्यों में होने वाली वृद्धि से देश में आम आदमी के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को नियंत्रित करने और आम आदमी को अनुचित भार से राहत प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

पेट्रालियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) दिनांक 26 जून, 2010 से पेट्रोल का मूल्य पहले से ही बाजार निर्धारित कर दिया गया है, तब से, सार्वजनिक क्षेत्र के तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पेट्रोल के मूल्य पर निर्णय लेती हैं और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों और अन्य संबद्ध कारकों में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि/कमी की जाती है। जहां तक डीजल का संबंध है, सरकार ने 18 जनवरी, 2013 से ओएमसीज को प्राधिकृत किया है कि (क) के तत्काल प्रभाव से डीजल के मूल्य में आगामी आदेशों तक (विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में यथा लागू वैट को छोड़कर) 40 पैसे से 50 पैसे के बीच प्रति लीटर प्रति माह की सीमा में खुदरा बिक्री मूल्य में वृद्धि कर सकती हैं और (ख) गैर-राजसहायता प्राप्त बाजार निर्धारित मूल्य पर ओएमसीज के संस्थापनाओं से सीधे थोक आपूर्तियां लेने वाले सभी उपभोक्ताओं को डीजल की बिक्री करे। अप्रैल, 2013 से और उसके आगे राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी और पीडीएस मिट्टी तेल (दिल्ली में), पेट्रोल, डीजल (खुदरा मूल्य में) के मूल्य में संशोधन के ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

जहां तक घरेलू प्राकृतिक गैस का संबंध है सरकार ने घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशा निर्देशों को 30.09.2014 तक स्थगित रखने का निर्णय लिया है। तब तक के लिए, घरेलू रूप से उत्पादित गैस के मूल्य को 31.03.2014 को प्रचलित दरों के अनुसार ही बनाए रखा जाएगा।

(ग) और (घ) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि का आम आदमी पर प्रभाव के संबंध में पेट्रोल अंतिम खपत की एक बड़ी मद है इसलिए इसका स्फीतिकारी प्रभाव सीमित होता है जबकि डीजल के मूल्य वृद्धि का स्फीतिकारी प्रभाव अधिक होता है।

अत्यधिक और अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों के प्रभाव से आम आदमी को बचाने के लिए, सरकार डीजल (खुदरा में) पीडीएस मिट्टी तेल और राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्यों को सतत् रूप से घटाती-बढ़ाती है। जून, 2011 से पीडीएस मिट्टी तेल और राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी के आधार मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है। तथापि, समय-समय पर विभिन्न राज्य विशिष्ट उपकर, डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन, सिंडीग/शंटिग प्रभार उपभोक्ताओं पर लगाये जाते हैं। दिनांक 01.07.2014 से प्रभावी रिफाइनरी द्वारा मूल्य के आधार पर, वर्तमान में ओएमसीज को खुदरा डीजल पर 3.40 रुपये/लीटर, पीडीएस मिट्टी तेल पर 33.07 रुपये/लीटर और राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी पर 449.17 रुपये/सिलिण्डर की अल्प वसूली हो रही है।

विवरण

1 अप्रैल, 2014 से (दिल्ली में) पेट्रोल, डीजल (खुदरा में), पीडीसी मिट्टी तेल और राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) में हुए संशोधन के ब्यौरे

दिनांक	पेट्रोल	डीजल (खुदरा में)	पीडीएस मिट्टी का तेल	राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी (रुपए/14.2 किलो सिलेंडर)
	(रुपए/लीटर)			
1	2	3	4	5
01.04.2013	68.31	48.63	14.96	410.50
02.04.2013	67.29	—	—	—
16.04.2013	66.09	48.67	—	—
01.05.2013	63.09	—	—	—

1	2	3	4	5
11.05.2013	—	49.69	—	—
01.06.2013	63.99	50.25	—	—
16.06.2013	66.39	—	—	—
29.06.2013	68.58	—	—	—
01.07.2013	—	50.26	—	—
02.07.2013	—	50.84	—	—
15.07.2013	70.44	—	—	—
01.08.2013	71.28	51.40	—	—
01.09.2013	74.10	51.97	—	—
14.09.2013	76.06	—	—	—
01.10.2013	72.40	52.54	—	—
01.11.2013	71.02	53.10	—	—
01.12.2013	—	53.67	—	—
11.12.2013	—	—	—	414.00
21.12.2013	71.52	53.78	—	—
04.01.2014	72.43	54.34	—	—
01.02.2014	—	54.91	—	—
01.03.2014	73.16	55.48	—	—
01.04.2014	72.26	55.49	—	—
16.04.2014	71.41	—	—	—
13.05.2014	—	56.71	—	—
01.06.2014	—	57.28	—	—
07.06.2014	71.51	—	—	—
01.07.2014	73.60	57.84	—	—
वर्तमान आरएसपी	73.60	57.84	14.96	414.00

नोट: 1. पेट्रोल के मूल्य आईओसीएल के अनुसार।

रसोई गैस नेटवर्क का विस्तार

***13. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेषकर ओडिशा में कितने रसोई गैस वितरक हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस पहुंचाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ क्या रूपरेखा बनाई गई है; और

(घ) सरकार द्वारा और अधिक क्षेत्रों को इसमें शामिल करने और उपभोक्ताओं को और अच्छी सेवा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) ओडिशा राज्य सहित देश में राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार विद्यमान तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) से (घ) सरकार द्वारा तैयार किए गए विजन-2015 के अनुसार, देश में एलपीजी आबादी की कवरेज 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल है।

विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी नेटवर्क के विस्तार के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना (आरजीजीएलवीवाई) तथा उद्योग विपणन योजनाओं के तहत नियमित स्कीम के तहत एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों की नियुक्तियां कर रही हैं।

दिनांक 01.06.2014 की स्थिति के अनुसार, ओएमसीज ने पूरे देश के 64.7 परिवारों को कवर करते हुए, 10893 नियमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और 3180 आरजीजीएलवीज नियुक्त किए हैं।

ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए ओएमसीज ने कुछ कदम उठाए हैं जो संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

डिस्ट्रीब्यूटरों की राज्य-वार संख्या

(आंकड़े संख्या में)

(दिनांक 01.06.2014 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	ओएमसीज		
		नियमित डिस्ट्रीब्यूटरशिप	आरजीजीएलवी	योग
1	2	3	4	4
1.	चंडीगढ़	27	0	27
2.	दिल्ली	318	0	318
3.	हरियाणा	306	74	380
4.	हिमाचल प्रदेश	128	20	148
5.	जम्मू और कश्मीर	168	12	180
6.	पंजाब	492	91	583
7.	राजस्थान	519	285	804
8.	उत्तर प्रदेश	1397	581	1978

1	2	3	4	4
9.	उत्तराखंड	185	10	195
	उप-योग उत्तर	3540	1073	4613
10.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5	0	5
11.	अरुणाचल प्रदेश	34	9	43
12.	असम	299	41	340
13.	बिहार	429	333	762
14.	झारखंड	185	119	304
15.	मणिपुर	43	13	56
16.	मेघालय	37	0	37
17.	मिज़ोरम	29	17	46
18.	नागालैंड	36	3	39
19.	ओडिशा	242	137	379
20.	सिक्किम	8	2	10
21.	त्रिपुरा	35	9	44
22.	पश्चिम बंगाल	538	166	704
	उप-योग पूर्व	1920	849	2769
23.	छत्तीसगढ़	176	74	250
24.	दादरा और नगर हवेली	2	0	2
25.	दमन और दीव	2	0	2
26.	गोवा	53	0	53
27.	गुजरात	567	44	611
28.	मध्य प्रदेश	637	247	884
29.	महाराष्ट्र	1073	318	1391
	उप-योग पश्चिम	2510	683	3193

1	2	3	4	4
30.	आंध्र प्रदेश	1057	222	1279
31.	कर्नाटक	565	150	715
32.	केरल	447	31	478
33.	लक्षद्वीप	1	0	1
34.	पुदुचेरी	21	1	22
35.	तमिलनाडु	832	171	1003
	उप-योग दक्षिण	2923	575	3498
	अखिल भारत	10893	3180	14073

विवरण-II

ग्राहक सेवा पहल

- विभिन्न शहरों में एसएमएस, आईवीआरएस के माध्यम से रिफिल बुकिंग की सुविधा और वेब आधारित बुकिंग की सुविधा दी जा रही है।
- डाक द्वारा पुष्टि प्राप्त होने में देरी से बचने के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर वाउचर पुष्टि आरंभ की गई है।
- नए कनेक्शन का पंजीकरण इंटरनेट द्वारा किया जा सकता है।
- पारदर्शी पोर्टल की शुरुआत की गई है जिसमें ग्राहक रिफिलों की खपत पैटर्न देख सकता है, शिकायत दर्ज कर सकता है और अपने वितरक के निष्पादन की रेटिंग भी कर सकता है।
- वेबसाइट आधारित वितरकों के सुपुर्दगी तरीके से रेटिंग कार्यान्वित की गई है।
- ग्राहकों द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए एक टॉल फ्री नंबर उपलब्ध कराया गया है जो कि संबंधित एरिया कार्यालयों द्वारा दूर की जाती है।
- एलपीजी ग्राहकों हेतु मोबाइल एप्स विकसित किए गए हैं। मोबाइल फोन से रिफिल बुकिंग, नए कनेक्शन के लिए अनुरोध, डीबीसी अनुरोध, शिकायतें, आपूर्ति का विवरण, हॉटप्लेट की मरम्मत, कनेक्शनों को लौटाने और वितरकों की रेटिंग जैसे कार्य किए जा सकते हैं।
- एरिया कार्यालयों में ग्राहक सेवा कक्षों की स्थापना की गई है जिनके माध्यम से ग्राहक सूचना प्राप्त कर सकता है और अपनी शिकायतों का निवारण करा सकता है।
- ग्राहक सप्ताह में निश्चित दिनों में एरिया प्रबंधकों से मिल सकते हैं, जिनका विवरण एरिया कार्यालयों में लगाया गया है।
- कॉर्पोरेट वेबसाइट के माध्यम से भी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं।
- ग्राहक सेवा सेल और वितरक प्रचालनों को देख रहे संबंधित अधिकारी (नाम, टेलिफोन नं.) का विवरण वितरकों के सभी शोरूमों में प्रदर्शित किया गया है। इस संबंध में समय-समय पर प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में इस आशय के विज्ञापन भी दिए जाते हैं।
- देश के अंतर और अंतरा-कंपनी कनेक्शन सुवाह्यता 484 जिलों में, जहां कहीं संभव है, आरंभ की गई है जिसमें यदि ग्राहक सेवा से संतुष्ट नहीं है तो ग्राहक को अपनी पसंद के अनुसार ऑनलाइन डीलर बदलने का अधिकार होता है।
- यदि व्यक्ति के पास सिलेंडर/प्रेशर रेगुलेटर है और प्राधिकृत ग्राहक का सबस्क्रीप्शन वाउचर (एसवी) है तो ऐसे मामले में कनेक्शनों का नियमन प्राधिकृत कर दिया गया है।
- एसवी धारक की मृत्यु हो जाने पर एलपीजी कनेक्शनों में नाम बदलने की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है।
- ग्राहक के जीवनकाल में परिवार के अंदर एलपीजी कनेक्शन का अंतरण मान्य कर दिया गया है।
- चोरी के कारण गुम हुए एलपीजी उपकरण को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है।

रोजगार कार्यालयों को कैरियर सेंटर के रूप में परिवर्तित करना

***14. श्री राजीव सातव :** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार कार्यालयों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार रोजगार कार्यालयों को कैरियर सेंटरों के रूप में परिवर्तित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा ये कैरियर सेंटर कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे; और

(घ) सरकार द्वारा देश में युवाओं के लिए कौशल विकास सहित रोजगार के और अधिक अवसरों के सृजन हेतु अन्य क्या उपाय किये गये हैं?

खान मंत्री, इस्पात मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) : (क) रोजगार कार्यालयों से विगत पांच वर्षों के एकत्रित आंकड़े निम्नानुसार हैं:—

वर्ष (जन.-दिस.)	पंजीकरण (लाख में)	नियोजन (लाख में)
2008	53.15	3.05
2009	56.94	2.62
2010	61.86	5.10
2011	62.06	4.72
2012	97.22	4.28

उपर्युक्त आंकड़े पंजीकरण में वृद्धि दर्शाते हैं लेकिन रोजगार चाहने वालों का नियोजन नहीं बढ़ रहा है।

(ख) और (ग) सरकार ने विद्यार्थियों एवं रोजगार चाहने वालों को रोजगार संबंधी अन्य सहायता के साथ-साथ परामर्श सेवाएं प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों के सहयोग से रोजगार कार्यालयों को कैरियर सेंटरों के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है।

(घ) विद्यमान सार्वजनिक रोजगार सृजन योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए), स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), के अतिरिक्त सरकार श्रम-सघन विनिर्माण का संवर्धन कर रही है तथा पर्यटन एवं कृषि-आधारित उद्योगों का संवर्धन करके रोजगार अवसरों में वृद्धि कर रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में गैर-कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ नए रोजगार अवसर सृजित किए जाने तथा इतनी ही संख्या में कौशल प्रमाणीकरण प्रदान करने की योजना बनाई गई है। यह भी निर्णय लिया गया है कि जनजातीय उप-योजना की विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए-टीएसपी), अनुसूचित जाति उप-योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए-एसएसपी), बहु-क्षेत्रक सहायता कार्यक्रम निधियों का कम से कम 10% तथा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम निधियों का 5% कौशल विकास तथा युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने में प्रयोग किया जाए।

तेल अन्वेषण परियोजनाएं

***15. मोहम्मद फैज़ल :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार और निजी क्षेत्र की विभिन्न कम्पनियों द्वारा देश में तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कोच्चि-कोंकण क्षेत्र के किन्हीं बड़े तेल भंडारों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्य कोच्चि-कोंकण तट पर तेल अन्वेषण कार्य शुरू कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा तेल के कितने कुओं की ड्रिलिंग की गई एवं इन पर कितना व्यय हुआ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) तथा निजी/संयुक्त उद्यम (नि/सं.उ.) कंपनियां देश में अन्वेषण कार्य कर रही हैं। विगत तीन वर्षों (2011-12 से 2013-14) तथा वर्तमान वर्ष (अप्रैल, 2014 से जून, 2014) के दौरान निम्नलिखित अन्वेषण कार्य किए गए हैं:—

क्षेत्र	2011-12			2012-13			2013-14			2014-15 (जून, 2014 तक)		
	2डी भूकंपीय सर्वेक्षण	3डी भूकंपीय सर्वेक्षण	वेधित कूप	2डी भूकंपीय सर्वेक्षण	3डी भूकंपीय सर्वेक्षण	वेधित कूप	2डी भूकंपीय सर्वेक्षण	3डी भूकंपीय सर्वेक्षण	वेधित कूप	2डी भूकंपीय सर्वेक्षण	3डी भूकंपीय सर्वेक्षण	वेधित कूप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
सार्वजनिक क्षेत्र	15003	12088	159	3932	13805	132	974	9505	121	292	1745	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
नि/सं.उ.	3914	6663	24	679	3513	23	2616	5158	40	0	0	0
योग	18917	18751	183	4611	17318	155	3590	14663	161	292	1745	20

नोट: 2डी भूकंपीय लाइन किलोमीटर में, 3डी भूकंपीय वर्ग किलोमीटर में तथा अन्वेषण कूप संख्या में है।

(ख) और (ग) ओएनजीसी ने वर्ष 1977 में कोच्चि-कोंकण तट सहित केरल-कोंकण अपतट में अन्वेषण कार्यों की शुरुआत की है और तब से, नामांकन तथा उत्पादन हिस्सेदारी व्यवस्था (पीएससी) के दौरान, इसने 1,27,134 लाइन किलोमीटर 2डी तथा 8,880 वर्ग किलोमीटर (वर्ग कि.मी.) के 3डी आंकड़े अर्जित किए हैं तथा 16 अन्वेषी कूपों का वेधन किया है। यह साबित हो गया था कि सभी कूप शुष्क हैं। वर्तमान में ओएनजीसी के पास एक एनईएलपी ब्लॉक (केके-डीडब्ल्यूएन-2005/2) है, जहां इसने क्रमश: 2,515 एलकेएम तथा 730.175 वर्ग कि.मी. के 2डी तथा 3डी भूंकपीय आंकड़ों का अर्जन करते हुए न्यूनतम प्रतिबद्ध अन्वेषी कार्यों को पूरा किया है। अभी तक कोई हाइड्रोकार्बन खोज नहीं की गई है। ओएनजीसी ने इस क्षेत्र में अब तक अन्वेषण संबंधी कार्यों पर 3,104 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है।

ओएनजीसी के अलावा, रिलायन्स इंडिया लिमिटेड (आरईएल) तथा बीएचपी बिलिटन प्राइवेट लिमिटेड ने भी इस क्षेत्र में 8 एनईएलपी ब्लॉकों में अन्वेषण संबंधी कार्य किए हैं। इन कंपनियों ने 25,652 एलकेएम के 2डी भूंकपीय आंकड़े तथा 4,238 वर्ग कि.मी. के 3डी आंकड़ों का अर्जन किया है और 8 अन्वेषी कूपों का वेधन किया है। इन कंपनियों द्वारा वहन किया गया कुल व्यय 135 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। अभी तक इनके द्वारा कोई हाइड्रोकार्बन खोज नहीं की गई है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय

***16. एडवोकेट जोएस जॉर्ज :**
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का विचार झारखंड और केरल सहित देश के विभिन्न भागों में नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ चिन्हित स्थानों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त उद्देश्य के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये चिकित्सा महाविद्यालय कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

खान मंत्री, इस्पात मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) : (क) जी, हां। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) परिपल्ली, केरल में एक चिकित्सा महाविद्यालय सहित देश में विभिन्न स्थानों पर कुछ चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित कर रहा है। झारखंड में चिकित्सा महाविद्यालय अनुमोदित विकास महाविद्यालय परियोजनाओं की सूची में नहीं है।

(ख) चिकित्सा महाविद्यालय परियोजनाओं का स्थान-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ईएसआईसी ने चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं के लिए 12,600 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं।

(घ) चूंकि, चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना वास्तविक अवसंरचना, उपकरण, संकाय की तैनाती और भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा अनुमति-पत्र जारी करने से संबंधित विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के अधीन होती है, अत: विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों के पूरा होने/चालू होने के बारे में कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

विवरण

ईएसआईसी चिकित्सा महाविद्यालय परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	राज्य	चिकित्सा महाविद्यालय
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. सनथ नगर, हैदराबाद*
2.	बिहार	2. बिहटा, पटना*
3.	दिल्ली	3. बसईदारापुर, नई दिल्ली*

1	2		3
4.	पश्चिम बंगाल	4.	जोका, कोलकाता*
5.	हरियाणा	5.	फरीदाबाद*
6.	हिमाचल प्रदेश	6.	मंडी*
7.	कर्नाटक	7.	राजाजीनगर, बेंगलूरु*
8.	कर्नाटक	8.	गुलवर्गा*
9.	केरल	9.	परिपल्ली कोल्लम*
10.	राजस्थान	10.	अलवर*
11.	तमिलनाडु	11.	के.के. नगर, चेन्नई*
12.	तमिलनाडु	12.	कोयम्बटूर*
13.	उत्तर प्रदेश	13.	कानपुर**
14.	राजस्थान	14.	झुनझुनु**
15.	केरल	15.	मावेलीक्कारा**
16.	ओडिशा	16.	भुवनेश्वर***
17.	उत्तराखंड	17.	हरिद्वार#
18.	महाराष्ट्र	18.	मुलुंद, थाणे#
19.	मध्य प्रदेश	19.	नंदनगर, इंदौर#
20.	गुजरात	20.	नरोदा, अहमदाबाद#
21.	पश्चिम बंगाल	21.	बाल्टिकुरी, कोलकाता#

* निर्माणाधीन

** निगम द्वारा ये तीन स्थान इस शर्त के साथ अनुमोदित किए गए थे कि इस संबंध में आगे की कार्रवाई, "ईएसआईसी चिकित्सा महाविद्यालयों में दाखिला चाहने वाले विद्यार्थियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले बांड सहित चिकित्सा शिक्षा के बारे में श्वेत पत्र" पर निगम के निर्णय के अध्यधीन की जाएगी। इस मुद्दे की जांच करने के लिए निगम ने अपने अध्यक्ष को त्रिपक्षीय समिति का गठन करने के लिए प्राधिकृत किया है।

*** केवल चार दिवारी निर्मित है तथा महाविद्यालय का निर्माण कार्य किसी एजेंसी को नहीं दिया गया है।

निगम ने निर्णय लिया कि इन परियोजनाओं को चालू परियोजनाओं के पूरा होने तक स्थगित रखा जाए तथा इन परियोजनाओं पर कोई नया व्यय नहीं किया जाए।

डाकघरों का आधुनिकीकरण

***17. श्री प्रताप सिम्हा : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अनेक डाकघरों का आधुनिकीकरण, कम्प्यूटरीकरण और उन्नयन किया है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आधुनिकीकृत/उन्नयन किए गए डाकघरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में डाकघरों आधुनिकीकरण/उन्नयन हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) शेष डाकघरों को कब तक आधुनिकीकृत/उन्नत/कम्प्यूटरीकृत किए जाने की संभावना है; और

(घ) देश में सभी डाकघरों की आधुनिकीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, हां। सरकार विभागीय डाकघरों का चरणबद्ध रूप से आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण कर उन्नयन कर रही है। विभाग ने डाकघरों की 'लुक एवं फील' में सुधार हेतु अप्रैल, 2008 में 'प्रोजेक्ट ऐरो' की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रांडिंग, आईटी और मानव संसाधनों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। साथ ही सेवाओं जैसे कि मेल डिलिवरी, धन-प्रेषण, बचत बैंक और कार्यालय के सेवा स्तर की गुणवत्ता में सुधार कर 'कोर प्रचालनों' के अंतर्गत कोर क्षेत्रों में सुधार लाया जा रहा है।

सभी विभागीय डाकघरों को भी कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है।

I. पिछले तीन वर्षों में प्रोजेक्ट ऐरो के 'लुक एवं फील' कार्यकलाप के अधीन आधुनिकीकृत किए गए डाकघरों का सर्किल-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	सर्किल का नाम	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	15	48	8
2.	असम	05	18	2
3.	बिहार	15	48	2

1	2	3	4	5
4.	छत्तीसगढ़	00	15	2
5.	दिल्ली	05	25	5
6.	गुजरात	15	48	3
7.	हरियाणा	05	22	2
8.	हिमाचल प्रदेश	03	15	2
9.	जम्मू और कश्मीर	02	20	5
10.	झारखंड	02	10	4
11.	कर्नाटक	11	49	3
12.	केरल	10	35	2
13.	मध्य प्रदेश	07	48	3
14.	महाराष्ट्र	20	49	3
15.	पूर्वोत्तर	03	64	24
16.	ओडिशा	08	20	2
17.	पंजाब	00	35	2
18.	राजस्थान	25	50	3
19.	तमिलनाडु	10	49	3
20.	उत्तर प्रदेश	25	49	3
21.	उत्तराखंड	05	14	5
22.	पश्चिम बंगाल	16	49	12
	कुल	207	780	100

II. पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्प्यूटरीकृत किए गए डाकघरों का सर्किल-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	सर्किल का नाम	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	60	0	शून्य*
2.	असम	0	0	शून्य*
3.	बिहार	88	46	
4.	छत्तीसगढ़	9	3	
5.	दिल्ली	33	3	
6.	गुजरात	67	2	
7.	हरियाणा	35	1	
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	
9.	जम्मू और कश्मीर	34	0	
10.	झारखंड	24	12	
11.	कर्नाटक	4	0	
12.	केरल	70	0	
13.	मध्य प्रदेश	16	6	
14.	महाराष्ट्र	138	5	
15.	पूर्वोत्तर	13	0	
16.	ओडिशा	7	0	
17.	पंजाब	3	1	
18.	राजस्थान	47	14	
19.	तमिलनाडु	63	30	
20.	उत्तर प्रदेश	175	27	
21.	उत्तराखंड	9	0	
22.	पश्चिम बंगाल	59	26	
	कुल	954	176	

*सभी विभागीय डाकघर कम्प्यूटरीकृत कर दिए गए हैं।

(ख) आधुनिकीकरण हेतु निर्धारित लक्ष्यों को योजनागत निधियों की उपलब्धता के अनुरूप प्राप्त कर लिया गया है।

11वीं योजना के दौरान, प्रोजेक्ट ऐरो के अंतर्गत 1759 डाकघरों के लक्ष्य की तुलना में 1735 डाकघरों का आधुनिकीकरण किया गया। लक्ष्य

प्राप्ति में मामूली कमी योजनागत निधियों में कटौती के परिणामस्वरूप रही।

12वीं योजना के दौरान, प्रोजेक्ट ऐरो के अधीन 284.00 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2,500 डाकघरों का आधुनिकीकरण प्रस्तावित है। 12वीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान, प्रोजेक्ट ऐरो के अधीन 880 डाकघरों का आधुनिकीकरण किया गया है। इस प्रकार, अब तक 11वीं एवं 12वीं योजना के अधीन, 2615 डाकघरों का आधुनिकीकरण किया जा चुका है।

(ग) और (घ) सभी विभागीय डाकघर कम्प्यूटरीकृत कर दिए गए हैं। डाकघरों के इंफ्रास्ट्रक्चर और 'लुक एवं फील' में सुधार द्वारा आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है जो कि निधियों की उपलब्धता पर निर्भर है।

महिला आरक्षण विधेयक

***18. श्री पी.के. बिजू :** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने संबंधी राज्य सभा द्वारा पारित संविधान (एक सौ आठवां संशोधन) विधेयक अभी भी लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विधेयक की वर्तमान स्थिति क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) संविधान (एक सौ आठवां संशोधन) विधेयक, 2008, राज्य सभा में 6 मई, 2008 को पुर:स्थापित किया गया था, जो 15 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा सहित लोक सभा और राज्य की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थानों के आरक्षण का उपबंध करने के लिए था। राज्य सभा ने, उक्त विधेयक, 9 मार्च, 2010 को पारित किया था; परन्तु इसे पंद्रहवीं लोक सभा द्वारा पारित नहीं किया जा सका। उक्त विधेयक पंद्रवहीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हो गया।

[हिन्दी]

असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु कल्याण

***19. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों हेतु कार्यान्वित की जा रही कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार समाचार-पत्र विक्रेताओं, महिलाओं और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत सभी कामगारों का पंजीकरण सुनिश्चित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए क्या तंत्र स्थापित किया गया है?

खान मंत्री, इस्पात मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) : (क) असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए, सरकार ने "असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008" अधिनियमित किया। यह अधिनियम, अन्य बातों के साथ-साथ, असंगठित कामगारों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाने नामत: जीवन एवं अपंगता कवर, स्वास्थ्य एवं प्रसूति प्रसुविधाएं, वृद्धावस्था संरक्षण तथा सरकार द्वारा यथा निर्धारित किसी अन्य प्रसुविधा हेतु प्रावधान करता है। अधिनियम की अनुसूची-I में उल्लिखित योजनाएं निम्नानुसार हैं:—

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना।
2. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना।
3. जननी सुरक्षा योजना।
4. हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना।
5. हस्तशिल्प शिल्पी व्यापक कल्याण योजना।
6. प्रधान शिल्पकार पेंशन।
7. राष्ट्रीय मछुवारा कल्याण एवं प्रशिक्षण तथा विस्तार योजना।
8. जनश्री बीमा योजना (अब आम आदमी बीमा योजना में सम्मिलित)।
9. आम आदमी बीमा योजना।
10. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना।

(ख) और (ग) वर्तमान में असंगठित क्षेत्र में सभी कामगारों को पंजीकृत करने की कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय एयरलाइन सेवाएं

***20. श्री एंटो एंटोनी :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में क्षेत्रीय एयरलाइन सेवाओं को शुरू करने में गहन रुचि दर्शाने वाला निजी फर्मों/राज्य सरकारों की ओर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में कतिपय निजी फर्मों/राज्यों विशेषकर केरल से आवेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्षेत्रीय एयरलाइन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार की क्या कार्य योजना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अशोक गजपति राजू) : (क) और (ख) सरकार को कतिपय निजी फर्मों से क्षेत्रीय एयरलाइनें आरंभ करने के लिए कतिपय आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। हाल ही में दो फर्मों को अनुसूचित क्षेत्रीय विमान परिवहन सेवाएं आरंभ करने के लिए आरंभिक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्रदान किए गए हैं यथा (i) दिनांक 24.06.2014 को एयर कार्निवल (दक्षिण क्षेत्र) तथा (ii) दिनांक 30.06.2014 को जाव एयरवेज (पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्र)। तथापि, केरल से क्षेत्रीय विमान सेवाएं आरंभ करने के लिए कोई आवेदन लंबित नहीं है।

(ग) क्षेत्रीय एयरलाइन सेवाएं प्रचालित करने के इच्छुक पार्टियों को मौजूदा नियमों के अनुसार अनुमति प्रदान की जाती है। क्षेत्रीय एयरलाइन सेवाएं क्षेत्रीय संपर्कता को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाती हैं, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और उन्हें राज्यों द्वारा समर्थन प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

कच्चा तेल उत्पादन

1. **श्री ए.टी. नाना पाटील : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उत्पादित किए जा रहे कच्चे तेल की मात्रा कितनी है और देश में कच्चे तेल की कितनी मात्रा की आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कच्चे तेल भंडारों के अन्वेषण हेतु कोई योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) वर्ष 2013-14 के दौरान कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन 37.80 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) था। वर्ष 2013-14 के दौरान देश में कुल परिशोधन क्षमता 215.07 एमएमटी थी।

(ख) और (ग) तेल और गैस अन्वेषण व उत्पादन की गति को और बढ़ाने के लिए, सरकार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से अन्वेषण रकबों की पेशकश कर रही है। अब तक, जमीनी और अपततटीय क्षेत्रों में नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के बोली दौरों के अंतर्गत 254 ब्लॉक तथा पूर्व एनईएलपी के तहत 28 ब्लॉकों को शामिल करते हुए कुल 282 अन्वेषण ब्लॉक प्रदान किए गए हैं। प्रदान किए गए ब्लॉकों में अन्वेषण के परिणामस्वरूप वृद्धि तथा कच्चे तेल भंडारों के उत्पादन के तौर पर निम्नलिखित लाभ प्राप्त किए गए हैं:—

(i) अब तक, प्रदान किए गए ब्लॉकों में कुल 90 तेल खोजें की गई हैं, जिनमें राजस्थान में आरजे-ओएन-90/1 ब्लॉक में की गई बड़ी तेल खोजें शामिल हैं।

(ii) दिनांक 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार 376.22 मिलियन मीट्रिक टन तेल के तत्स्थान तेल भंडार की वृद्धि दर्ज की गई है।

(iii) राजस्थान में ब्लॉक आजे-ओएन-90/1 से बढ़ते हुए तेल उत्पादन के अंशदान के कारण मुख्यत: उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत वर्ष 2011-12 में 10.53 मि.मी.ट. कच्चे तेल का उत्पादन वर्ष 2013-14 में बढ़कर 12.08 मि.मी.ट. हो गया।

इसके अलावा, देश में तेल और गैस अन्वेषण तथा उत्पादन क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित नीतिगत उपाय किए गए हैं:—

- नामांकन व्यवस्था रकबों में शेल तेल और गैस संसाधनों के अन्वेषण व दोहन के लिए राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसीज) के लिए भारत सरकार द्वारा अक्तूबर, 2013 में शेल गैस और शेल तेल नीति की घोषणा करना।
- अन्वेषण अवधि की समाप्ति के बाद संविदाकारों द्वारा अपने अधिकार में खनन पट्टा (एमएल) क्षेत्रों में अन्वेषण हेतु नीति बनाना।
- गैर-अन्वेषित तलछटीय बेसिन के आकलन के लिए गैर-अनन्य बहु-ग्राहक अनुमान सर्वेक्षण पर नीति बनाना।

मोबाइल टावरों की स्थापना

2. **श्री देवजी एम. पटेल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के जालौर-सिरोही जिलों सहित देश के प्रमुख शहरों की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की स्थापना किए

जाने के कारण कैंसर जैसे घातक रोगों के फैलाने का खतरा बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन क्षेत्रों से इन टावरों को हटाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राजस्थान के सभी विद्यालयों और अस्पताल परिसरों में लगाए गए मोबाइल टावरों को हटा दिया गया;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और जन स्वास्थ्य (बेस स्टेशन और बेतार प्रौद्योगिकियों) के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अपनी फैक्ट सीट संख्या 304, मई, 2006 में यह निष्कर्ष निकाला है कि "बहुत कम प्रभाव स्तर और अभी तक एकत्र किए गए अनुसंधान परिणामों पर विचार करने के बाद ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है कि बेस स्टेशनों और बेतार नेटवर्क से कमजोर रेडियो फ्रीक्वेंसी सिगनल के कारण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।" अब तक एकत्र सभी साक्ष्यों से पता चलता है कि बेस स्टेशनों (मोबाइल फोन टावर) द्वारा उत्सर्जित रेडिया फ्रीक्वेंसी सिगनलों से स्वास्थ्य पर कोई अल्पावधिक या दीर्घावधिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिफारिश की है कि "राष्ट्रीय प्राधिकरणों को रेडियो फ्रीक्वेंसी क्षेत्र के प्रतिकूल स्तरों से अपने नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक अपनाने चाहिए। उन्हें ऐसे क्षेत्रों जहां ऐसी प्रभाव सीमा अधिक हो में अभिगम को प्रतिबंधित करना चाहिए।" विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय गैर-आयनीकरण विकिरण संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आयोग (आईसीएनआईआरपी) द्वारा तैयार किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव दिशा-निर्देशों का उल्लेख किया है। दूरसंचार विभाग ने मोबाइल टावरों से उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकिरण के लिए कड़ी एहतियाती सीमा पहले ही निर्धारित कर दी है। भारत में बेस स्टेशन से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकिरण के लिए मौजूदा निर्धारित सीमा आईसीएनआईआरपी की अंतर्राष्ट्रीय निर्धारित सीमा की 1/10 है।

इसके अलावा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ में दायर एक रिट याचिका में माननीय न्यायालय ने दिनांक 10.01.2012 के आदेश के तहत आईआईटी बाम्बे, खड़गपुर, कानपुर, दिल्ली, रूड़की के सदस्यों और एम्स (दिल्ली), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् जैसी देश की अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं के प्रमुख सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया था, जिसने दिनांक 17.01.2014 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। जनता के बीच उठाए जा रहे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकिरण के कारण उत्पन्न होने वाली मानव स्वास्थ्य चिंताओं और समिति की रिपोर्ट पर विधिवत् रूप से विचार करने के उपरांत सरकार ने फरवरी, 2014 में यह निर्णय लिया है कि मौजूदा एहतियाती विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की सुरक्षित प्रभाव सीमा पर्याप्त है और इस स्तर पर इसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

मोबाइल टावर के विद्युत चुंबकीय विकिरण के निर्धारित कड़े एहतियाती मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार विभाग की दूरसंचार प्रवर्तन संसाधन और निगरानी (टर्म) क्षेत्र इकाई द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और बेस ट्रांसीवर स्टेशनों द्वारा प्रस्तुत व्यापक अनुपालन स्वप्रमाण-पत्र की गहन जांच की जा रही है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव को कम करने और टावर क्षेत्र में आने वाले सामान्य जन क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए टर्म प्रकोष्ठ द्वारा यह कार्रवाई नियमित आधार पर की जाती है। इस प्रकार की जांच राजस्थान लाइसेंस सेवा क्षेत्र के जालौर और सिरोही जिलों सहित देश में सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में की जाती है। यदि किसी बीटीएस स्थल को निर्धारित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बीटीएस स्थलों को बंद करने के साथ-साथ प्रति बीटीएस प्रति उल्लंघन 10 लाख रुपए का अर्थदंड लगाने की कार्रवाई की जाती है।

राजस्थान के जालौर और सिरोही जिलों में दूरसंचार विभाग की राजस्थान क्षेत्रीय टर्म इकाई ने दिनांक 31.05.2014 तक नमूना आधार पर 77 बीटीएस की यादृच्छिक जांच की है और यह पाया गया कि सभी स्थल दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित विकिरण मानदंडों का अनुपालन कर रहे हैं। बेस ट्रांसीवर स्टेशन (मोबाइल टावर) से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकिरण के संबंध में माउंट आबू, सिरोही से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इसकी जांच राजस्थान की क्षेत्रीय टर्म इकाई द्वारा की गई और जिसे दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित विकिरण मानदंडों का पालन करते हुए पाया गया।

(घ) से (च) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 2774/12 में अन्य बातों के साथ-साथ 2 महीनों के भीतर अस्पतालों और स्कूल परिसरों से मोबाइल टावर हटाने का निदेश दिया था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 22.08.2012 के अंतरिम आदेश का अनुपालन करते हुए राजस्थान के सभी स्कूल परिसरों में संस्थापित 204 मोबाइल टावरों हटा लिया गया है। तथापि, अस्पतालों में संस्थापित मोबाइल टावरों को हटाने के संबंध में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 21.01.2013 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने की समय-सीमा को 2 माह तक के लिए बढ़ा

दिया है। तदुपरांत, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अगले आदेश होने तक इस समय-सीमा को बढ़ा दिया है और यह मामला न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

डाक सेवाओं का राजस्व अर्जन

3. **डॉ. ए. सम्पत :**
श्री पी.के. बिजू :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक सेवाओं के राजस्व अर्जन में निरंतर कमी आ रही है और प्रत्येक आगामी वर्ष में सरकार द्वारा लक्ष्यों को कम किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डाक विभाग द्वारा कितना राजस्व अर्जन और व्यय किया गया;

(ग) बाजार हिस्सेदारी में कमी, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं और भारतीय डाक को कितना घटा हुआ है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, नहीं। डाक सेवाओं के राजस्व अर्जन में प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है और सरकार द्वारा प्रत्येक आगामी वर्ष के लिए लक्ष्यों में निम्नानुसार वृद्धि की गई:—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	राजस्व लक्ष्य	राजस्व प्राप्ति
2011-12	7522.02	7899.40
2012-13	8762.75	9366.50
2013-14	9787.52	10720.94

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

न्यूनतम मजदूरी की अदायगी न करना

4. **श्री के.सी. वेणुगोपाल :** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कुल कार्यरत कर्मकारों में महिलाओं का प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या सरकार को मजदूरी में भारी विषमता और समान कार्य की समान प्रकृति के बावजूद महिला कर्मकारों को समान न्यूनतम मजदूरी नहीं दिए जाने और कार्य के अधिक घंटों की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा मजदूरी में विषमताओं और महिला कर्मकारों के हितों के संरक्षण विशेषकर मजदूरी संबंधी समस्याओं के समाधान और उससे निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) देश में संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के रोजगार में दोनों को मिलाकर लगभग 27.30 प्रतिशत महिला कामगार नियोजित हैं।

(ख) से (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में पुरुष तथा महिला कामगारों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इस अधिनियम के सभी उपबंध पुरुष तथा महिला कामगार दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं।

इस मंत्रालय में महिला कामगारों को समान न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने से संबंधित कोई विशेष सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

न्यायिक नियुक्ति आयोग

5. **श्री आर. ध्रुवनारायण :** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यायिक नियुक्ति आयोग (जेएसी) का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं; और

(ग) अभी तक जेएसी द्वारा क्या कार्य किये गये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार ने, न्यायिक नियुक्ति आयोग (जेएसी) की स्थापना के द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए विद्यमान प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए राज्य सभा में 'संविधान (एक सौ बीसवां संशोधन) विधेयक, 2013' और 'न्यायिक नियुक्ति आयोग

विधेयक, 2013' नामक दो विधेयक राज्य सभा में पुर:स्थापित किए थे। विधेयकों का उद्देश्य नियुक्ति की प्रक्रिया को व्यापक आधार देना और उच्चतर न्यायपालिका की नियुक्तियों में व्यापक पारदर्शिता और वास्तविकता सुनिश्चित करने की दृष्टि से अधिक भागीदारी बनाना था। न्यायिक नियुक्ति आयोग की अध्यक्षता, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा की जाएगी और यह ज्येष्ठता में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से बाद के उच्चतम न्यायालय के दो अन्य न्यायाधीशों, विधि और न्याय के भारसाधक संघ मंत्री तथा प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा लोक सभा में विरोधी दल के नेता से मिलकर बनाने वाले कालेजियम द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले दो विख्यात व्यक्ति से मिलकर बनेगा। ऐसे विख्यात व्यक्तियों में से एक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के मध्य से चक्रानुक्रम के द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा।

'संविधान (एक सौ बीसवां संशोधन) विधेयक, 2013' को, जो कि न्यायिक नियुक्ति आयोग के लिए एक समर्थकारी विधान है, संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2013 के रूप में 5 सितम्बर, 2013 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था। तथापि, 'न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2013' को कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति (पीएससी) को समीक्षा के लिए निर्देशित किया गया था।

संसदीय स्थायी समिति ने न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2013 पर अपनी रिपोर्ट संसद् में तारीख 9 दिसंबर, 2013 को प्रस्तुत कर दी थी। रिपोर्ट की समीक्षा के पश्चात्, संविधान (एक सौ बीसवां संशोधन) विधेयक, 2013 और न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2013 में आवश्यक संशोधन किए गए थे। तथापि, विधेयकों पर संसद् के अंतिम सत्र में विचार नहीं किया जा सका। संविधान (एक सौ बीसवां संशोधन) विधेयक, 2013 पन्द्रहवीं लोक सभा के विघटन के परिणामस्वरूप व्यपगत हो गया। न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2013 राज्य सभा में लंबित है। न्यायिक नियुक्ति आयोग अब तक स्थापित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी

6. श्री देवजी एम. पटेल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश के ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क और पर्याप्त कवरेज प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान राज्य के जालौर-सिरोही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अहोर कस्बे सहित जालौर जिले के विभिन्न टावरों में दीर्घकालिक तकनीकी समस्या के कारण मोबाइल सेवाएं और बेसित टेलीफोन सेवाएं बंद रहती हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। देश के ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) की वित्तीय सहायता से विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।

(i) ऐसे गांवों अथवा गांवों के समूहों, जिनकी जनसंख्या 2000 अथवा इससे अधिक है और उनमें मोबाइल कवरेज उपलब्ध नहीं है, में साझा मोबाइल अवसंरचना स्कीम के अंतर्गत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) की वित्तीय सहायता से 7317 मोबाइल टॉवर संस्थापित किए गए हैं। इस प्रकार सृजित अवसंरचना का मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए तीन सेवा प्रदाताओं द्वारा साझा उपयोग किया जा सकता है। सेवा प्रदाताओं द्वारा मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए इन टॉवरों पर 16,254 बीटीएस (बेस ट्रांसीवर स्टेशन) चालू किए गए हैं।

(ii) सरकार ने आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों, जो कि वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित हैं, में गृह मंत्रालय द्वारा अभिनिर्धारित 2199 स्थलों पर मोबाइल टॉवर संस्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को इस कार्य के निष्पादन के लिए नामित किया गया है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) और प्रचालन व्यय (ओपेक्स) निवल राजस्व का पांच वर्षों के लिए वित्तपोषण किया जाएगा।

(iii) दूरसंचार आयोग ने दिनांक 13.06.2014 को आयोजित अपनी बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए

5336.18 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत वाली एक व्यापक दूरसंचार विकास योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

(iii) दूरसंचार आयोग ने दिनांक 13.06.2014 को आयोजित अपनी बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए 5336.18 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत वाली एक व्यापक दूरसंचार विकास योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

(iv) दूरसंचार आयोग ने दिनांक 13.06.2014 को आयोजित अपनी बैठक में सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओएफ) की वित्तीय सहायता से बिना कवरेज वाले गांवों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की स्कीम को "सिद्धांत रूप में" मंजूरी प्रदान कर दी है और यह निदेश दिया है कि इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाए।

(ग) दूरसंचार विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, इस समय जालौर जिले के 22 गांवों तथा सिरोही जिले के 52 गांवों में मोबाइल कवरेज नहीं है। इस समय 149 बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) चालू हालत में हैं और बीएसएनएल की जालौर तथा सिरोही जिलों में 140 अतिरिक्त बीटीएस (बेस ट्रांसीवर स्टेशन) संस्थापित करने की योजना है।

(घ) बीएसएनएल ने सूचित किया है कि ऐसा कोई मामला जानकारी में नहीं आया है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त भाग (घ) को ध्यान में रखते हुए, लागू नहीं।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के लिए पैकेज

7. **मोहम्मद फैज़ल :** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स इकाई के लिए कोई वित्तीय सहायता/पैकेज प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु आबंटित निधियों को जारी कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां। आर्थिक कार्यों से संबंधित मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 28.2.2014 को हुई अपनी बैठक में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि., बेंगलूर को वित्तीय सहायता/पैकेज का अनुमोदन कर दिया है जिसमें केरल की इकाई भी शामिल है।

(ख) इसका ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है:—

(i) कार्यशील पूंजी के प्रयोजनार्थ योजनेतर ऋण के रूप में 75 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करना।

(ii) 1997 के वेतन संशोधन को लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों में एक बार छूट के साथ अनुमोदन की तारीख से कार्यान्वित करना।

(iii) 1997 के वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के अतिरिक्त प्रभाव के प्रति 7% वार्षिक व्याज दर पर 61.04 करोड़ रुपए का योजनेत्तर ऋण 2 वर्ष की अवधि में [प्रथम वर्ष (2014-15) के लिए 29.34 करोड़ रुपए और द्वितीय वर्ष (2015-16) के लिए 31.70 करोड़ रुपए] का प्रावधान करना।

(iv) लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों में छूट देते हुए किसी वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के 10% की सीमा तक कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने हेतु कंपनी के बोर्ड को अधिकार प्रदान करना। इस संबंध में, कंपनी द्वारा भारी उद्योग विभाग के परामर्श से दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे।

(v) पूर्ववर्ती पुनरुद्धार योजना के दौरान स्वीकृत की गई प्रौद्योगिकी अधिप्राप्ति एवं उन्नयन निधि के तहत कंपनी के पास उपलब्ध खर्च न की गई शेष राशि के उपयोग के लिए समय-सीमा को 5 वर्ष बढ़ाना और प्रशिक्षण तथा पुन: प्रशिक्षण के लिए खर्च न की गई 2.63 करोड़ रुपए की शेष राशि के उपयोग के लिए समय-सीमा को 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाना आवश्यक होगा।

(vi) सरकारी ऋण पर 38.58 करोड़ रुपए की ब्याज राशि (31.03.2014 तक परिकल्पित) को माफ करना।

(ग) और (घ) इस उद्देश्य के लिए अलग से कोई निधि आबंटित नहीं की गई है। तथापि, वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधानों के अंतर्गत निधियां जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

हैलीकॉप्टर सेवाएं

8. श्री नलीन कुमार कटील : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हैलीकॉप्टरों के वर्तमान प्रचालनों में बढ़ोत्तरी करने और विशेषकर छोटे शहरों में हवाई संपर्क में सुधार हेतु देश के विभिन्न स्थानों पर और हैलीपोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु चिन्हित स्थानों का कर्नाटक सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) छोटे शहरों में नियमित हैलीकॉप्टर सेवाएं कब तक आरंभ होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विमानन क्षेत्र से राजस्व

9. श्री एम.बी. राजेश :
डॉ. ए. सम्पत :
श्री पी.के. बिजू :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विमानन क्षेत्र से सरकार को, अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान सरकार को अर्जित राजस्व विमानन क्षेत्र द्वारा दर्ज की गई वृद्धि के समरूप नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

मोबाइल टावरों की स्थापना

10. श्री हंसराज गंगाराम अहीर : *क्या* **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा और बम-विस्फोट की घटनाओं में नष्ट हुए मोबाइल टावरों के कारण बड़ी संख्या में मोबाइल सेवाओं के कार्य नहीं करने की सूचना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टावरों के क्षतिग्रस्त होने को देखते हुए सरकार ने मोबाइल सेवाओं को प्रभावी ढंग से पुनः चालू करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा और बम-विस्फोट की घटनाओं में 42 मोबाइल टावर नष्ट हुए थे।

(ख) इससे संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विभिन्न प्रचालकों ने नियमित रखरखाव कार्यकलाप के भाग के रूप में क्षतिग्रस्त टावरों को पुनः चालू करने के लिए कदम उठाए हैं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा और बम-विस्फोट की घटनाओं में नष्ट हुए मोबाइल टावरों का ब्यौरा इस प्रकार है

क्र.सं.	प्रचालक का नाम	लाइसेंस सेवा क्षेत्र का नाम	नष्ट हुए टावरों की संख्या
1	2	3	4
1.	मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	01
2.	मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड	झारखंड सहित बिहार	15

1	2	3	4
3.	मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	03
4.	मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड	ओडिशा	08
5.	मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड	छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश	04
6.	मैसर्स रिलायंस कम्यूनिकेशंस लिमिटेड/ मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड	झारखंड सहित बिहार	11
		कुल	42

मोबाइल टावर

11. **श्री सुनील कुमार सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मोबाइल टावरों के कार्य नहीं करने के कारण अनेक मोबाइल टावरों के अनुप्रयुक्त रहने पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित टावरों का ब्यौरा क्या है तथा इन टावरों के कार्य नहीं करने के कारण विकसित अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अनुप्रयुक्त रहने के लिए दोषी ठहराये गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश के टावरों की स्थापना करने संबंधी प्रक्रिया करने के साथ-साथ विभिन्न उपकरणों के प्रतिस्थापना के संबंध में कोई योजना बनाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(च) इन मोबाइल टावरों को कब तक प्रचालित किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में कोई भी मोबाइल टावर कार्य नहीं करने के कारण अनुप्रयुक्त नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय सरकार की टावरों के साथ-साथ उपकरणों को संस्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

(घ) से (च) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल-मध्यपूर्व मार्ग पर विमान सेवाएं

12. **श्री एंटो एन्टोनी : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया एक्सप्रेस ने हाल ही में केरल-मध्यपूर्व मार्ग पर अपनी सेवाएं कम की हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) जी, हां। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने वर्ष 2014 की पहली तिमाही के दौरान मध्य-पूर्व के लिए अपनी सेवाओं में कटौती की है।

(ख) चार विमानों की लीज समाप्त हो जाने के कारण, कोच्चि-मंगलौर-कुवैत तथा सलैह-त्रिवेन्द्रम सेक्टर पर कतिपय हानिप्रद उड़ानों की कटौती की गई है और इन उड़ानों के स्थान पर, कोच्चि से यात्रियों को कुवैत वाया कोझिकोड तथा वापसी के लिए संपर्कता उपलब्ध कराई गई है।

(ग) जी, हां। उड़ान सेवाओं तथा उनकी आवृत्ति को बढ़ाने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(घ) एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा इस तरह की उड़ानें प्रचालित करने

की संभाव्यता तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखकर इन अनुरोधों पर विचार तथा समाधान किया गया।

मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी

13. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रव्यापी मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इसे राष्ट्रीय स्तर पर कब तक प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) "पूर्ण मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी" विषय पर दिनांक 25.09.2013 की भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों को दूरसंचार विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और मौजूदा मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी लाइसेंसधारकों में प्रभारित किए जाने वाले अतिरिक्त प्रवेश शुल्क, निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) और वित्तीय बैंक गारंटी (एफबीजी) के संबंध में ट्राई की पुन: विचारित राय मांगी गई है। राष्ट्रीय मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के दिनांक 31.03.2015 तक शुरू किए जाने का अनुमान है।

साइबर सुरक्षा

14. **श्री बी.वी. नाईक : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बढ़ते साइबर सुरक्षा हमलों को हल करने के लिए हाल ही में कोई नीति घोषित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एजेंसियों का प्रस्तावित ढांचा क्या है; और

(ग) यह देश में स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों सहित इस खतरे का सामना करने के लिए आवश्यक विद्यमान बहु-एजेंसियों के साथ किस ढंग से समन्वयन करेंगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दों का पूरी तरह से समाधान करने के उद्देश्य से सरकार ने 02.07.2013 को "राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति-2013" जारी की है।

इस नीति का उद्देश्य देश में सभी स्तरों पर साइबर सुरक्षा की समस्या से निपटने के लिए व्यापक, सहयोगात्मक और सामूहिक कार्रवाई के लिए एक ढांचा तैयार करना है। इसका उद्देश्य सुरक्षित कम्प्यूटर वातावरण के सृजन को सुकर बनाना और इलेक्ट्रॉनिक लेन-देनों में पर्याप्त विश्वास पैदा करने के साथ-साथ साइबर स्पेस की सुरक्षा हेतु पणधारकों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का दिशा-निर्देशन करना भी है। इस नीति के अंतर्गत विभिन्न स्तरों और राष्ट्रीय, राज्य, मंत्रालय, विभाग और उद्यम, जैसा भी उपयुक्त हो, पर विस्तृत दिशा-निर्देश और कार्ययोजना के रूप में कार्यान्वित किए जाने वाली 14 उद्देश्य और 57 कार्यबिन्दु निर्धारित किए गए हैं।

उपर्युक्त के अलावा इस नीति के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव किए गए हैं:—

- अलग-अलग निकायों द्वारा सक्रिय, निवारक और सुरक्षात्मक कार्रवाईयों के लिए समय पर सूचना साझा करने और मौजूदा तथा संभावित साइबर सुरक्षा चुनौतियों का आवश्यक स्थितिजन्य परिदृश्य करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रणालियां, प्रक्रियाएं, संरचना और तंत्र स्थापित करना।

- प्रभावी घटना प्रत्युत्तर और समाधान तथा साइबर संकट प्रबंधन के लिए संगत क्षेत्रों में सभी समन्वित और संचार कार्रवाईयों के लिए 24×7 क्षेत्रीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट) प्रचालित करना।

- देश के महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु 24×7 राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र (एनसीआईआईपीसी) प्रचालित करना।

(ग) सरकार ने साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक ढांचा अनुमोदित किया है जिसके अंतर्गत देश में पणधारक संगठनों के बीच जिम्मेदारियों के स्पष्ट विभाजन के साथ गंभीरतापूर्वक रक्षा और बचाव सुनिश्चित करने के लिए एक बहु-स्तरीय पहल की परिकल्पना की गयी है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय (एनएससीएस) को साइबर सुरक्षा के लिए इस ढांचे का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने, समन्वय करने और पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

मोबाइल नेटवर्क में सुधार

15. **श्री प्रताप सिम्हा : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में राज्य-वार मोबाइल कनेक्शनों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में कुल मोबाइल कनेक्शनों में से भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) ग्राहकों की संख्या काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बीएसएनएल और एमटीएनएल मोबाइल कनेक्शनों के नेटवर्क के बार-बार खराबी आ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इन मोबाइल नेटवर्कों की सिग्नल प्रणाली में सुधार के लिए कोई प्रयास कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) मोबाइल कनेक्शनों का विवरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा सेवा क्षेत्र-वार रखा जाता है। देश में सेवा क्षेत्र-वार कुल मोबाइल कनेक्शनों तथा भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के मोबाइल कनेक्शनों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) से (च) सेवा गुणवत्ता मानदंडों का निर्धारण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा किया जाता है। जबकि बीएसएनएल और एमटीएनएल सामान्यत: बेंचमार्क मानदंडों को पूरा करते हैं वहीं बीएसएनएल और एमटीएनएल की सेवाएं कुछ क्षेत्रों के कुछ मानदंडों में बेंचमार्क स्तर से निम्न है। सेवा गुणवत्ता मानदंडों में निहित कमियां नेटवर्क कार्यनिष्पादन, उपभोक्ता सेवा संवितरण, संकुलन, अपर्याप्त नेटवर्क कवरेज आदि के कारण हैं।

बीएसएनएल और एमटीएनएल सेवा गुणवत्ता में सुधार लाने, लिगेसी मामलों का निदान करने और नेटवर्क कवरेज का विस्तारण करने के लिए एक पुनरुद्धार योजना तैयार कर रहे हैं।

बीएसएनएल और एमटीएनएल ने सूचित किया है कि वे अपने मोबाइल नेटवर्क में इस आशय के साथ उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों सहित अपने लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्रों में 2जी और 3जी सेवाओं के लिए क्रमश: 24765 और 3520 बेसट्रांसीवर स्टेशनों के संस्थापना के द्वारा कवरेज क्षमता में वृद्धि कर सकें। वे अपने कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए अपने नेटवर्क का अनवरत इष्टतम उपयोग भी कर रहे हैं।

दूरसंचार विभाग बीएसएनएल के कार्यनिष्पादन की सावधिक समीक्षा भी करता है।

विवरण

31 मई, 2014 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल और एमटीएनएल की तुलना में सेवा क्षेत्र-वार कुल मोबाइल कनेक्शन

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	मोबाइल कनेक्शनों की संख्या (मिलियन में)	बीएसएनएल के मोबाइल कनेक्शनों की संख्या (मिलियन में)	एमटीएनएल के मोबाइल कनेक्शसनों की संख्या (मिलियन में)
1	2	3	4	4
1.	आंध्र प्रदेश	67.19	9.93	—
2.	असम	15.50	1.3	—
3.	बिहार	62.61	3.19	—
4.	गुजरात	54.55	3.44	—
5.	हरियाणा	20.98	3.18	—
6.	हिमाचल प्रदेश	7.19	1.43	—
7.	जम्मू और कश्मीर	8.19	1.28	—
8.	कर्नाटक	54.28	7.09	—
9.	केरल	30.65	7.19	—

1	2	3	4	4
10.	मध्य प्रदेश	55.20	2.61	—
11.	महाराष्ट्र	72.59	6.29	—
12.	पूर्वोत्तर	9.54	1.54	—
13.	ओडिशा	25.48	3.35	—
14.	पंजाब	31.13	4.57	—
15.	राजस्थान	53.18	6.01	—
16.	तमिलनाडु	75.95	8.63	—
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	78.81	10.44	—
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	49.03	3.49	—
19.	पश्चिम बंगाल	43.13	1.80	—
20.	कोलकाता	21.21	0.84	—
21.	दिल्ली	42.05	—	2.27
22.	मुंबई	30.82	—	0.99
	योग	910.16	87.6	3.26

कैबिन क्रू की कमी

16. **श्रीमती सुप्रिया सुले :**
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव :
श्री धनंजय महाडीक :
श्री राजीव सातव :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया में कैबिन क्रू की कमी है जिसके कारण विमान समय-सारिणी प्रभावित हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस समस्या का सामना करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस मुद्दे का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) और (ख) जी, नहीं। एयर इंडिया में केबिन कर्मीदल की कोई कमी नहीं है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

खानों हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति

17. **श्री निशिकान्त दुबे :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक सरकारी क्षेत्रक कंपनियों/उपक्रम पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में बंद पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन खानों की पर्यावरणीय स्वीकृति को तेज़ करने के लिए कोई समयबद्ध तंत्र तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित मुद्दों के समाधान में पारदर्शिता लाने के लिए कदम क्या उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रखी जाएगी।

(ग) से (ङ) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचित किया है जिसके अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी दी जाती है। अनुसूची में यथा उल्लिखित खनिजों के खनन की परियोजनाओं के लिए इस अधिसूचना के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी अपेक्षित होती है।

ईआईए अधिसूचना, 2006 समय-सीमा निर्धारित की गई है। तद्नुसार विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा परियोजना प्रस्तावक को फार्म-I की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर विचारार्थ विषय (टीओआर) संसूचित किए जाएंगे। उसके पश्चात् जारी किए गए विचारार्थ विषयों के अनुसार परियोजना प्रस्तावकों को टीओआर में उल्लिखित शर्तों का पालन करना अपेक्षित है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बेसलाइन डाटा का संग्रहण, अनुमोदित खान योजना, पब्लिक परामर्श करना और सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ पर्यावरण और वन मंत्रालय को अंतिम ईआईए/पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) रिपोर्टें प्रस्तुत करना शामिल है।

पब्लिक परामर्श करने के पश्चात् ईआई/ईएमपी के प्राप्ति पर ईएसी द्वारा साठ दिनों के भीतर पारदर्शी ढंग से कार्रवाही, जिसमें प्रस्तावक को व्यक्तिगत अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए आवश्यक स्पष्टीकरण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है, में परियोजना का मूल्यांकन किया जाता है। उसके पश्चात् ईएसी प्रस्ताव की उचित सिफारिशें करता है और मंत्रालय ईआईए अधिसूचना, 2006 के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में अंतिम निर्णय लेता है। इस निर्णय को ईएसी की सिफारिश की प्राप्ति के पेंतालीस दिनों के भीतर प्रस्तावित को संसूचित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, परियोजना प्रस्तावक से अंतिम ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट/अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने के एक सौ पांच दिनों के भीतर निर्णय संसूचित किया जाना है।

विदेशी फर्मों के कार्यकारियों को परेशान करना

18. **श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव :**
श्री धनंजय महाडीक :
श्री राजीव सातव :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश निर्णयों पर झूठी शिकायतों के कारण विदेशी कंपनियों के कुछ शीर्ष कार्यकारियों को न्यायालय में घसीटा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सूचित किए गए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इसने देश में विदेशी निवेश को बुरी तरह प्रभावित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी शिकायतों का सामना करने के लिए कोई विधिक ढांचा या मंत्र तैयार या प्रस्तावित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पीडीएस के अंतर्गत मिट्टी के तेल की उपलब्धता

19. **कुमारी शोभा कारान्दलाजे :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मिट्टी के तेल का कितना कोटा दिया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को गैस कनेक्शनों के सत्यापन के बाद विभिन्न राज्यों में मिट्टी के तेल की मांग में हुई वृद्धि की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए कोटा की पुनर्बहाली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) भारत सरकार कर्नाटक राज्य सहित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों (यूटीज) को केवल खाना पकाने और दीपक जलाने के लिए पीडीएस के तहत वितरण करने के लिए तिमाही आधार पर पीडीएस मिट्टी तेल का आवंटन करती है। राशन कार्ड धारकों को उनके पीडीएस नेटवर्क के माध्यम से उनके संबंधित मानदंडों के अनुसार राज्यों/यूटीज के भीतर आगे वितरण किया जाना संबंधित राज्यों/यूटीज की जिम्मेदारी है। कर्नाटक सहित सभी राज्यों के लिए 14-15 की पहली और दूसरी तिमाही का एसकेओ आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2014-15 (दूसरी तिमाही तक) के लिए किए गए पीडीएस मिट्टी का आबंटन किलोलीटर में

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	मात्रा किलोलीटर में
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3456
आंध्र प्रदेश	184524
अरुणाचल प्रदेश	5736
असम	163992
बिहार	407040
चंडीगढ़	1776
छत्तीसगढ़	90048
दादरा और नगर हवेली	1152
दमन और दीव	432
गोवा	2616
गुजरात	336720
हरियाणा	45624
हिमाचल प्रदेश	12336
जम्मू और कश्मीर**	36036
झारखंड	134352
कर्नाटक	261456
केरल	60096
लक्षद्वीप	1008
मध्य प्रदेश	312840
महाराष्ट्र	365232
मणिपुर	12480
मेघालय	12960
मिज़ोरम	3912
नागालैंड	8544
ओडिशा	199488
पुदुचेरी	2232
पंजाब	45072
राजस्थान	254376
सिक्किम	3168
तमिलनाडु	174360
तेलंगाना*	48468
त्रिपुरा	19584
उत्तर प्रदेश	795000
उत्तराखंड	18096
पश्चिम बंगाल	481776
सकल आबंटन	4505988

*दूसरी तिमाही से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अलग से आबंटन किया गया।

**इसमें लद्दाख क्षेत्र के लिए 4626 किलोलीटर का अलग से किया गया वार्षिक आबंटन शामिल है।

[हिन्दी]

श्रम कानूनों का संशोधन

20. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का श्रम कानूनों को देश की अर्थव्यवस्था की नई आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए अनेक प्रावधानों में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कानूनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में सभी हितधारकों से परामर्श भी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनसे प्राप्त सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के श्रम कानूनों में सुधार करने के लिए प्रस्तावित किए जा रहे संशोधनों का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जी, हां।

(ख) बाल श्रम (विनियमन एवं प्रतिषेध) अधिनियम, 1986, कारखाना अधिनियम, 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 तथा श्रम विधि (कतिपय प्रतिष्ठानों द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने तथा रजिस्टर रखने से छूट) अधिनियम, 1988 में संशोधन सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) जी, हां। संशोधनों पर सुझाव आमंत्रित करने हेतु इन्हें श्रम और रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है।

(घ) सुझाव आमंत्रित करने का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ङ) प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बाल श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1986

- इस अधिनियम के अंतर्गत बालक की परिभाषा को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत दी गई परिभाषा से जोड़ना;
- 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को पूरी तरह से निषिद्ध किया जाए तथा निषेध की आयु को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आयु से भी जोड़ा जाए;
- किशोरों (14 से 18 वर्ष) को कारखाना अधिनियम, 1948 में निर्धारित खानों, विस्फोटकों और खतरनाक व्यवसायों में काम करने का निषेध; और
- अपराधी को दिया जाने वाला दंड अधिक कड़ा होगा और अधिनियम के अंतर्गत अपराध संज्ञेय होंगे।

कारखाना अधिनियम, 1948

- कतिपय शर्तों के अध्यधीन कारखानों में महिलाओं के लिए रात्रि पाली में काम करने पर प्रतिबंधों से छूट;
- तिमाही में समयोपरि की सीमा को बढ़ाकर 100 घंटे (मौजूदा 50 घंटे) करना;
- अपराधों को माफ करने संबंधी नई उप-धार आरंभ करना;
- कामगारों की सुरक्षा के लिए वैयक्तिक संरक्षात्मक उपस्कर का प्रावधान/धुएं और गैसों से अधिक सावधानी; और
- केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करना (वर्तमान में केवल राज्य सरकारें ही नियम बनाती हैं)।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

- यह सुझाव देते हुए कि कोई भी वेतन एनएफएलएमडब्ल्यू से कम नहीं होगा (फिलहाल यह 137/- रुपए है), राष्ट्रीय फ्लोर लेवल न्यूनतम मजदूरी (एनएफएलएमडब्ल्यू) को सांविधिक बनाना;
- समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किसी नियोजन के लिए यह वेतन एनएफएलएमडब्ल्यू से कम नहीं हो सकता;
- राष्ट्रीय फ्लोर लेवल न्यूनतम मजदूरी की प्रत्येक 5 वर्ष में होने वाले एनएसएसओ उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आधार पर समीक्षा तथा संशोधन करना;
- औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक छह महीने में परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) की व्यवस्था;
- हर दो वर्ष में अनुसूचित नियोजन में वेतन की न्यूनतम दरों की समीक्षा/संशोधन, यदि वीडीए का कोई प्रावधान नहीं है;

- जहां केन्द्र सरकार द्वारा किसी नियोजन के लिए कोई न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं की गयी है तो ऐसे अनुसूचित नियोजन में राज्य सरकार द्वारा तय की गयी न्यूनतम मजदूरी लागू होगी;
- जहां किसी समान अनुसूचित नियोजन में राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है तथा यह केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित वेतन से अधिक है, वहां पर उनमें से जो अधिक हो वह लागू होगा;
- वयस्कों, किशोरों, बच्चों तथा शिक्षुओं के संबंध में वेतन की न्यूनतम दरों में अंतर के निर्धारण से संबंधित उपबंधों का लोप करना;
- कर्मचारियों को वेतन पुस्तिकाओं और वेतन पर्चीयों के साथ-साथ रोजगार कार्ड जारी करने की व्यवस्था करना;
- न्याय निर्णयन की शक्ति दो वर्ष के अनुभव वाले समकक्ष स्तर के राज्य श्रम अधिकारियों को देना;
- दावा दायर करने की अवधि को छह माह से बढ़ाकर एक वर्ष करना;
- अधिकतम प्रतिपूर्ति को 10/- रुपए से बढ़ाकर 100/- रुपए करना;
- 500/- रुपए तक के जुर्माने तथा छह माह तक के कारावास के विद्यमान उपबंधों को बढ़ाकर क्रमश: 5000/- रुपए तक का जुर्माना तथा एक वर्ष तक का कारवास करना; और
- अधिनियम के अंतगत उपबंधों के किसी अन्य उल्लंघन के लिए पहली दोषसिद्धी के मामले में जुर्माना 500/- से बढ़ाकर 5000/-रुपए तथा तदनुतंर दोषसिद्धियों पर 5000/- से बढ़ाकर 10,000/- रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है।

श्रम विधि (कतिपय प्रतिष्ठानों द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने तथा रजिस्टर रखने से छूट) अधिनियम, 1988

- मूल अधिनियम की कवरेज को 9 अनुसूचित अधिनियमों से बढ़ाकर 16 अनुसूचित अधिनियमों तक विस्तार करना जैसा कि विधेयक 2005 में प्रस्ताव किया गया था;
- प्रतिष्ठानों को 'अति लघु' तथा 'लघु' के रूप में परिभाषित करने के विद्यमान तरीके को जारी रखना तथा इसमें यह परिवर्तन करना कि 'लघु' प्रतिष्ठान अब 10 से 19 कामगारों के विद्यमान उपबंध के स्थान पर 10 से 40 कामगारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को कवर करेंगे;
- लघु प्रतिष्ठानों को तीन रजिस्टर रखने के विद्यमान उपबंध के स्थान पर दो रजिस्टर रखना अपेक्षित होगा;
- कम्प्यूटर, फ्लापी, डिस्केट अथवा अन्य इलेक्ट्रोनिक माध्यम से रजिस्टर अथवा रिकॉर्ड रखने तथा विवरणी ई-मेल के माध्यम से देने की अनुमति देना जैसा कि विधेयक, 2005 में प्रस्ताव किया गया था।

बीपीएल परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना

21. योगी आदित्यनाथ : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के लिए कोई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या गैर-संगठित क्षेत्र के कामगार भी उक्त योजना में शामिल हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) और (ख) जी, हां। असंगठित क्षेत्र में बीपीएल परिवारों (पांच की एक ईकाई) स्मार्ट कार्ड आधारित 30,000/- रुपये प्रति वर्ष का नकदी रहित स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए 1 अक्तूबर, 2007 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई थी। यह योजना 01.04.2008 से प्रचालित हुई है। इसमें केन्द्र और राज्य सरकार के बीच प्रीमियम के लिए 75:25 की दर से भागीदारी की जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों के मामले में प्रीमियम की भागीदारी 90:10 की दर से की जाती है। बीपीएल की परिभाषा वही है जो योजना आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इस समय 26 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रचालित है जिनमें 3,85,15,411 परिवारों को शामिल किया गया है। कार्यान्वयन की राज्य/संघ क्षेत्र-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार का यह प्रयास है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को सभी असंगठित कामगारों तक चरणबद्ध तरीके से विस्तारित किया जाए। कार्यान्वयन के दौरान बीपीएल परिवारों के अलावा असंगठित कामगारों की अन्य श्रेणियों जैसे भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य, लाइसेंसशुदा रेलवे कुली, फेरी विक्रेताओं, मनरेगा कामगारों (जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 15 दिन से अधिक कार्य किया हो), बीड़ी

कामगारों, घरेलू कामगारों, सफाई कामगारों, खान कामगारों, रिक्शा चालकों, कूडा बीनने वालों तथा आटो एवं टैक्सी चालकों तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना विस्तारित की गई है।

विवरण

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (2013-14)

क्र. सं.	राज्य का नाम	आदिनांक कवर किए गए परिवारों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2184
2.	असम	1416919
3.	बिहार	6102774
4.	चंडीगढ़	5854
5.	छत्तीसगढ़	2265370
6.	गुजरात	1900903
7.	हरियाणा	465797
8.	हिमाचल प्रदेश	341818
9.	जम्मू और कश्मीर	4988
10.	झारखंड	1923138
11.	कर्नाटक	29417
12.	केरल	3662511
13.	मध्य प्रदेश	608748
14.	महाराष्ट्र	234252
15.	मणिपुर	68140
16.	मेघालय	108321
17.	मिज़ोरम	145842
18.	नागालैंड	151806
19.	ओडिशा	4238040
20.	पुदुचेरी	9486
21.	पंजाब	236764
22.	राजस्थान	2511663
23.	त्रिपुरा	505327
24.	उत्तर प्रदेश	5541225
25.	उत्तराखंड	285435
26.	पश्चिम बंगाल	5748689
	कुल	38515411

नए हवाई अड्डों का निर्माण

22. **श्री ए.टी. नाना पाटील :**
योगी आदित्यनाथ :
श्री बी.वी. नाईक :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नए हवाईअड्डों के निर्माण के लिए क्या मानदंड/मानक निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार देश के विभिन्न राज्यों में नए हवाईअड्डों का निर्माण करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर कितनी लागत आने की संभावना है;

(घ) सरकार द्वारा नए हवाईअड्डों के निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार इन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नए हवाईअड्डों का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है और इनके कब तक चालू होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति, 2008 के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा), राज्य सरकार या कोई अन्य निकाय सचिव, नागर विमानन मंत्रालय की अध्यक्षता वाली संचालन समिति द्वारा विचार किए जाने के लिए निर्धारित प्रारूप में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इन प्रस्तावों की जांच भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), रक्षा

मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श द्वारा की जाती है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने देश में 15 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्रदान कर दिया है। अनुमानित परियोजना लागत सहित इन हवाईअड्डों की सूची निम्नानुसार है: गोवा में मोपा (लगभग 3000 करोड़ रुपए), महाराष्ट्र में नवी मुम्बई (लगभग 14500 करोड़ रुपए), शिरडी (लगभग 300 करोड़ रुपए) तथा सिंधुदुर्ग (लगभग 350 करोड़ रुपए), कर्नाटक में बीजापुर (लगभग 150 करोड़ रुपए), गुलबर्गा (आरंभिक चरण में 13.78 करोड़ रुपए), हासन (लगभग 313 करोड़ रुपए) तथा शिमोगा (आरंभिक चरण में 38.91 करोड़ रुपए), केरल में कुन्नूर (लगभग 1800 करोड़ रुपए) तथा अरणमूला (लगभग 2000 करोड़ रुपए), पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर (लगभग 480 करोड़ रुपए), मध्य प्रदेश में डाबरा (लगभग 200 करोड़ रुपए), सिक्किम में पेक्योंग (लगभग 309 करोड़ रुपए), पुदुचेरी में करैकल (लगभग 280 करोड़ रुपए) तथा उत्तर प्रदेश में कुशीनगर (लगभग 355 करोड़ रुपए)।

(घ) और (ङ) पिछले 03 वर्षों में भारत सरकार को विभिन्न स्थानों पर ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए आरंभिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और ये स्थान हैं राजस्थान में कोटकासिम (अलवर), कर्नाटक में करवार, केरल में अन्नकरा (इडुक्की), लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में अंद्रोत (करावती जिला), उत्तर प्रदेश में ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, हिरनगांव, आदि। विभिन्न विभागों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई, परियोजना विकास तथा हवाईअड्डा परियोजना के लिए वित्त पोषण का कार्य संबंधित हवाईअड्डा प्रवर्तक द्वारा किया जा रहा है। हवाईअड्डा परियोजना के निर्माण की समय-सीमा अनेक कारकों जैसे संबंधित प्रचालक द्वारा भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य क्लियरेंसों की उपलब्धता, वित्तीय समापन आदि पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

ऑटो ईंधन संबंधी दृष्टिकोण और नीति, 2025

23. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऑटो ईंधन संबंधी दृष्टिकोण और नीति, 2025 के संबंध में सुझाव देने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने ऑटो ईंधन विजन और नीति 2025 बनाने के लिए श्री सौमित्र चौधरी, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे:—

(i) पिछली ऑटो ईंधन नीति के तहत प्राप्त की गई उपलब्धि, उपयोग में लाए जा रहे वाहनों के उत्सर्जन में कमी, वाहनों की वृद्धि और ईंधनों की आपूर्ति और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए देश के लिए 2025 तक ऑटो ईंधन गुणवत्ता हेतु रोड मैप की सिफारिश करना।

(ii) निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए गैस और इसकी विशिष्टताओं सहित ऑटो ईंधनों की उपयुक्त मिलावट की सिफारिश करना:

(क) बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और ईंधन आपूर्तियों का संभार तंत्र

(ख) ऑटो ईंधनों का प्रसंस्करण मितव्ययता; और

(ग) वाहन इंजन प्रौद्योगिकी में सुधार की तुलना में ईंधन की गुणवत्ता में सुधार।

(iii) विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए वाहन संबंधी उत्सर्जन मानदंडों और उनके कार्यान्वयन के लिए रोड मैप की सिफारिश करना।

(iv) पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग की सिफारिश करना

(v) तेल रिफाइनरियों, संभार तंत्रों के अपेक्षित उन्नयन के वित्त पोषण के लिए राजकोषीय उपायों और अंतर-ईंधन विकृतियों को समाप्त करने की सिफारिश करना।

समिति ने सरकार को दिनांक 2 मई, 2014 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने विभिन्न सिफारिशें की हैं जिसमें पूरे देश में बीएस-IV और बीएस-V आटो ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए एक रोड मैप भी शामिल है।

(ग) और (घ) सरकार ने रिपोर्ट को सभी मंत्रालयों/विभागों/राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजने का निर्णय लिया है ताकि रिपोर्ट पर उनका दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सके।

[हिन्दी]

सूरत हवाईअड्डे का नामकरण

24. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सूरत हवाईअड्डे का नाम भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई के नाम पर रखने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) से (ग) जी, नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकार द्वारा पालन की जा रही मानक प्रक्रिया के अनुसार सामान्यत: हवाईअड्डों के नामकरण/पुन:नामकरण संबंधी प्रस्तावों पर संबंधित राज्य सरकार द्वारा राज्य की विधान सभा में पारित संकल्प के हवाले से की गई सिफारिशों के आधार पर विचार किया जाता है। राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

ग्राम न्यायालय

25. प्रो. सौगत राय : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008' के अनुसार देश में राज्य-वार और वर्ष-वार कितने ग्राम न्यायालय गठित किए गए हैं;

(ख) संपूर्ण देश में ग्राम न्यायालयों के गठन में देरी के क्या कारण है; और

(ग) देश के प्रत्येक राज्य में ग्राम न्यायालय का गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 3(1) के निबंधनों में यह राज्यों के लिए है कि वह संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापनाएं करें। प्राप्त सूचना के अनुसार नौ राज्य सरकारों के द्वारा इस प्रकार से 180 ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित किया गया है। ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित करने का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस वास्तविकता के अतिरिक्त कि कई राज्यों में तालुका स्तर पर न्यायालयों को प्रारंभ किया गया है, ग्राम न्यायालयों की नियमित न्यायालयों के साथ क्षेत्राधिकार की अभिव्याप्ति और ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्थिति को संयोजित करने के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेटों की कमी ग्राम न्यायालयों की धीमी प्रगति के अन्य कारण हैं। बार की धीमी प्रतिक्रिया, पुलिस पदधारियों और राज्य पदाधिकारियों की ग्राम न्यायालय की अधिकारिता का आवलंब लेने की अनिच्छा और नोटरियों, स्टांप वेंडरों आदि की अनुपलब्धता अन्य कारक हैं जो ग्राम न्यायालय की प्रगति को प्रभावित करते हैं।

(ग) उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और राज्यों के मुख्य मंत्रियों के तारीख 7 अप्रैल, 2013 के सम्मेलन में ग्राम न्यायालय की स्कीम के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर विचार किया गया था। सम्मेलन में, अन्य बातों के साथ, यह विनिश्चित किया गया था कि जहां कहीं साध्य हो, राज्य सरकार और उच्च न्यायालय स्थानीय समस्याओं का हिसाब रखते हुए ग्राम न्यायालयों की स्थापना का विनिश्चिय करेंगे। ग्राम न्यायालय स्कीम के अधीन ध्यान उन तालुकों को कवर करने पर है जहां नियमित न्यायालय स्थापित नहीं की गई हैं।

विवरण

ग्राम न्यायालयों की अधिसूचित किए जाने की प्रगति का वर्ष-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मध्य प्रदेश	40	49	–	–	–	89
2.	राजस्थान	45	–	–	–	–	45

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	महाराष्ट्र	9	—	1	—	8	18
4.	झारखंड	—	—	—	6	—	6
5.	ओडिशा	—	—	7	6	—	14
6.	कर्नाटक	—	—	2	—	—	2
7.	गोवा	—	—	—	2	—	2
8.	पंजाब	—	—	—	2	—	2
9.	हरियाणा	—	—	—	2	—	2
	कुल	95	49	10	18	8	180

पेट्रोलियम उत्पादों की कमी

26. **श्री के.सी. वेणुगोपाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में इराक में हुए आंतरिक संकट के कारण सरकार ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी का अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग तथा आपूर्ति की वर्तमान स्थिति क्या है और सरकार द्वारा इस कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, तेल कंपनियां किसी विशेष देश अथवा क्षेत्र पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए अपने कच्चे तेल बॉस्केट को विविध बनाने में सतत् रूप से संलग्न हैं।

इराक में वर्तमान आंतरिक संकट के कारण पेट्रोलियम उत्पादों में किसी प्रकार की कमी की परिकल्पना नहीं है।

डाकघरों का उन्नयन

27. **श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के नए विभाजित जिलों के लिए जिला स्तरीय डाकघरों के उन्नयन के कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ब्रॉडबैंड कनेक्शनों का प्रावधान

28. **श्री देवजी एम. पटेल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जालोर-सिरोही जिले सहित राजस्थान में की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड की सुविधा प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान में उन ग्राम पंचायतों की स्थान-वार संख्या कितनी है, जहां ब्रॉडबैंड की सुविधा प्रदान नहीं की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में ग्राम पंचायतों को बेहतर टेलीफोन और ब्रॉडबैंड की सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) सरकार देश के सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2,50,000 ग्राम पंचायतों), जिनमें राजस्थान राज्य के जालौर और सिरोही जिलों की ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं, को ब्रॉडबैंड सुविधा देने के लिए नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है।

(ख) देश की ग्राम पंचायतों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। यह योजना बनाई गई है कि चरण-I (2014-15) में सिरोही जिलों की सभी 151 ग्राम पंचायतों और जालोर जिले की 143 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जालौर जिले की शेष 121 ग्राम पंचायतों को चरण-II (2015-16) में जोड़ा जाएगा।

(ग) एनओएफएन प्रायोगिक परियोजना के तहत अजमेर जिला (राजस्थान) के आरेन ब्लॉक की सभी 30 ग्राम पंचायतों को 100 एमबीपीएल बैंडबिड्थ के साथ ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस प्रायोगिक कार्य को दिनांक 15.10.2012 को संपन्न किया गया था। राजस्थान की शेष सभी ग्राम पंचायतों में एनओएफएन के तहत चरणबद्ध ढंग से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जानी है।

(घ) देश में ग्राम पंचायतों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का विवरण निम्नानुसार है:—

- परियोजना को चलाने के प्रयोजनार्थ सृजित भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड (बीबीएनएल) ने सार्वजनिक क्षेत्र के (3 उपक्रमों भारत संचार निगम लिमिटेड) (बीएसएनएल), रेलटेल, पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि वे सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ने के प्रयोजनार्थ संवृद्धि ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए ग्राऊंड कार्य संचालित करने हेतु अपने मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कर सकें। सार्वजनिक क्षेत्र के इन तीन उपक्रमों ने 1,00,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए निविदाएं आमंत्रित करने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी है। शेष ग्राम पंचायतों को चरणबद्ध ढंग से जोड़ा जाएगा।

- ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) स्कीम के तहत 5,93,601 आबाद गांवों में से 5,82,368 गांवों को वीपीटी कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है (संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है)। इस स्कीम को बीएसएनएल द्वारा सार्वजनिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) की वित्तीय सहायता से चलाया जा रहा है।

विवरण-I

देश की ग्राम पंचायतों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	ग्राम पंचायतों (जीपीएस) की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (संघ राज्यक्षेत्र)	67
2.	आंध्र प्रदेश	21852
3.	अरुणाचल प्रदेश	1756
4.	असम	2205
5.	बिहार	8474
6.	चंडीगढ़ (संघ राज्यक्षेत्र)	17
7.	छत्तीसगढ़	10041
8.	दादरा और नगर हवेली	10
9.	दमन और दीव	14
10.	गुजरात	14141
11.	हरियाणा	6279
12.	हिमाचल प्रदेश	3241
13.	जम्मू और कश्मीर	4146
14.	झारखंड	4464
15.	कर्नाटक	5631
16.	केरल	977
17.	लक्षद्वीप (संघ राज्यक्षेत्र)	10
18.	मध्य प्रदेश	23028
19.	महाराष्ट्र	27971
20.	मणिपुर	3011
21.	मेघालय	1463
22.	मिज़ोरम	776

1	2	3
23.	नागालैंड	1123
24.	ओडिशा	6234
25.	पुदुचेरी (संघ राज्यक्षेत्र)	98
26.	पंजाब	12800
27.	राजस्थान	9200
28.	सिक्किम	163
29.	तमिलनाडु	12617
30.	त्रिपुरा	1038
31.	उत्तर प्रदेश	51994
32.	उत्तराखंड	7555
33.	पश्चिम बंगाल	3352
	कुल	245748

विवरण-II

दिनांक 30.5.2014 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की राज्य-वार संख्या

राज्य का नाम	जनगणना 2001 के अनुसार आबाद राजस्व गांवों की संख्या	उपलब्ध कराए गए टेलीफोनों की संख्या
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	501	352
आंध्र प्रदेश/तेलंगाना	26613	25107
असम	25124	24692
बिहार	390332	38941
झारखंड	29354	28807
गुजरात	18159	18051
हरियाणा	6764	6678
हिमाचल प्रदेश	17495	17408
जम्मू और कश्मीर	6417	6385
कर्नाटक	27481	27451
केरल	1372	1372
मध्य प्रदेश	52117	51986
छत्तीसगढ़	19744	18328
महाराष्ट्र	41442	40654
मेघालय (पूर्वोत्तर-I)	5782	5255
मिज़ोरम (पूर्वोत्तर-I)	707	704
त्रिपुरा (पूर्वोत्तर-I)	858	858
अरुणाचल प्रदेश (पूर्वोत्तर-I)	3863	2774
मणिपुर (पूर्वोत्तर-II)	2315	2171
नागालैंड (पूर्वोत्तर-II)	1278	1263
ओडिशा	47529	45215
पंजाब	12301	12065
राजस्थान	39753	39568
तमिलनाडु	15492	15492
उत्तर प्रदेश	97942	97852
उत्तराखंड	15761	15369
पश्चिम बंगाल	37955	37151
सिक्किम (पश्चिम बंगाल)	450	429
कुल	593601	582368

[अनुवाद]

कृष्णा-गोदावरी गैस परियोजना

28. मोहम्मद फैज़ल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृष्णा-गोदावरी परियोजना से गैस का निष्कर्षण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के दक्षिणी राज्यों को इस परियोजना से गैस देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत, वर्तमान में, कृष्णा-गोदावरी बेसिन, में गैस का उत्पादन किया जा रहा है और विगत दो वर्षों के दौरान केजी बेसिन से औसत गैस उत्पादन निम्नवत् है:—

(आंकड़े एमएमएससीएम)

ब्लॉक/क्षेत्र	2012-13	2013-14
केजी अभितट (रामामुंदरी) परिसंपत्ति, आंध्र प्रदेश (ओएनजीसी द्वारा प्रचालित)	1249	1171
केजी अपतट (आंध्र प्रदेश तट से पृथक पूर्वी अपतट परिसंपत्ति) (ओएनजीसी द्वारा प्रचालित)	56	105
गहरे समुद्री ब्लॉक [केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 में डी-1, डी-3 और एमए क्षेत्र (केजी डी-6)] [रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) द्वारा प्रचालित]	9516	5050
केजी अपतट [रव्वा क्षेत्र] [कैर्न इंडिया लि. (सीआईएल) द्वारा प्रचालित]	514	449
कुल केजी बेसिन	11335	6775

(ग) किसी तेल/गैस उत्पादक परिसंपत्ति (अभितट, अपतट, गहरे समुद्री और अंतर्देशीय) का भौगोलिक स्थल सरकार के आवंटन मानदंड को प्रभावित नहीं करता। चूंकि स्रोत पाइपलाइनों से सुसम्बद्ध है और इसे उच्च दाब वाली गैस पाइपलाइन के व्यापक नेटवर्क से वितरित किया जा सकता है इसलिए कृष्णा-गोदावरी परियोजना से उपलब्ध गैस मौजूदा गैस उपयोग नीति में निर्धारित प्राथमिकता क्रम के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों को आवंटित की जाती है।

(घ) उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

डाकघरों का खोला जाना

30. श्री नलीन कुमार कटील : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में डाकघरों की परिमंडल/श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान देश में खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों की संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बंद किए गए डाकघरों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का देश में डाकघरों के माध्यम से रेल यात्री आरक्षण संचालित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) देश में (31.03.2014 की स्थिति के अनुसार) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में डाकघरों की सर्किल-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में पुनर्तैनाती एवं पुन:स्थापन के जरिए खोले जाने हेतु प्रस्तावित डाकघरों की सर्किल-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान बंद किए गए डाकघरों की सर्किल-वार संख्या संलग्न विवरण-III

में दी गई है। डाकघरों को किराए के परिसरों को खाली करने तथा नई बस्तियों को सेवाएं प्रदान करने हेतु युक्तिकरण के परिणामस्वरूप डाकघरों के पुन:स्थापन की आवश्यकता के मद्देनज़र विलय के फलस्वरूप बंद किया गया।

(घ) और (ङ) डाक विभाग, रेल मंत्रालय के सहयोग से डाकघरों के माध्यम से वर्ष 2007 से रेल यात्री आरक्षण (बुकिंग/रद्दीकरण) की सुविधा प्रदान कर रहा है। दिसम्बर, 2013 की स्थिति के अनुसार, यह सेवा 281 डाकघरों के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

विवरण-I

देश में 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डाकघरों की सर्किल-वार संख्या

क्र. सं.	सर्किल का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों की संख्या	शरी क्षेत्रों में डाकघरों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	14815	1335
2.	असम	3642	372
3.	बिहार	8591	473
4.	छत्तीसगढ़	2878	266
5.	दिल्ली	83	478
6.	गुजरात	8193	788
7.	हरियाणा	2329	344
8.	हिमाचल प्रदेश	2662	118
9.	जम्मू और कश्मीर	1502	197
10.	झारखंड	2829	270
11.	कर्नाटक	8607	1072
12.	केरल	4209	858
13.	मध्य प्रदेश	7476	842
14.	महाराष्ट्र	11559	1297
15.	पूर्वोत्तर	2686	228
16.	ओडिशा	7570	596
17.	पंजाब	3408	445
18.	राजस्थान	9668	662
19.	तमिलनाडु	10265	1801
20.	उत्तर प्रदेश	15747	1933
21.	उत्तराखंड	2508	214
22.	पश्चिम बंगाल	7955	1111
	कुल	139182	15700

विवरण-II

चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान देश में पुनर्तैनाती एवं पुन:स्थापन के जरिए खोले जाने हेतु प्रस्तावित डाकघरों की सर्किल-वार संख्या

क्र. सं.	सर्किल का नाम	डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	11
2.	असम	8
3.	बिहार	5
4.	छत्तीसगढ़	9
5.	दिल्ली	4
6.	गुजरात	8
7.	हरियाणा	8
8.	हिमाचल प्रदेश	6
9.	जम्मू और कश्मीर	4
10.	झारखंड	8
11.	कर्नाटक	8

1	2	3
12.	केरल	2
13.	मध्य प्रदेश	10
14.	महाराष्ट्र	9
15.	पूर्वोत्तर	9
16.	ओडिशा	8
17.	पंजाब	7
18.	राजस्थान	8
19.	तमिलनाडु	8
20.	उत्तर प्रदेश	11
21.	उत्तराखंड	4
22.	पश्चिम बंगाल	5
	कुल	160

विवरण-III

वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान बंद हुए की सर्किल-वार संख्या

क्र. सं.	सर्किल का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (30.06.2014 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0
2.	असम	2	0	2	0
3.	बिहार	0	0	0	0
4.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0
5.	दिल्ली	0	0	0	0
6.	गुजरात	1	1	1	0
7.	हरियाणा	1	4	4	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
9.	जम्मू और कश्मीर	1	0	0	0
10.	झारखंड	0	0	0	0
11.	कर्नाटक	67	16	0	0
12.	केरल	7	10	2	0
13.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0
14.	महाराष्ट्र	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
15.	पूर्वोत्तर	5	3	4	0
16.	ओडिशा	0	0	2	0
17.	पंजाब	7	0	0	0
18.	राजस्थान	0	0	0	0
19.	तमिलनाडु	1	0	0	0
20.	उत्तर प्रदेश	0	1	8	0
21.	उत्तराखंड	0	0	0	0
22.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0
	कुल	92	35	23	0

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त पद

31. श्री एम.बी. राजेश : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भारी संख्या में शीर्ष पर रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब से ये पद रिक्त पड़े हैं और उनके क्या कारण हैं;

(ग) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(घ) क्या कर्मचारियों की कमी के कारण सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के कुशल कार्य-निष्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों में उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति शीघ्र करने के लिए किस प्रकार के तंत्र की स्थापना की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्तमान में 35 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में मुख्य कार्यपालकों के पद रिक्त हैं। रिक्ति की तारीख सहित इन 35 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	पद	सीपीएसई का नाम	रिक्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	एमडी	एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड	19.01.2009
2.	सीएमडी	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स विनिर्माण कंपनी लिमिटेड	04.06.2010
3.	सीएमडी	एमएमटीसी लिमिटेड	01.10.2010
4.	सीएमडी	हुगली डॉक और पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	01.10.2010
5.	सीएमडी	एनएचपीसी लिमिटेड	22.06.2011
6.	सीएमडी	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	07.10.2011
7.	सीएमडी	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	01.12.2011

1	2	3	4
8.	सीएमडी	पवन हंस हेलीकाप्टर लिमिटेड	02.03.2012
9.	एमडी	नागालैंड पल्प और पेपर कंपनी लिमिटेड	29.04.2011
10.	एमडी	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	23.08.2012
11.	सीएमडी	केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड	01.02.2013
12.	सीएमडी	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	23.04.2013
13.	सीएमडी	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड	01.05.2013
14.	सीएमडी	राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड	01.06.2013
15.	सीएमडी	ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	15.07.2013
16.	सीएमडी	बिसरा स्टोन लाइम कॉर्पोरेशन	15.07.2013
17.	सीएमडी	ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड	11.07.2013
18.	सीएमडी	नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड	01.08.2013
19.	सीएमडी	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन	13.09.2013
20.	सीएमडी	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	05.01.2014
21.	अध्यक्ष	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	24.01.2014
22.	एमडी	ओएनजीसी विदेशी लिमिटेड	01.03.2014
23.	एमडी	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	18.03.2014
24.	एमडी	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	20.03.2014
25.	सीएमडी	परियोजना एंव विकास इंडिया लिमिटेड	11.04.2014
26.	सीएमडी	राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड	05.05.2014
27.	अध्यक्ष	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	01.06.2014
28.	सीएमडी	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	01.06.2014
29.	एमडी	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	01.06.2014
30.	एमडी	सेंट्रल काटेज इन्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	17.06.2014
31.	सीएमडी	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	18.06.2014
32.	सीएमडी	कोल इंडिया लिमिटेड	26.06.2014
33.	सीएमडी	भारत संचार निगम लिमिटेड	01.07.2014

1	2	3	4
34.	सीएमडी	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	01.08.2013
35.	सीएमडी	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	03.03.2014

एमडी—प्रबंध निदेशक, सीएमडी—अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में बोर्ड स्तर के रिक्त पदों के मुख्य कारणों में शामिल है (i) पदधारी के त्यागपत्र/मृत्यु/वर्टिकल शिफ्ट, पदधारी के सेवाकाल की अवधि नियमित न होने/न बढ़ाने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा सिफारिशी पैनल को रद्द करने के कारण अप्रत्याशित रिक्तियां होना (ii) सक्षम प्राधिकारी से सतर्कता निकासी अथवा अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब (iii) न्यायिक मामले (iv) बोर्डस्तर के नए पदों का सृजन और (v) किसी विशेष पद को रोक कर रखने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय का निर्णय आदि।

(ग) केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में बोर्ड स्तर के पदों को भरना एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है और इन रिक्त पदों को इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद नियमित आधार पर भरा जाएगा।

(घ) ऐसी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है और केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में बोर्ड स्तर के रिक्त पदों को अतिरिक्त प्रभार व्यवस्था करके उस पर निगरानी रखी जा रही है।

(ङ) सरकार ने केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में बोर्ड स्तर के रिक्त पदों को भरने के लिए कई कदम उठाए हैं और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को समय पर केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में रिक्तियों को भरने संबंधी अनुदेश जारी किए गए हैं और इसे नियमित रूप से मॉनीटर किया जा रहा है। एक केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में बोर्ड स्तर के पदों में नियुक्तियों के लिए प्रस्तावों को तैयार करने में विलम्ब को रोकने के लिए एक कम्प्यूटरीकृत डाटा बेस और मॉनीटरिंग प्रणाली विकसित की गई है जिसके लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) का अनुमोदन अपेक्षित है। एसीसी प्रस्तावों पर कार्रवाई को मॉनीटर करने के लिए एक अन्य सॉफ्टवेयर भी तैयार किया गया है।

[हिन्दी]

डाक विभाग में बैंकिंग सेवाएं

32. **श्री हंसराज गंगाराम अहीर :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग ने देश में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डाक विभाग ने देश में डाक सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु पर्याप्त आधारभूत ढांचे की स्थापना कर ली है;

(घ) यदि हां, तो क्या डाक विभाग ने बैंकिंग प्रणाली को सफल बनाने के लिए कोई तैयारी की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। डाक विभाग ने बैंकिंग प्रचालन आरंभ करने के लिए लाइसेंस हेतु दिनांक 28.06.2013 को भारतीय रिजर्व बैंक को एक आवेदन प्रस्तुत किया था। भातीय रिजर्व बैंक ने 2 अप्रैल, 2014 को अपनी वेबसाइट पर पोस्ट की गई प्रेस विज्ञप्ति में उन दो आवेदकों के नाम सूचीबद्ध किए थे जिन्हें इसने बैंकिंग लाइसेंस के लिए सिद्धांतः अनुमोदन जारी किया था। उक्त सूची में डाक विभाग का नाम शामिल नहीं था।

(ग) जी, नहीं। डाक विभाग ने देश में डाक सेवाओं में लगे रहते हुए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी प्रकार के आधारभूत ढांचे की स्थापना नहीं की है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ईपीएफ पेंशन में वृद्धि

33. **श्री एंटो एन्टोनी :** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई निवेदन/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत पेंशन भोगियों के लिए न्यनूतम 1000/- रुपये प्रतिमाह पेंशन अनुमोदित कर दी है।

(ग) और (घ) कर्मचारी योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत पेंशन में वृद्धि करने के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यावेदनों के आधार पर सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत पेंशनधारियों के लिए 1000/- रुपये न्यूनतम पेंशन का अनुमोदन किया है।

कालीकट विमानपत्तन रनवे की मरम्मत

34. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट विमानपत्तन रनवे पर दरारें देखने में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रनवे की मरम्मत के लिए कोई कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) से (ग) जी, हां। रनवे 28 के टर्निंग पैड तथा छोर पर कुछ स्थानों पर सतह में छोटी मोटी दरारें तथा खामियां देखने में आयी थीं। रनवे/टर्निंग पैड की आवश्यक मरम्मत करा दी गई है। इसके अतिरिक्त, सीआरआरआई, नई दिल्ली को पेवमेंट के भावी मूल्यांकन के लिए परामर्शदाता के रूप में लगाया गया है।

नैमित्तिक/ठेका मजदूर

35. श्री बी.वी. नाईक : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विगत कुछ वर्षों से नैमित्तिक और ठेका मजदूरों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कार्य पर लगाए गए इन नैमित्तिक/ठेका मजूदरों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव इन मजदूरों को नियमित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में ऐसे कामगारों/मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) :(क) और (ख) इस संबंध में कोई केन्द्रीयकृत आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) और (घ) ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत ठेका श्रमिकों के नियमितीकरण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा 1993 में प्रारंभ की गई नैमित्तिक श्रमिक (अस्थायी पद देना एवं नियमितीकरण) की विद्यमान योजना के अंतर्गत नैमित्तिक कामगारों को नियमित किया जाता है।

(ङ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा क्रमशः कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत ठेका कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ दिये जाते हैं बशर्ते जिन स्थापनाओं में आउटसोर्स कामगार कार्यरत हैं, वे उक्त अधिनियमों के अंतर्गत कवर हों।

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा 1993 में प्रारंभ की गई नैमित्तिक श्रमिक (अस्थायी पद देना एवं नियमितीकरण) योजना के अंतर्गत नैमित्तिक कामगारों को अवकाश पात्रता, प्रसूती अवकाश, सेवानिवृत्ति हेतु सेवा की गणना, जीपीएफ में अंशदान, उत्पादकता संबद्ध बोनस इत्यादि जैसे सामजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराये जाते हैं।

आईटी क्षेत्र का विस्तार करना

36. श्री प्रताप सिम्हा :

कुमारी शोभा कारान्दलाजे :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र अभी भी इस प्रतियोगी वातावरण में अपनी दक्षता बनाए हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में आईटी कंपनियां विदेशों से नई परियोजनाएं प्राप्त करने में असफल होने के फलस्वरूप विस्तृत संख्या में आईटी पेशेवरों को रोजगार देने में अक्षम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश तथा विदेशों में कार्य कर रहे आईटी स्नातकों और पेशवरों की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संख्या कितनी है और उनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है; और

(ङ) नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेस कंपनी (नेसकॉम) और अन्य पेशेवर निकायों द्वारा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईटी व्यापार बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनी संघ (नेस्कॉम) के अनुसार भारत सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाओं (आइटी-आईटीईएस) के विपणन हेतु वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी बाजार स्थल बना हुआ है। वैश्विक स्तर पर इसका योगदान वर्ष 2012 में 52% की तुलना में वर्ष 2013 में वैश्विक स्रोत बाजार का कुल 55% रहा। कुछ एशियाई और लैटिन अमेरिकी बाजार भी इस क्षेत्र में उभर कर सामने आए हैं और आईटी-आईटीईएस के क्षेत्र में निवेश के लिए बेहतर विकल्प के रूप में तेजी से इनका चयन किया जा रहा है। हालांकि एक परिपक्व, ग्राहक केंद्रित उद्योग, डोमेन अनुभव, प्रतिभाओं के बड़े पूल और उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर भारत की अद्वितीय स्थिति से यह सुनिश्चित हो गया है कि भारत अधिकांश वैश्विक स्रोत स्थलों का केंद्र बिन्दु बना हुआ है। इस प्रकार, भारतीय उद्योग उच्च मूल्यवर्धित निर्यात के साथ प्रतिस्पर्धी बना हुआ है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार भारतीय आईटी-आईटीईएस निर्यात राजस्व (निर्यात + घरेलू) में पिछले पांच वर्ष के दौरान उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है:—

(क) (बिलियन यूएस डॉलर में, करोड़ रुपए)

	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14(ई)	
	यूएस डॉलर	रुपए में	यूएस डॉलर	रुपए में	यूएस डॉलर	रुपए में	यूएस डॉलर	रुपए में	यूएस डॉलर	रुपए में
निर्यात	49.7	235033	59.0	268609	68.7	332769	75.8	410836	86.0	519440
घरेलू	14.3	67800	17.3	78670	19.0	91766	19.3	104700	19.0	114760
जोड़	64.0	302833	76.3	347279	87.7	424535	95.1	515536	105.0	634200

ई = अनुमान

स्रोत: नेस्कॉम

(ग) और (घ) भारतीय आईटी-आईटीईएस उद्योग क्रमिक रूप से बढ़ रहा है और यह विदेशों से विभिन्न नई परियोजनाएं प्राप्त करने में सक्षम है। नेस्कॉम के अनुसार, भारतीय आईटी-आईटीईएस उद्योग के संबंध में निर्यात राजस्व वित्त वर्ष 2012-13 में 75.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष 2013-14 में लगभग 86.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर है जिसमें उक्त अवधि के दौरान 13.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, भारतीय आईटी-आईटीईएस उद्योग द्वारा नियोजित पेशेवर वित्त वर्ष 2012-13 में 2.96 मिलियन की तुलना में वित्त वर्ष 2013-14 में अनुमानत: 3.13 मलियन है जो 1,66,000 की निवल वृद्धि दर्शाता है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की पूर्ति के लिए कर्मचारियों की कुल संख्या निम्नलिखित है:—

	वित्त वर्ष 2013-14 (अनुमानित)
आईटी-आईटीईएस (घरेलू)	680000
आईटी-आईटीईएस (निर्यात)	2450000

नेस्कॉम के अनुसार, किसी देश विशेष के आधार पर ऐसे पेशेवरों की प्रति व्यक्ति आय के बारे में कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

(ङ) नेस्कॉम के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए इसे विभिन्न मोर्चों पर लागया गया है ताकि भारत विश्व में अग्रणी आफशोरिंग गंतव्य बना रहे। इसके अलावा, यह उद्योग शैक्षिक संस्थानों और सरकार सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा है ताकि आईटी-आईटीईएस उद्योग के क्षेत्र में भारत की वृद्धि बनी रहे। इसके अतिरिक्त, नेस्कॉम कौशल विकास, व्यापार और व्यवसाय सेवाओं जैसे मुख्य क्षेत्रों में नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है और विचारों के आदान-प्रदान के बारे में अपने सदस्यों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए मंच प्रदान करता है। नेस्कॉम विभिन्न संकाय विकास कार्यक्रमों में भी सक्रिय रूप से शामिल है और आईटी-आईटीईएस सेक्टर की उभरती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध कौशल तथा कौशल के लिए अपेक्षित कौशल का अध्ययन करने के लिए सेक्टर कौशल परिषद् के साथ भागीदारी की है।

कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन

37. श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव :
श्री धनंजय महाडीक :
श्री राजीव सातव :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के श्रम कानूनों की परिधि में संगठित क्षेत्र के कार्यबल का बहुत कम प्रतिशत आता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव श्रम सुधार लाने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्य सरकार ने इस संबंध में कर्मचारियों और मजदूर संघों सहित सभी संबंधित हितधारकों से विचार-विमर्श किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इन हितधारकों के प्रत्युत्तर और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के डाटा के अनुसार 2009-10 में देश में कार्यबल की कुल संख्या 46.5 करोड़ थी। इसमें से लगभग 2.8 करोड़ (6%) संगठित क्षेत्र में थे और शेष 43.7 करोड़ (94%) असंगठित क्षेत्र में थे। अधिकांश श्रम कानून केवल संगठित क्षेत्र पर ही लागू हैं जो कुल कार्यबल का लगभग 6% है।

(ग) सरकार ने श्रम सुधारों को लागू करने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन करने का विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्तावित प्रमुख संशोधनों में शामिल हैं:—

- कतिपय शर्तों के अधीन कारखानों में महिलाओं के लिए रात की पाली में काम करने पर लगाए प्रतिबंधों में ढील
- तिमाही में अधिसमय काम की सीमा में बढ़ोत्तरी करके 100 घंटे (मौजूदा 50 घंटे) करना
- अपराधों के बढ़ने संबंधी नई उप-धारा की पेश किया जाना
- कामगारों की सुरक्षा के लिए निजी संरक्षण उपकरणों के प्रावधानों/धुएं और गैसों से अधिक सावधानियां
- केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करना (वर्तमान में केवल राज्य सरकारें ही नियम बनाती हैं)।

(घ) और (ङ) कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधनों की प्रक्रिया में, सरकार ने 2011 में योजना आयोग के तत्कालीन सदस्य डॉ. नरेन्द्र जाधव की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। विशेषज्ञ समिति ने जनवरी से मार्च, 2011 माह तक कर्मचारी और कामगार एसोसिएशनों (श्रमिक संघ) के साथ अनेकों बैठकें की थीं। विशेषज्ञ समिति द्वारा श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों के सुझावों पर विचार किया गया है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्रस्तावित संशोधनों सहित सितम्बर, 2011 में सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में भी रखी गई थी। सरकार द्वारा अब प्रस्तावित मसोदा संशोधनों में अंतर-मंत्रालीय परामर्शों के परिणाम, राज्य सरकारों की टिप्पणियां तथा उपर्युक्त बैठकों में श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों तथा नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए विचार शामिल हैं।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों (पीएसयू) का पुनरुद्धार

38. श्री निशिकान्त दुबे : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों (पीएसयू) की संख्या और उनमें कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्तमान में सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत बंद और चालू सीमेंट उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव सरकारी क्षेत्र के बंद और रुग्ण चालू उपक्रमों के पुनरुद्धार का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बोर्ड फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज (बीआरपीएसई) द्वारा सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के शीघ्र मंजूरी हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) 31.3.2013 की स्थितिनुसार 61 रुग्ण केन्द्रीय सरकारी उद्यम थे और उनमें 153154 कर्मचारी कार्यरत थे।

(ख) से (घ) सीमेंट उद्योग में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की एक कंपनी है अर्थात् सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.। यह कंपनी रुग्ण हो गई और सरकार ने लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) की सिफारिशों के आधार पर 2006 में 1452.24 करोड़ रुपए की लागत पर एक पुनरुद्धार पैकेज स्वीकृत किया जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ 7 गैर-संचालन इकाइयों को बंद करने और उन्हें बेचने पर और 3 संचालित इकाइयों का विस्तार करने और उनका नवीनीकरण करने पर विचार किया । कंपनी वर्ष 2006-07 से लाभ अर्जित कर रही है।

(ङ) अधिदेश के अनुसार, बीआरपीएसई द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग से पूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से दो माह के भीतर सिफारिश किए जाने की संभावना है। तद्नुसार, बीआरपीएसई ने उसको भेजे गए रुग्ण केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के सभी प्रस्तावों पर समय से विचार किया है और अपनी सिफारिश दी है।

तेल फर्मों द्वारा सौर ऊर्जा

39. श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव :
श्री धनंजय महाडीक :
श्री राजीव सातव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) का विचार अपनी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधियों से बच्चों को मिट्टी के तेल के लैंप की ऊष्मा ओर विषैलेपन के बिना पढ़ने के लिए सौर गृह प्रकाश प्रणाली प्रदान करने के लिए सौर ऊर्जा स्थापित/दोहन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए ठोस कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना को शुरू करने के लिए मिट्टी के तेल के उच्च उपभोग वाले जिलों को चिह्नित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए उठाए गए कदमों/निर्धारित निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह परियोजना देश में कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा मिट्टी के तेल उपभोग को कम करने और इन परियोजनाओं के माध्यम से राजसहायता को कम करने के लिए आगे और क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) से (घ) सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें बच्चों को मिट्टी तेल के लैम्प की गर्मी और विषैले धुएं के कष्ट के बिना पढ़ने के लिए सौरगृह प्रकाश प्रणाली प्रदान करने हेतु सौर ऊर्जा स्थापित करने/दोहन करने का उल्लेख हो। जनगणना 2011 के अनुसार, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां पर घरों में विद्युतीकरण नहीं है और वे प्रकाश के मुख्य स्रोत के रूप में मिट्टी तेल का उपयोग कर रहे हैं। 100 सर्वाधिक प्रभावित जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) मिट्टी तेल के उपयोग को न्यूनतम करने के उद्देश्य से, सरकार ने वर्ष 2009 में लघु आकार की एलपीजी वितरण एजेंसियों के लिए एक कार्यक्रम 'राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना' (आरजीजीएलवीवाई) शुरू किया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में जहां एलपीजी कवरेज कम है, में एलपीजी जनसंख्या कवरेज में वृद्धि करने पर फोकस किया गया है। दिनांक 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार ओएमसीज ने 3037 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्श चालू किए हैं। भारत सरकार राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों (यूटीज) को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मिट्टी तेल को केवल खाना पकाने और रोशनी करने के लिए आबंटित करती है। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशें के भीतर अपने पीडीएस नेटवर्क के माध्यम से कार्डधारकों को उनके संबंधित मानदंड के अनुसार आगे का वितरण करना संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों उत्तरदायित्व है। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के पीडीएस मिट्टी तेल कोटा के वितरण को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से, आबंटन को निर्धारित करने के लिए विस्तृत सिद्धांत अपनाए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एलपीजी कनेक्शनों (ऐसे राज्यों मे जहां कवरेज राष्ट्रीय कवरेज से ऊपर था) में वृद्धि करना और गैर-एलपीजी जनसंख्या के लिए प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आबंटन के आधार पर पीडीएस मिट्टी तेल आबंटन को सीमित करना

शामिल है। मिट्टी तेल के उपयोग को न्यूनतम करने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2009 में लघु आकार की एलपीजी वितरण एजेंसियों के लिए एक कार्यक्रम 'राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना' (आरजीजीएलवीवाई) शुरू किया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में जहां एलपीजी कवरेज कम है में एलपीजी जनसख्या कवरेज में वृद्धि करने पर फोकस किया गया है।

विवरण

शीर्ष 100 जिलों की सूची जहां घरों में बिजली नहीं है

क्र. सं.	राज्य	जिलों का नाम	घरों का प्रतिशत, जहां बिजली नहीं है
1	2	3	4
1.	असम	डूबरी	81.76
2.	असम	कोकराझार	76.52
3.	असम	बाकसा	76.17
4.	असम	डीमाजी	76.14
5.	असम	चीरांग	75.29
6.	असम	डारांग	74.95
7.	असम	बारपेटा	74.14
8.	असम	मारीगांव	71.06
9.	असम	करीमगंज	70.49
10.	बिहार	अरवाल	94.90
11.	बिहार	मेधापुरा	93.91
12.	बिहार	सेओहार	92.71
13.	बिहार	अरारिया	92.04
14.	बिहार	पूर्व चंपारन	91.92
15.	बिहार	पश्चिम चंपारन	91.42
16.	बिहार	सीतामढ़ी	90.54
17.	बिहार	कटिहार	89.86
18.	बिहार	सीवान	89.66
19.	बिहार	नवादा	89.49
20.	बिहार	समस्तीपुर	89.30
21.	बिहार	जामूई	88.57
22.	बिहार	वैशाली	88.52
23.	बिहार	साहरसा	88.42
24.	बिहार	सुपौल	88.00
25.	बिहार	खागरिया	87.26
26.	बिहार	मधुबनी	86.98
27.	बिहार	औरंगाबाद	86.89
28.	बिहार	पुरनिया	86.34
29.	बिहार	सारन	84.65
30.	बिहार	दरभंगा	83.77
31.	बिहार	जेहानाबाद	83.72
32.	बिहार	बोहिपुर	83.31
33.	बिहार	गोपालगंज	83.04
34.	बिहार	बांका	83.03
35.	बिहार	गया	82.75
36.	बिहार	किशनगंज	82.30
37.	बिहार	बक्सर	81.05
38.	बिहार	मुजफ्फरपुर	80.61
39.	बिहार	शेखपुरा	79.68
40.	बिहार	बेगुसराय	79.47
41.	बिहार	कैमूर (भाभवा)	77.95
42.	बिहार	नालंदा	77.91
43.	बिहार	रोहतास	74.19

1	2	3	4
44.	बिहार	लखीसराय	72.00
45.	छत्तीसगढ़	बीजापुर	71.25
46.	झारखंड	ग्राहवा	87.39
47.	झारखंड	सिमडेगा	84.91
48.	झारखंड	छत्रा	84.08
49.	झारखंड	साहिबगंज	84.00
50.	झारखंड	गुमला	82.69
51.	झारखंड	पाकुर	82.30
52.	झारखंड	गोडा	82.24
53.	झारखंड	पालामू	80.37
54.	झारखंड	डुमका	78.86
55.	ओडिशा	नाबारंगापुरा	86.79
56.	ओडिशा	कांडामल	82.85
57.	ओडिशा	बौध	81.92
58.	ओडिशा	मलकानगिरी	81.38
59.	ओडिशा	कालाहांडी	76.63
60.	ओडिशा	मयारभंज	75.88
61.	ओडिशा	कोरापुट	74.18
62.	ओडिशा	रायागाडा	72.37
63.	ओडिशा	नुआपाडा	71.80
64.	ओडिशा	बालांगीर	71.05
65.	उत्तर प्रदेश	सरस्वती	88.43
66.	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	86.33
67.	उत्तर प्रदेश	हरदोई	85.37
68.	उत्तर प्रदेश	भारीच	85.11
69.	उत्तर प्रदेश	कानपुर देहात	84.23
70.	उत्तर प्रदेश	कौशांबी	83.77
71.	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर	83.56
72.	उत्तर प्रदेश	खेरी	82.06
73.	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	81.78
74.	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	81.77
75.	उत्तर प्रदेश	बदायूं	81.72
79.	उत्तर प्रदेश	गोंडा	80.25
77.	उत्तर प्रदेश	बाराबाकी	80.07
78.	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर	79.34
79.	उत्तर प्रदेश	कांशीराम नगर	78.32
80.	उत्तर प्रदेश	मैनपुरी	78.12
81	उत्तर प्रदेश	महाराजगंज	77.56
82.	उत्तर प्रदेश	शाहज़हापुर	77.43
83.	उत्तर प्रदेश	खुशी नगर	76.86
84.	उत्तर प्रदेश	कन्नौज	76.83
85.	उत्तर प्रदेश	बांदा	76.70
86.	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत	76.38
87.	उत्तर प्रदेश	ऐटा	75.59
88.	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थ नगर	74.88
89.	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	74.86
90.	उत्तर प्रदेश	बलिया	74.50
91.	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	73.30
92.	उत्तर प्रदेश	ओरइया	73.20
93.	उत्तर प्रदेश	माहोबा	72.96
94.	उत्तर प्रदेश	हमीरपुर	72.90
95.	उत्तर प्रदेश	अंबेडकर नगर	72.39

1	2	3	4
96.	उत्तर प्रदेश	जौनपुर	72.23
97.	उत्तर प्रदेश	आज़मगढ़	71.92
98.	उत्तर प्रदेश	बस्ती	71.19
99.	उत्तर प्रदेश	फ़ारूखाबाद	70.76
100.	पश्चिम बंगाल	कोच बिहार	71.66

तेल कंपनियों में अनियमितताएं

40. कुमारी शोभा कारान्दलाजे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की कार्यप्रणाली के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर जांच की अवधि के दौरान पाई गई/देखी गई अनियमितताओं/कदाचार के मामलों की ओएमसी-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ओएमसी-वार और मामला-वार सही पाई गई/साबित अनियमितताओं/कदाचारों की संख्या और ऐसे मामलों में दंडित लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) वर्तमान में लंबित मामले, जिन पर अभी कार्रवाई की जानी है, की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के खुदरा बिक्री केन्द्रों (आउटलेटों) पर अनियमितताओं/कदाचारों को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पेट्रालियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) नामतः इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसी) ने बताया है कि उन्हें पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष (अप्रैल-मई, 2014) के दौरान तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के खुदरा बिक्री केन्द्रों के कार्य के संदर्भ में 15810 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ओएमसी-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

वर्ष	आईओसी	बीपीसी	एचपीसी
1	2	3	4
2011-12	1508	1799	1156
2012-13	1877	1486	1253
2013-14	1823	2338	1587
2014-15 (अप्रैल-मई)	310	451	322
कुल	5518	5974	4318

(ख) उक्त अवधि के दौरान ओएमसीज द्वारा अनियमितताओं/कदाचारों के 94 मामले सिद्ध हुए हैं और विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई है। मामला-वार ब्यौरे ओएमसीज के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध हैं।

(ग) ओएमसीज ने बताया है कि आज की तारीख तक 5 मामले लंबित हैं जिन पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। दो मामलें न्यायालयों में लंबित हैं और अन्य तीन मामलों में जांच पड़ताल चल रही है।

(घ) विभिन्न ओएमसीज के खुदरा बिक्री केन्द्रों में अनियमितताओं/कदाचारों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे सुधारात्मक उपायों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

(i) संबंधित तेल कंपनी के कार्मिकों द्वारा निरीक्षण।

(ii) मोबाइल प्रयोगशालाओं द्वारा निरीक्षण।

(iii) सरकारी प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण।

(iv) वैश्विक अवस्थित प्रणाली (जीपीएस) के माध्यम से एमएस/एचएसडी टैंक ट्रक के संचालन की निगरानी।

(v) 200 किलो लीटर प्रति माह से अधिक की बिक्री करने वाले आरओज का स्वचलन।

(vi) 100 किलो लीटर प्रति माह से अधिक की बिक्री करने वाले आरओज का तृतीय पक्षकार प्रमाणन।

[हिन्दी]

संगठित क्षेत्र कर्मकारों के लिए बीमा

41. **श्री अर्जुन राम मेघवाल :**
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में असंगठित क्षेत्र में वर्तमान में कार्य कर रहे कर्मकारों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे कर्मकारों को स्थायी रोजगार प्रदान करने के लिए कोई दीर्घकालिक नीति तैयार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार द्वारा ऐसे कर्मकारों के लिए कोई बीमा योजना कार्यान्वित की गई है या कार्यान्वित किए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए/लाभान्वित हो सकने वाले कर्मकारों की कुल संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा 2011-12 में आयोजित सर्वेक्षण के अनुसार, देश में संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में कुल रोजगार 47 करोड़ था। जिसमें से, लगभग 8 करोड़ संगठित क्षेत्र में तथा शेष 39 करोड़ असंगठित क्षेत्र में थे।

(ख) और (ग) ऐसी कोई नीति नहीं है।

(घ) जी, हां।

(ङ) असंगठित क्षेत्र में बीपीएल परिवारों (पांच की इकाई वाले) को प्रतिवर्ष 30,000/- रुपए का नकदी रहित स्मार्ट कार्ड आधारित बीमा कवर प्रदान करने के लिए 1 अक्तूबर, 2007 को 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' आरंभ की गई थी। यह योजना 01.04.2008 से प्रचालन में आई। प्रीमियम केन्द्रीय और राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में वहन किया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर के मामले में प्रीमियम वहन करने का अनुपात 90:10 है। सरकार का प्रयास राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) को सभी असंगठित कामगारों पर चरणबद्ध ढंग से विस्तारित करने का है। कार्यान्वयन के क्रम में, बीपीएल परिवारों के अलावा, आरएसबीवाई की कवरेज को असंगठित कामगारों की विभिन्न श्रेणियों पर विस्तारित कर दिया गया है अर्थात् भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों, लाईसेंसशुदा रेलवे कुलियों, गली में फेरी लगाने वालों, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान पन्द्रह से अधिक दिन कार्य कर चुके मनरेगा कामगारों, बीड़ी कामगारों, घरेलू कामगारों, सफाई कामगारों, खान कामगारों, रिक्शा चालकों, कचरा बीनने वालों और ऑटो/टैक्सी चालकों पर।

इस योजना के अंतर्गत 3.85 करोड़ से अधिक परिवारों को कवर किया गया है।

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार

42. योगी आदित्यनाथ : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का अभिकथन करने वाले अभ्यावेदन समय-समय पर सरकार को प्राप्त हुए। उच्चतर न्यायपालिका के लिए स्थापित 'आंतरिक तंत्र' के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति, के आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं। प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों को, यथास्थिति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को या संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को समुचित कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया जाता है। राज्यों में अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण, संबद्ध उच्च न्यायालय में निहित होता है। केन्द्रीय सरकार ऐसी शिकायतों की जांच पड़ताल करने या उस पर की गई कार्रवाई का मॉनीटर करने का कोई आदेश नहीं देती है।

(ग) उच्चतर न्यायपालिका में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए "न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक" नामक एक विधेयक तारीख 01.12.2010 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था। विधेयक न्यायिक मानक अधिकथित करता है जिन्हें न्यायिक जीवन में मूल्यों का पुनर्कथन, 1997 से लिया गया है और जिसे उच्चतम न्यायालय के पूर्ण न्यायालय ने प्रतिग्रहण और अनुमोदन किया है। जिसमें न्यायाधीशों को अपनी आस्तियों और दायित्व के अतिरिक्त अपने पति या अपनी पत्नी और आश्रित बच्चों के आस्तियों और दायित्वों की घोषणा करने के लिए अनिवार्य किया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध अभिकथित कदाचार और अक्षमता और आधारों पर नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों के निपटारे के लिए और अन्वेषण के पश्चात् उनके दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए व्यापक तंत्र का उपबंध करता है तथापि, यह विधेयक 15वीं लोक सभा के विघटन के परिणामस्वरूप व्यपगत हो गया है। यह विषय सरकार के पास और विचाराधीन है।

सांध्यकालीन विशेष न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय

43. श्री सुनील कुमार सिंह : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को सांध्यकालीन/विशेष न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय की स्थापना के लिए निधियां आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान देश में स्थापित इस प्रकार के न्यायालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है तथा इन्हें कितनी निधियां आबंटित/जारी की गई हैं;

(ग) क्या इन न्यायालयों की स्थापना से न्यायालय में लंबित मुकदमों की संख्या में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (घ) सरकार ने तेरहवें वित्त आयोग (टीएफसी) पंचाट के अधीन 'न्याय परिदान प्रणाली का सुधार' के लिए प्रात:कालीन/सायंकालीन/पाली/विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों को स्थापित करने के लिए राज्यों को 2500.00 करोड़ रुपए आबंटित किया है। राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, प्रात:कालीन/सायंकालीन/पाली/विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों को स्थापित करने के लिए राज्यों को आबंटित निधियों, स्थापित न्यायालयों की संख्या, वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान जारी की गई निधियों और आरंभ से निपटान किए गए मामलों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। वर्ष 2013-14 के दौरान इस घटक के लिए कोई अनुदान नहीं जारी किया गया था।

विवरण

तेरहवें वित्त आयोग (टीएफसी) पंचाट के अधीन 'न्याय परिदान प्रणाली का सुधार' के लिए प्राप्त:कालीन (सायंकालीन/पाली/ विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों को स्थापित करने के लिए राज्यों को आबंटित निधियां

क्र. सं.	राज्य का नाम	आबंटित निधियां (करोड़ रुपए)	स्थापित किए गए न्यायालयों की संख्या	वर्ष के दौरान जारी की गई निधियां (करोड़ रुपए)			आरंभ से निपटान किए मामलों की संख्या
				2010-11	2011-12	2012-13	
1	2	3	4	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	145.18	259	29.04	14.52	—	31436
2.	अरुणाचल प्रदेश	53.15	0	10.63	0	—	—
3.	असम	45.31	263	9.06	0	—	158809
4.	बिहार	214.32	38	42.86	21.43	—	845
5.	छत्तीसगढ़	54.56	0	10.91	0	—	2381
6.	गोवा	7.68	0	1.54	0	—	—
7.	गुजरात	161.17	169	32.23	32.23	32.23	350367
8.	हरियाणा	61.61	64	12.32	6.16	—	155439
9.	हिमाचल प्रदेश	19.75	2	3.95	3.95	—	—
10.	जम्मू और कश्मीर	32.61	0	6.52	3.26	—	—
11.	झारखंड	82.62	0	16.52	0	—	—

1	2	3	4	4	5	6	7
12.	कर्नाटक	136.71	0	27.34	13.67	—	—
13.	केरल	67.42	5	13.48	6.74	—	40033
14.	मध्य प्रदेश	204.91	0	40.98	20.49	—	—
15.	महाराष्ट्र	297.57	394	59.51	29.76	—	866516
16.	मणिपुर	5.33	0	1.07	0	—	—
17.	मेघालय	1.57	0	0.31	0	—	—
18.	मिज़ोरम	6.27	0	1.25	0.63	—	—
19.	नागालैंड	4.23	0	0.85	0	—	—
20.	ओडिशा	83.25	198	16.65	8.33	—	500
21.	पंजाब	54.25	52	10.85	5.43	—	730996
22.	राजस्थान	129.34	0	25.87	12.93	—	—
23.	सिक्किम	2.04	0	0.41	0	—	—
24.	तमिलनाडु	123.54	10	24.71	0	—	4218
25.	त्रिपुरा	12.54	135	2.51	1.25	—	98080
26.	उत्तर प्रदेश	340.84	340	68.17	34.08	—	30868
27.	उत्तराखंड	42.80	25	8.56	4.28	—	341
28.	पश्चिम बंगाल	109.43	0	21.89	10.94	—	—
	योग	2500.00	1954	500.00	230.08	32.23	

[अनुवाद]

सरकारी एवं निजी क्षेत्र के भारी उद्योग

44. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों विशेषकर ओडिशा में स्थापित सरकारी एवं निजी क्षेत्र के भारी उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना से विस्थापित हुए परिवारों की संख्या कितनी है;

(ग) इन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में अब तक पुनर्स्थापित किए गए परिवारों की संख्या कितनी है; और

(घ) इन उद्योगों में अब तक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित किए गए व्यक्तियों की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेष रूप से ओडिशा में संख्या कितनी है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (घ) चूंकि उद्योग राज्य का विषय है, इसलिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में स्थापित भारी उद्योगों के लिए विस्थापन/पुनर्वास, रोजगार आदि से संबंधित केन्द्रीकृत आंकड़ें इस विभाग में नहीं रखे जाते हैं।

एकल खिड़की मंजूरी

45. प्रो. सौगत राय : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विधि एवं प्रक्रिया को सरल बनाकर परियोजनाओं हेतु एकल खिड़की का प्रावधान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में निवेश हेतु वातावरण को बेहतर बनाने के लिए विधि एवं प्रक्रिया को सरल बनाने, निरर्थक एवं पुराने कानूनों को निरस्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय विमानन क्षेत्र

46. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
योगी आदित्यनाथ :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कंपनियों सहित भारतीय विमानन क्षेत्र को गत कुछ वर्षों से भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय विमानन क्षेत्र के प्रचालन तथा वित्तीय कार्य-निष्पादन की कोई समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणाम क्या रहे और सरकार द्वारा इन हानियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) और (ख) अनुसूचित एयरलाइनों और नागर विमानन मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पवनहंस लिमिटेड (पीएचएल) को वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक हुए घाटे की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

तेजी से बदल रहे और वैश्विक आर्थिक स्थितियों द्वारा नियंत्रित हवाई परिवहन के वातावरण की वजह से एयरलाइनों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संरचनागत समायोजन करने पर विवश होना पड़ रहा है। भारत के हवाई यातायात उद्योग के समक्ष एक बड़ी चुनौती विमानवाहकों का अत्यधिक और बढ़ता हुआ ऋणभार है। जहां इस स्थिति के लिए अनेक संरचनागत कारक जिम्मेदार हैं, वहीं ऊंची प्रचालनिक लागतें एयरलाइनों की वित्तीय स्थिति को कुप्रभावित कर रही हैं। भारत के विमानन क्षेत्र पर ईंधन, विमान लीज, हवाईअड्डा प्रभार, हवाई यात्री टिकटें, हवाई दिक्चालन सेवा प्रभार, अनुरक्षण लागतें, ईंधन प्रवाह शुल्क, विमानगत ईंधन शुल्क, और अन्य मदों पर भारी करों का बोझ है।

(ग) और (घ) सरकार ने केवल एयर इंडिया के प्रचालनिक और वित्तीय निष्पादन की समीक्षा की हे औ घाटों के कारणों की पहचान की गई है। सरकार द्वारा अनुमोदित कायाकल्प योजना (टीएपी) और वित्तीय पुनर्संरचना योजना (एफआरपी) के अंतर्गत अतिरिक्त इक्विटी निवेश करने का निर्णय भी लिया गया है।

विवरण

अनुसूचित भारतीय वाहक (हानि तथा लाभ)

प्रचालन परिणाम (मिलियन रुपए में)

वाहक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
राष्ट्रीय वाहक				
नैसिल (एआई/आईसी संयुक्त)	-31784.0	-37408.0	-51001.8	-29866.5*
एयर इंडिया एक्सप्रेस	-1556.0	-3196.1	-3225.3	लागू नहीं
एलायंस एयर	-393.2	-265.3	-1150.2	-1729.5*

1	2	3	4	5
निजी अनुसूचित घरेलू एयरलाइनें				
जेट एयरवेज	2006.1	6800.1	-6547.7	1225.8
जेट लाईट (प्रा.) लिमिटेड	609.2	-609.7	-2885.4	-2468.0
गो एयर	-126.8	1481.4	-746.5	850.9
किंगफिशर	-11166.6	-2366.9	—	—
स्पाईस जेट	606.0	1281.6	-6293.7	-2798.2*
इंडिगो	4467.0	6024.9	-876.8	7957.9

स्रोत: अनुसूचित भारतीय वाहकों द्वारा प्रस्तुत आईसीएओ एटीआर फार्म—ईएफ।

*अस्थाई आंकड़े।

पवन हंस लिमिटेड (लाभ तथा हानि)

2009-10	35.59 करोड़ रुपए	—
2010-11	18.50 करोड़ रुपए	—
2011-12	—	10.35 करोड़ रुपए*
2012-13	11.70 करोड़ रुपए	—

*वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान शुद्ध हानि मुख्यत: उच्च मूल्यह्रास (60.30 करोड़ रुपए) तथा वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में हैलीकॉप्टर बेड़े का अर्जन करने के वर्ष के लिए अतिरिक्त प्रावधान की गई आयकर/आस्थगित कर देयताओं (जिसकी कुल राशि 32.78 करोड़ रुपए है) के परिणामस्वरूप है।

मध्यस्थता केन्द्र

47. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विशेषकर गरीब लोगों के मुकदमों के सरल निपटारे के लिए राज्य/जिला मध्यस्थता केन्द्रों का सहयोग कर उन्हें प्रोत्साहित करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन केन्द्रों के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान मध्यस्थता केन्द्रों में निपटाए गए मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार मौजूदा मध्यस्थता केन्द्रों की सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां, राज्यों में मध्यस्थता केन्द्र स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निधियां आबंटित की है। इन केन्द्रों का उद्देश्य विवादों के निपटारे के लिए सस्ती और तेज प्रक्रिया मुहैया कराना है।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) तेरहवें वित्त आयोग ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89, में यथा प्रगणित, लोक अदालत, मध्यस्थता, सुलह, माध्यस्थम् और न्यायिक निपटारे का आयोजन करने के लिए 600 जिलों में जिला अनुकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र स्थापित करने के लिए भी निधियां आबंटित की है। जिला अनुकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र में मध्यस्थता

आयोजित करने का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए लंबित मामलों को न्यायालय में मध्यस्थना के लिए संदर्भित करना है।

एयर इंडिया के कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाना

48. मोहम्मद फैज़ल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के कर्मचारियों को गत तीन माह से वेतन नहीं प्राप्त हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कार्यकारी निदेशक सहित सभी वर्ग के कर्मचारियों को वेतन देना रोक दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) और (ख) जी, नहीं। एयर इंडिया के सभी कर्मचारियों को मई, 2014 तक वेतन तथा अप्रैल, 2014 तक तदर्थ/उड़ान भत्तों का भुगतान कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तनों का विकास

49. श्री नलीन कुमार कटील : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने स्वयं के खर्चे पर अपने राज्यों में विमानपत्तनों का विकास शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के क्या नाम हैं और ऐसी परियोजनाओं में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की क्या भूमिका है;

(ग) क्या सरकार को ऐसे राज्यों से विमानपत्तनों के निर्माण/विकास संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा और अधिक हवाईअड्डों के विकास के लिए दिखाई गई रुचियों तथा नागर विमानन सेक्टर में अप्रत्याशित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के अनुमोदन के लिए नीति शुरू की गई है। इस नीति के अनुसार, ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजनाओं के लिए अपेक्षित विभिन्न क्लीयरेंस के, समयबद्ध रूप में, समन्वयन तथा इनकी मॉनीटरिंग के लिए सचिव, नागर विमानन की अध्यक्षता में एक संचालन समिति गठित की गई है। इस नीति के अनुसार, हवाईअड्डे के विकास के लिए इच्छुक प्रवर्तक [अर्थात् भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय] को समिति के विचारार्थ सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए समय-समय पर आवेदन प्राप्त किये जाते हैं, जिस पर पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट, स्थल क्लीयरेंस, विनियामक एजेंसियों से क्लीयरेंस आदि प्राप्त करने की आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् संचालन समिति/सक्षम प्राधिकारी द्वारा सैद्धान्तिक रूप में, अनुमोदन प्रदान करने के लिए विचार किया जाता है।

(ख) राज्य सरकारें जिन्होंने अपने स्वयं के व्यय अथवा पीपीपी प्रणाली के माध्यम से हवाईअड्डों का विकास कार्य किया है वे हैं, महाराष्ट्र (नवी मुंबई), कर्नाटक (बीजापुर, गुलबर्ग, हासन तथा शिमोगा), केरल (कन्नूर), उत्तर प्रदेश (कुशीनगर) तथा गोवा (मोपा)। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा ऐसी परियोजनाओं की डीपीआर पर तकनीकी सहायता तथा प्रस्तावित स्थलों के स्थल क्लीयरेंस के लिए पूर्ण-व्यवहार्यता अध्ययन कार्य उपलब्ध कराया जाता है।

(ग) और (घ) हाल के वर्षों में, भारत सरकार को अनेक स्थानों पर ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए आरंभिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनके नाम हैं: राजस्थान में कोटकासिम (अलवर), कर्नाटक में कारबार, केरल में अन्नाकारा (इडुकी) लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में आन्द्रोथ (करावती जिला), उत्तर प्रदेश में ताज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, हीरनगांव आदि। संबंधित हवाईअड्डा प्रवर्तक द्वारा हवाईअड्डा परियोजना के वित्त पोषण समेत परियोजना विकास, अनुमोदन के लिए आवश्यक कार्रवाई कर ली गई है। हवाईअड्डा परियोजनाओं का निर्माण कई कारकों यथा अलग-अलग प्रचालक द्वारा भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य क्लीयरेंस की उपलब्धता, वित्तीय समापन आदि पर निर्भर करता है।

घरेलू कामगार

50. श्री एम.बी. राजेश : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिलाओं सहित देश में पंजीकृत/अपंजीकृत घरेलू कामगारों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में घरेलू कामगारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने या कोई कानून बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त नीति को कब तक तैयार किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का ऐसे कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का भी कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा ऐसे घरेलू कामगारों के अधिकारों को सुनिश्चित करने और उनके शोषण को रोकने के लिए क्या विभिन्न उपाय किए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) केन्द्रीय स्तर पर घरेलू कामगारों के बारे में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) रिपोर्ट संख्या 554: भारत में रोजगार और बेरोजगारी स्थिति, 2011-12 के अनुसार देश में लगभग 26.91 लाख घरेलू कामगार हैं।

(ख) और (ग) घरेलू कामगारों के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा सरकार के विचाराधीन है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार ने असंगठित कामगारों जिसमें घरेलू कामगार भी शामिल हैं, के लिए असंगठित कामगार सामाजिक संरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। सरकार ने घरेलू कामगारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के अंतर्गत लाभों का विस्तार किया है। विभिन्न श्रम कानूनों जैसे न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, कर्मचारी प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 और अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 भी इन घरेलू कामगारों पर लागू होते हैं।

(च) जब भी, घरेलू कामगारों के शोषण के बारे में कोई भी शिकायत मिलती है, देश के कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

लौह एवं मैंगनीज अयस्कों का उत्खनन

51. श्री बी.वी. नाईक : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र की कंपनियां सरकार द्वारा निर्धारित अनुमेय सीमाओं से अधिक लौह एवं मैंगनीज अयस्कों का उत्खनन करने में कथित रूप से शामिल पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कितना नुकसान उठाया गया और मापदंडों का उल्लंघन करने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों के विरुद्ध राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) और (ख) खनन योजना/खनन की स्कीम में दर्शाई गई अनंतिम वार्षिक उत्पादन की मात्रा से अधिक अयस्क उत्पादन की घटनाएं निरीक्षणों के दौरान भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के संज्ञान में आती हैं। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) की धारा 5(2)(ख) के अनुसार, प्रमुख खनिजों हेतु खनन पट्टे की स्वीकृति हेतु खनन योजना आवश्यक है। खनन योजना में अस्थाई खनन स्कीम और पांच वर्ष की अवधि के लिए उत्खनन हेतु वार्षिक कार्यक्रम के अलावा खनिज भंडारों, भू-विज्ञान, लिथोलॉजी, खनन के प्रकार, खनन क्षेत्रों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन आदि के संबंध में अन्य आवश्यक ब्यौरे रहते हैं। खनन की अनुमोदित खनन योजना/स्कीम में दर्शाए गए अनंतिम वार्षिक उत्पादन के 20 प्रतिशत तक का विचलन आईबीएम अनुमत करता रहा है। यह छूट इस शर्त के साथ दी जाती है कि विचलन के संचयी प्रभाव से अनुमोदित अयस्क एवं अतिभार/अपशिष्ट अनुपात न बिगड़े और इसके परिणामस्वरूप विकास कार्य में बड़ी कमी न आए। अधिक अयस्क उत्पादन, जोकि खनन योजना में दर्शाए गए अनंतिम वार्षिक उत्पादन मात्रा के 20 प्रतिशत से अधिक है, को खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 1988 (एमसीडीआर) के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाता है।

ऐसे पट्टाधारकों, जिन्होंने वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान आईबीएम द्वारा अनुमोदित खनन की खनन योजना/स्कीम में अनंतिम उत्पादन मात्रा के 20 प्रतिशत से अधिक अयस्क का उत्पादन किया है, उनकी सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) एमएमडीआर अधिनियम की धारा 9 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक पट्टाधारक, पट्टा क्षेत्र से निकाले या उपभोग किए गए खनिजों के लिए राज्य सरकारों को रॉयल्टी का भुगतान करेगा। राज्य सरकारें, संसूचित किए गए उत्पादित अधिक अयस्क पर रॉयल्टी सहित पट्टा क्षेत्र से उत्खनित अथवा उपयोग किए गए खनिजों के लिए रॉयल्टी वसूल करती हैं।

आईबीएम द्वारा वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान अनुमोदित खनन योजना/खनन स्कीम में अनंतिम उत्पादन मात्रा के 20 प्रतिशत से अधिक लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क का उत्पादन करने वाले पट्टाधारकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

पट्टाधारकों की सूची, जिन्होंने वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान आईबीएम द्वारा अनुमोदित खनन की खनन योजना/ खनन स्कीम में अनंतिम उत्पादन मात्रा के 20% से अधिक अयस्क का उत्पादन किया है

वर्ष : 2011-12

क्र.सं.	पट्टाधारी का नाम	राज्य	खनिज
1	2	3	4
1.	श्री पदमावती एफई माइन श्री एन. कान्ता रेड्डी	आंध्र प्रदेश	लौह
2.	कूड्डेगालावोरिलसोडो मै. माइनेरिया नेशिओलन लिमिटेड	गोवा	लौह
3.	संतोनाची उपरी मै. जरापकर एंड पारकर	गोवा	लौह
4.	ग्यूल्लीम-ई-गवंल श्रीमती जी.एम.एन. पारूलेकर	गोवा	लौह
5.	कोरमोलम-ई-बोग मै. सोसीडाडे टिम्बलो लरमाओस लिमिटेड (एसएफआई)	गोवा	लौह
6.	बैंड डोनकल मै. दामोदर मंगलजी एंड कंपनी लि.	गोवा	लौह
7.	धामकि मै. शोभा मिनरल्स	मध्य प्रदेश	लौह एवं मैंगनीज
8.	गांधीग्राम मै. कैपिटल मिनरल्स	मध्य प्रदेश	लौह
9.	झांसी/सिलूआ मै. खतरी मिनरल्स एंड माइनिंग कंपनी	मध्य प्रदेश	लौह
10.	अगारिया मै. निर्मला मिनरल्स	मध्य प्रदेश	लौह
11.	गांधीग्राम विनोद कुमार श्रीवास्तव	मध्य प्रदेश	लौह
	वर्ष : 2012-13		
1.	मै. एस.के. सरावगी एंड कंपनी	आंध्र प्रदेश	मैंगनीज अयस्क

1	2	3	4
2.	मै. एम. लाल एंड कंपनी	आंध्र प्रदेश	मैंगनीज अयस्क
3.	मै. आदित्य मिनरल्स	आंध्र प्रदेश	मैंगनीज अयस्क
4.	मै. एस.के. सरावगी एंड कंपनी	आंध्र प्रदेश	मैंगनीज अयस्क
5.	श्री डी. शंकरलाल शर्मा	आंध्र प्रदेश	मैंगनीज अयस्क
6.	मै. एस.के. सरावगी एंड कंपनी	आंध्र प्रदेश	मैंगनीज अयस्क
7.	सूर्यवंशम माइनिंग एंड मिनरल्स प्रा. लि.	मध्य प्रदेश	मैंगनीज अयस्क
8.	मै. जरापकर एंड पारकर	गोवा	लौह अयस्क
9.	श्रीमती जीएमएन पारूलेकर	गोवा	लौह अयस्क
10.	मै. सोसीडाडाडे-डे-फोमेन्टो	गोवा	लौह अयस्क
11.	श्रीमती राधा टिम्बलो	गोवा	लौह अयस्क
12.	हीरालाल खोदीदास	गोवा	लौह अयस्क
	वर्ष : 2013-14		
1.	मुकुल कमपारिया	मध्य प्रदेश	लौह अयस्क

विवरण-II

आईबीएम द्वारा उन पट्टाधारकों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा, जिन्होंने वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान अनुमोदित खनन योजना/खनन स्कीम में अनंतिम उत्पादन मात्रा के 20% से अधिक लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क का उत्पादन किया है

वर्ष	लौह और मैंगनीज अयस्कों के अधिक उत्पादन मामलों की संख्या	जारी किए गए उल्लंघन सह-कारण बताओ नोटिस	परिशोधित खनन योजना	निलंबित खनन प्रचालन	समाप्ति के लए राज्य सरकार को सिफारिश की गई
2011-12	11	4	4	3	—
2012-13	12	11	6 *	1	—
2013-14	01	01	0	0	0

*5 मामलों में खनन स्कीम पट्टेधारियों को लौटाई गई।

[हिन्दी]

स्टार एलायंस में एयर इंडिया का शामिल होना

52. **श्री हंसराज गंगाराम अहीर : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कैरियर एयर इंडिया ने अपने राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से स्टार एलायंस के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप एयर इंडिया के राजस्व में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार ने एयर इंडिया की वित्तीय स्थिति के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा एयर इंडिया के संचालन और वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) और (ख) जी, हां। स्टार एलायंस में एयर इंडिया के सम्मिलित होने की प्रक्रिया चल रही है तथा औपचारिक रूप से एयर इंडिया 11 जुलाई, 2014 को स्टार एलायंस में सम्मिलित होगी। स्टार एलायंस में सम्मिलित होने से एयर इंडिया के यात्री राजस्व में 3 से 50% की वृद्धि होने की आशा की गई है।

(ग) से (ङ) वर्ष 2007-08 से 2010-11 के दौरान एयर इंडिया द्वारा वहन की गई भारी हानि तथा इसके बढ़ते हुए ऋण बोझ को ध्यान में रखते हुए एयर इंडिया द्वारा एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड तथा एक स्वतंत्र वित्तीय परामर्शदाता मैसर्स डेलॉट्टे के परामर्श से अध्ययन करते हुए वित्तीय पुनर्संरचना योजना (एफआरपी) एवं प्रचालनात्मक कायाकल्प योजना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक कायाकल्प योजना (टीएपी) का निर्माण किया गया है।

एयर इंडिया की कायाकल्प योजना/वित्तीय पुनर्संरचना योजना मंत्रिमंडल द्वारा गठित मंत्रियों के समूह के सम्मुख प्रस्तुत की गई थी। मंत्रियों के समूह द्वारा वित्त मंत्रालय के अधीन आगे अधिकारियों के समूह की एक समिति गठित की गई। अधिकारियों के समूह द्वारा मंत्रिमंडलीय समूह के समक्ष अक्तूबर, 2011 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की गईं। मंत्रिमंडलीय समूह द्वारा अधिकारियों के समूह की सिफारिशों पर स्वीकृति प्रदान करते हुए इन्हें आगे मंत्रिमंडल के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

सरकार द्वारा अतिरिक्त इक्विटी निवेश, लागत कटौती तथा प्रचालन निष्पादन में बेहतरी लाने की संभावनाओं से युक्त एयर इंडिया की कायाकल्प योजना तथा वित्तीय पुनर्संरचना योजना के संबंध में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा दिनांक 12.04.2012 को अनुमोदन प्रदान किया गया। कायाकल्प योजना के अंतर्गत अनुमोदित सरकारी वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:—

(i) वित्तीय वर्ष 2011-12 के बजट में किए गए प्रावधान के अनुसार पहले से ही चुकता किए जा चुके 1200 करोड़ रुपए सहित वित्तीय वर्ष 2011-12 में 6,750 करोड़ रुपए का अपफ्रंट इक्विटी निवेश

(ii) वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान नकदी ह्रास सहायता के लिए 4,552 करोड़ रुपए की इक्विटी

(iii) पहले से ही गारंटीशुदा 18,929 करोड़ रुपए के विमान ऋण के लिए वित्तीय वर्ष 2021 तक इक्विटी

(iv) एयर इंडिया द्वारा वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, जीवन बीमा निगम, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इत्यादि को जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित 7400 करोड़ रुपए के अपरिवर्तनीय डिबेंचर की मूल राशि की धनवापसी तथा ब्याज के भुगतान के लिए भारत सरकार की प्रत्याभूति।

भारत सरकार द्वारा कायाकल्प योजना/वित्तीय पुनर्संरचना योजना के संबंध में एयर इंडिया के लिए कुछ निष्पादन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा एयर इंडिया के साथ-साथ कायाकल्प योजना में निर्धारित लक्ष्यों के निष्पादन पर गहन मॉनीटरिंग के लिए सचिव, नागर विमानन, सचिव, व्यय, नागर विमानन मंत्रालय के अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार तथा संयुक्त सचिव से युक्त एक निगरानी समिति बनाई गई है।

[अनुवाद]

रोजगार कार्यालयों का कार्यकरण

53. **श्रीमती सुप्रिया सुले :**
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में काम कर रहे रोजगार कार्यालयों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या रोजगार कार्यालयों का वर्तमान मॉडल युवाओं को रोजगार की तलाश में मदद करने में विफल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) इस समय देश में 956 रोजगार कार्यालय कार्य कर रहे हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) रोजगार कार्यालयों से विगत पांच वर्षों के एकत्रित आंकड़े निम्नानुसार हैं:—

वर्ष (जनवरी-दिसम्बर)	पंजीकरण (लाख में)	नियोजन (लाख में)
2008	53.15	3.05
2009	56.94	2.62
2010	61.86	5.10
2011	62.06	4.72
2012	97.22	4.28

उपर्युक्त आंकड़े पंजीकरण में वृद्धि दर्शाते हैं लेकिन रोजगार चाहने वालों का नियोजन नहीं बढ़ता रहा है।

सरकार ने विद्यार्थियों एवं रोजगार चाहने वालों को रोजगार संबंधी अन्य सहायता के साथ-साथ परामर्श सेवाएं प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों के सहयोग से रोजगार कार्यालयों को कैरियर सेंटरों के रूप में परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया है।

विवरण

31.12.2012 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों एवं विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	रोजगार कार्यालयों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	31
2.	अरुणाचल प्रदेश	11
3.	असम	52
4.	बिहार	37
5.	छत्तीसगढ़	18
6.	दिल्ली	14
7.	गोवा	1
8.	गुजरात	41
9.	हरियाणा	56
10.	हिमाचल प्रदेश	15
11.	जम्मू और कश्मीर	17
12.	झारखंड	41
13.	कर्नाटक	40
14.	केरल	89
15.	मध्य प्रदेश	48
16.	महाराष्ट्र	47
17.	मणिपुर	11
18.	मेघालय	12
19.	मिज़ोरम	3
20.	नागालैंड	8
21.	ओडिशा	40
22.	पंजाब	46
23.	राजस्थान	38
24.	सिक्किम*	
25.	तमिलनाडु	35
26.	त्रिपुरा	5
27.	उत्तराखंड	24
28.	उत्तर प्रदेश	91
29.	पश्चिम बंगाल	77
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
31.	चंडीगढ़	2
32.	दादरा और नगर हवेली	1
33.	दमन और दीव	2

1	2	3
34.	लक्षद्वीप	1
35.	पुदुचेरी	1
	योग	956

टिप्पणी:- *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं

54. **श्री निशिकान्त दुबे :**
श्री प्रताप सिम्हा :
कुमारी शोभा कारान्दलाजे :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा सतत् विकास के लिए स्थापित या स्थापना हेतु प्रस्तावित नवीनकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा पैदा किये जा रहे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इनसे कितनी ऊर्जा चालू का उत्पादन किया गया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय सरकार उद्यमों द्वारा स्थापित या स्थापना हेतु प्रस्तावित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं इस प्रकार से है:—

1. जवाहर लाल नेहरू नेशनल सौर मिशन के चरण-I और चरण-II के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा स्थापित या स्थापना हेतु प्रस्तावित ग्रिड-कनैक्टड सोलर पावर परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार से है:—

क्र.सं.	कंपनी का नाम	स्थान	क्षमता	स्थिति
1.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी)	राजस्थान	5 मेगावाट	2011-12 में प्रारंभ
2.	गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल)	राजस्थान	5 मेगावाट	2012-13 में प्रारंभ

2. अन्य सौर ऊर्जा परियोजनाओं

क्र.सं.	कंपनी का नाम	स्थान	क्षमता	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नीपको)	सूरजामोनीनगर त्रिपुरा	5 मेगावाट	स्थापना के अंतर्गत
2.	नीपको	असम	2 मेगावाट	सेट अप करने का प्रस्ताव
3.	नीपको	मोनार्चक त्रिपुरा	5 मेगावाट	निर्माणाधीन
4.	नीपको	मध्य प्रदेश	50 मेगावाट	भावी परियोजना
5.	नीपको	असम	70 मेगावाट	भावी परियोजना
6.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को)	भुवनेश्वर	160 किलोवाट	प्रारंभ हो चुकी है
7.	नाल्को	भुवनेश्वर	100 किलोवाट	स्थापना अधीन

1	2	3	4	5
8.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल)	नोएडा	100 किलोवाट	प्रस्तावित
9.	एनटीपीसी लिमिटेड	नोएडा	180 किलोवाट	प्रस्तावित
10.	एनटीपीसी लिमिटेड	दादरी, उत्तर प्रदेश	5 मेगावाट	प्रारंभ हो चुकी है परियोजना
11.	एनटीपीसी लिमिटेड	पोर्ट ब्लयेर, अंडमान और निकोबार	5 मेगावाट	प्रारंभ हो चुकी है परियोजना
12.	एनटीपीसी लिमिटेड	रामागुंडम, तेलंगाना	10 मेगावाट	प्रारंभ हो चुकी है परियोजना
13.	एनटीपीसी लिमिटेड	ऊंचाहार, उत्तर प्रदेश	10 मेगावाट	प्रारंभ हो चुकी है परियोजना
14.	एनटीपीसी लिमिटेड	तालचेर, ओडिशा	10 मेगावाट	प्रारंभ हो चुकी है परियोजना
15.	एनटीपीसी लिमिटेड	राजगढ़, मध्य प्रदेश	50 मेगावाट	प्रारंभ हो चुकी है परियोजना
16.	एनटीपीसी लिमिटेड	फरीदाबाद, हरियाणा	5 मेगावाट	प्रारंभ हो चुकी है परियोजना
17.	एनटीपीसी लिमिटेड	सिंगरौली	15 मेगावाट	निर्माणाधीन
18.	नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएलसी)	चेन्नई	150 मेगावाट	प्रस्तावित
19.	एनएलसी	राजस्थान	10 मेगावाट	व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार हो रही है
20.	एनएलसी	नेवेली	10 मेगावाट	इरैक्शन किया जा रहा है
21.	महानदी कोलफील्ड लिमिटेड (एमसीएल)	ओडिशा	2 मेगावाट	कार्य आदेश जारी किया गया
22.	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्ट. गुजरात ऊर्जा अनुसंधान प्रबंधन संस्थान के साथ लिमिटेड (सीएमपीडीएल)	रांची	250 किलोवाट	प्रस्तावित
23.	कोल इंडिया लिमिटेड	कोलकाता	140 किलोवाट	पूरी हो चुकी है
24.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल)	जयपुर	25 किलोवाट	प्रारंभ हो चुकी है
25.	इजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल)	गुड़गांव	90 किलोवाट	प्रारंभ हो चुकी है
26.	ईआईएल	दिल्ली	3 किलोवाट	प्रारंभ हो चुकी है
27.	ईआईएल	दिल्ली	1.2 किलोवाट	प्रारंभ हो चुकी है

1	2	3	4	5
28.	ईआईएल	चेन्नई	35 किलोवाट	कमीशनिंग हो रही है
29.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (भेल)	रानीपेट	5 मेगावाट	प्रारंभ हो चुकी है
30.	भेल	रानीपेट	17.5 किलोवाट	प्रारंभ हो चुकी है
31.	भेल	भोपाल	250 किलोवाट	प्रारंभ हो चुकी है
32.	भेल	हैदराबाद	250 किलोवाट	प्रारंभ हो चुकी है
33.	भेल	हैदराबाद	13.7 किलोवाट	प्रारंभ हो चुकी है
34.	भेल	हैदराबाद	13.5 किलोवाट	प्रारंभ हो चुकी है
35.	भेल	बेंगलूरु	42 किलोवाट	प्रारंभ हो चुकी है
36.	भेल	त्रिची	20 किलोवाट	प्रारंभ हो चुकी है
37.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	मनाली	11 किलोवाट	प्रारंभ हो चुकी है
38.	सीपीसीएल	तमिलनाडु	15 मेगावाट	2014-15 में स्थापित करने का प्रस्ताव
39.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल)	भिलाई	370 किलोवाट	सेट अप की जा रही है
40.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया	राउरकेला	1 किलोवाट	सेट अप की जा रही है
41.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	केरल	25 किलोवाट	प्रारंभ हो चुकी है
42.	बीपीसीएल	एमएमबीपीएल	157 किलोवाट	प्रारंभ हो चुकी है
43.	बीपीसीएल	अंतिम रूप नहीं	5 मेगावाट	प्रस्तावित
44.	ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)	असम	100 किलोवाट	प्रारंभ हो चुकी है
45.	ओआईएल	राजस्थान	100 किलोवाट	प्रारंभ हो चुकी है
46.	ओआईएल	राजस्थान	5 मेगावाट	प्रारंभ हो चुकी है

3. स्थापित पवन परियोजनाएं

क्र.सं.	कंपनी का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3
	वित्त वर्ष 2010-2011 वर्ष	
1.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)	25.50

1	2	3
	वित्त वर्ष 2011-2012 वर्ष	
1.	नाल्को	50.40
2.	आईओसी	48.30
3.	गेल	113.45
4.	ओआईएल	13.60
5.	भारत अर्थ मूवर्स लि. (बीईएमएल)	18.00
	वित्त वर्ष 2012-2013 वर्ष	
1.	एसजेवीएनएल लिमिटेड	50.00
2.	नाल्को	50.00
3.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी)	102.90
4.	ओआईएल	50.00
	वित्त वर्ष 2013-2014 वर्ष	
1.	एनएलसी	50.00

4. अन्य पवन ऊर्जा परियोजनाएं

क्र.सं.	कंपनी का नाम	राज्य	क्षमता	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	नीपको	असम	5 मेगावाट	भावी परियोजनाएं
2.	नीपको	गुजरात	100 मेगावाट	भावी जेवी परियोजनाएं
3.	ओएनजीसी	गुजरात	51 मेगावाट	2008 में प्रारंभ हो चुकी है
4.	आरईआईएल	जैसलमेर	1.2 मेगावाट	प्रारंभ हो चुकी है
5.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	कर्नाटक	2.5 मेगावाट	प्रारंभ हो चुकी है
6.	बीईएल	कर्नाटक	3 मेगावाट	प्रारंभ हो चुकी है
7.	बीईएल	कर्नाटक	8 मेगावाट	भावी परियोजना
8.	एनएमडीसी लिमिटेड	कर्नाटक	10.5 मेगावाट	प्रारंभ हो चुकी है
9.	सीपीसीएल	तमिलनाडु	17 मेगावाट	प्रारंभ हो चुकी है

1	2	3	4	5
10.	नाल्को	कडप्पा, आंध्र प्रदेश	50.4 मेगावाट	प्रारंभ हो चुकी है
11.	नाल्को	जैसलमेर, राजस्थान	47.6 मेगावाट	प्रारंभ हो चुकी है
12.	बीपीसीएल	कर्नाटक	5 मेगावाट	प्रारंभ हो चुकी है
13.	बीपीसीएल	तमिलनाडु	0.5 मेगावाट	प्रारंभ हो चुकी है
14.	बीपीसीएल	महाराष्ट्र	5 किलोवाट	प्रारंभ हो चुकी है
15.	बीपीसीएल	महाराष्ट्र/मध्य प्रदेश/ गुजरात	5 मेगावाट	प्रस्तावित

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीपीएसई द्वारा नवीकरणीय संसाधनों से उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

वर्ष सीपीएसई का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ओएनजीसी	102.7 एमयू	100.4 एमयू	87.5 एमयू	16.5 एमयू
आरईआईएल-सौर	—	—	18,487 यूनिट्स	9,800
आरईआईएल-पवन	2011-12 से 2013-14 तक की अवधि के लिए 40,17,208 इकाइयों			92,488 यूनिट्स
बीईएल	10.46 मिलियन किलोवाट घंटे	9.98 लाख किलोवाट एच	9.7 मिलियन किलोवाट घंटे	15 लाख किलोवाट घंटे
एनएमडीसी लिमिटेड - हवा	—	—	31.81 लाख यूनिट	41.87 लाख यूनिट
भेल सौर	20,753 किलोवाट घंटे	79,771 किलोवाट घंटे	10,46,951 किलोवाट घंटे	21,62,065 किलोवाट घंटे
ईआईएल	—	—	—	जनवरी, 2014 से 67,497 किलोवाट घंटे
बीपीसीएल	98.39 लाख किलोवाट घंटे	99.70 लाख किलोवाट घंटे	95.34 लाख किलोवाट घंटे	21.67 लाख किलोवाट घंटे
तेल - पवन	—	21.48 मिलियन किलोवाट घंटे	106.52 मिलियन किलोवाट घंटे	38.06 मिलियन किलोवाट घंटे
तेल - सौर	—	शून्य	1.80 मिलियन किलोवाट घंटे	2.47 मिलियन किलोवाट घंटे
एनटीपीसी लिमिटेड	—	—	15.194 एमयू	14.344 एमयू

एमयू - मिलियन यूनिट, केडब्ल्यूएच-किलोवाट घंटे

[हिन्दी]

बीकानेर में खनिजों की उपलब्धता

55. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र सहित देश के विभिन्न भागों में खनिजों के भंडार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश के आर्थिक विकास के लिए इन खनिजों के उत्कर्षण और इसके उपयोग हेतु क्या कार्य योजना बनाई जा रही है;

(ग) क्या सरकार का सरकारी कंपनियों की मदद से उपलब्ध खनिजों के उत्खनन हेतु एक विशेष इकाई की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जी, हां महोदया।

(ख) देश का खनिज-वार ब्यौरा भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) की वेबसाईट *ibm.gov.in/imyb2012_Vol.III.htm.* पर उपलब्ध है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और अन्य संगठनों ने बीकानेर क्षेत्र में लिग्नाईट, फुलर्स अर्थ, पोटाश, जिप्सम, चाइना क्ले, बॉल क्ले, फायर क्ले, चूना-पत्थर, ऑकर, और क्वार्टज-सिलिका रेत के संसाधनों का पता लगाया है। इन खनिजों के विदोहन और उपयोग के लिए, यह उल्लेख किया जाता है कि वर्ष 1993 में खनिज क्षेत्र के उदारीकरण के बाद खनिजों का गवेषण और खनन निजी क्षेत्र के लिए खेला है। खनिजों के स्वामी होने के नाते राज्य सरकारें खनिज रियायतें प्रदान करती हैं। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ खजिनों के लिए केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, किसी खनिज का विदोहन और उपयोग उस खनिज की मांग और राज्य सरकारों द्वारा खनिज रियायतें प्रदान करने पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) उपलब्ध खनिजों के गवेषण के लिए सरकारी कंपनियों की सहायता से बीकानेर में विशेष इकाई स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

गांवों में टेलीफोन/मोबाइल सेवाएं

56. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अधिसंख्य गांवों को अभी भी मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सेवाओं से जोड़ा जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में ऐसे गांवों की संख्या कितनी है एवं इसके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कारण हैं;

(ग) क्या सार्वभौमिक सेवा देयता निधि की अवसंरचना भागीदारी योजना के अंतर्गत निजी ऑपरेटरों द्वारा अपनी मोबाइल सेवाओं को शुरू करने में भी विलंब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो सेवाओं को शुरू करने में विलंब के लिए इन ऑपरेटरों पर अधिरोपित शास्तियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) सरकार ने कवर नहीं किए गए गांवों को तकनीकी रूप से व्यवहार्य बेसिक टेलीफोन सुविधा और मोबाइल सेवाओं की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कार्य योजना बनाई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। मोबाइल सेवा रहित गांवों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) स्कीम के अंतर्गत कवर किए गए गांवों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है। इस स्कीम का क्रियान्वयन सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के वित्तीय समर्थन से भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। 30.11.2013 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के बंद होने तक लक्षित 7353 टॉवरों के प्रति 7317 टॉवर स्थापित हो चुके थे अर्थात् 99.51% लक्ष्य प्राप्त हो गया था।

शेयर्ड मोबाइल अवसंरचना स्कीम के अधीन मोबाइल सेवाओं के रॉल-आऊट में हुए विलंब के लिए प्रचालकों से प्रतिनिर्धारित क्षति के प्रति 2,06,99,934/- रुपए की राशि वसूली जा चुकी है। प्रचालक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) देश के ग्रामीण और दूरगामी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से वित्तीय समर्थन लेकर विभिन्न स्कीमों को क्रियान्वित किया जा रहा है:—

(i) शेयर्ड मोबाइल अवसंरचना के अधीन सार्वभौमिक सेवा

दायित्व निधि के वित्तीय समर्थन से जून, 2007 से नवम्बर, 2013 तक की अवधि के दौरान 7317 मोबाइल टॉवर लगाए गए हैं। मोबाइल सेवाओं की उपलब्धता के लिए इन टॉवरों पर 16,254 बीटीएस (बेस ट्रांसीवर स्टेशन) चालू किए गए हैं।

(ii) केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित और गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित 2199 स्थानों पर मोबाइल टॉवर स्थापित करने के प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे दी है और इसका वित्त-पोषण सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से किया जाएगा। भारत संचार निगम लिमिटेड को इस कार्य को करने के लिए नामित किया गया है।

(iii) दूरसंचार आयोग ने दिनांक 13 जून, 2014 को हुई अपनी बैठक में 5336.18 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली परियोजना से संबंधित एक प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना को क्रियान्वित करने के बारे में है।

(iv) दूरसंचार आयोग ने 13 जून, 2014 को हुई बैठक में उस स्कीम पर सिद्धांतिक रूप से अपनी मंजूरी दी जो कवर न हुए गावों में यूएसओएफ के वित्तीय समर्थन से मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने से संबंधित है।

विवरण-I

मोबाइल सेवा-रहित गांवों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/सेवाक्षेत्र का नाम	कवर न हुए गांवों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश/तेलंगाना	3786
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	221
3.	अरुणाचल प्रदेश	3126
4.	असम	3536
5.	बिहार	271
6.	छत्तीसगढ़	5460
7.	गुजरात	1938
8.	हरियाणा	32
9.	हिमाचल प्रदेश	1997
10.	जम्मू और कश्मीर	636
11.	झारखंड	5308
12.	कर्नाटक	1197
13.	केरल	0
14.	मध्य प्रदेश	1771
15.	महाराष्ट्र	5394
16.	मणिपुर	634
17.	मेघालय	2612
18.	मिज़ोरम	268
19.	नागालैंड	143
20.	ओडिशा	6734
21.	पंजाब	100
22.	राजस्थान	3153
23.	सिक्किम	27
24.	तमिलनाडु	197
25.	त्रिपुरा	2
26.	उत्तर प्रदेश	5014
27.	उत्तराखंड	1419
28.	पश्चिम बंगाल	886
	योग	55,862

टिप्पणी:- उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार है और ये आंकड़े वो है जो ट्राई न दिए है। अन्य राज्यों के आंकड़े 2001 की जनगणना के अनुसार है और वो है जो दूरसंचार विभाग के टर्म प्रकोष्ठ ने दिए हैं।

विवरण-II

30 मई, 2014 की स्थिति के अनुसार उन गांवों की राज्य-वार संख्या जहां ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध करवाए गए हैं

राज्य का नाम	2001 के जनगणना अनुसार बसावट वाले राजस्व गांवों की संख्या	उपलब्ध कराए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	501	352
आंध्र प्रदेश/तेलंगाना	26,613	25,107
असम	25,124	24,692
बिहार	3,90,32	38,941
झारखंड	29,354	28,807
गुजरात	18,159	18,051
हरियाणा	6,764	6,678
हिमाचल प्रदेश	17,495	17,408
जम्मू और कश्मीर	6,417	6,385
कर्नाटक	27,481	27,451
केरल	1,372	1,372
मध्य प्रदेश	52,117	51,986
छत्तीसगढ़	19,744	18,328
महाराष्ट्र	41,442	40,654
मेघालय (पूर्वोत्तर-I)	5,782	5,255
मिज़ोरम (पूर्वोत्तर-I)	707	704
त्रिपुरा (पूर्वोत्तर-I)	858	858
अरुणाचल प्रदेश (पूर्वोत्तर-II)	3,863	2,774
मणिपुर (पूर्वोत्तर-II)	2,315	2,171
नागालैंड (पूर्वोत्तर-II)	1,278	1,263
ओडिशा	47,529	45,215
पंजाब	12,301	12,065
राजस्थान	39,753	39,568
तमिलनाडु	15,492	15,492
उत्तर प्रदेश	97,942	97,852
उत्तराखंड	15,761	15,369
पश्चिम बंगाल	37,955	37,151
सिक्किम (पश्चिम बंगाल सर्किल)	450	429
कुल	5,93,601	5,82,368

विवरण-III

शेयर्ड मोबाइल अवसंरचना स्कीम की स्थिति और लगाए गए दंड का ब्यौरा

(i) स्थापित लिए गए मोबाइल टॉवर के स्थलों का ब्यौरा

क्र. सं.	अवसंरचना प्रदाता का नाम	स्कीम के अधीन स्थापित लिए जाने वाले अवसंरचना टॉवर स्थलों की संख्या	स्थापित किए गए टॉवर के स्थलों की संख्या
1	2	3	4
1.	भारत संचार निगम लिमिटेड	5,758	5,725

1	2	3	4
2.	जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	410	410
3.	वोडाफोन एस्सार सेलूलर लिमिटेड	93	93
4.	वोडाफोन एस्सार साऊथ लिमिटेड	216	216
5.	राष्ट्रीय सूचना टेक्नोलॉजी लिमिटेड	38	381
6.	क्यूपो टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	88	88
7.	रिलायन्स कम्यूनीकेन्सस इन्फ्रास्ट्रक्चर	407	404
	कुल	7,353	7,317

(ii) शेयर्ड मोबाइल अवसंरचना स्कीम के अधीन शास्ति के रूप में वसूल की गई परिनिर्धारित क्षति का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

शेयर्ड मोबाइल अवसंरचना स्कीम के अवसंरचना प्रदाताओं से विलम्ब के लिए दंड के रूप में वसूल की गई परिनिर्धारित क्षति का ब्यौरा

अवसंरचना आईपी का नाम	जनवरी, 2014 तक वसूल की गई परिनिर्धारित क्षति की राशि
भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)	67,71,302
जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जीटीएल)	78,554
केईसी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (केईसी)	1,88,990
क्यूटीआईएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (क्यूटीआईएल)	0
रिलांइस कम्यूनीकेशन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआईएल)	62,844
वोडाफोन एस्सार सेल्लूर लिमिटेड (वीईसीएल)	0
वोडाफोन एस्सार साऊथ लिमिटेड (वीईसीएल)	0
कुल (रुपए में)	71,01,690

शेयर्ड मोबाइल अवसंरचना स्कीम* के यूएसपी (पॉजिटिव सब्सिडी सहित) से विलम्ब के लिए दण्ड के रूप में वसूल की गई परिनिर्धारित क्षतिका ब्यौरा

अवसंरचना प्रदाता का नाम	दिसंबर, 2013 तक वसूल की गई परिनिर्धारित क्षति की राशि
बीएसएनएल	48,08,376
डीडब्ल्यूएल (डिशनेट वायरलैस लिमिटेड)	36,32,563
आरसीएल (रिलाइंस कम्प्यूनिकेशन्स लिमिटेड)	9,44,792
आरटीएल (रिलाइंस टेलीकॉम लिमिटेड)	42,12,513
कुल (रुपए में)	1,35,98,244

*सार्वभौमिक सेवा प्रदाताओं (यूएसपी) निगेटिव सब्सिडी सहित के लिए परिनिर्धारित क्षति खंड

बीएसएनएल टावरों की स्थापना

57. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने देशभर में कई बेस ट्रांसमिटिंग स्टेशनों (मोबाइल टॉवरों) की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो ओडिशा सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्य सेवा प्रदाताओं की तुलना में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बीएसएनएल के उपभोक्ता बेस का क्या ब्यौरा है;

(घ) क्या ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों में कथित रूप से कई सारे बीएसएनएल टॉवर ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या बीएसएनएल देश में अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ प्रतियोगिता करने में समर्थ नहीं है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उपभोक्ताओं के लिए बीएसएनएल की सेवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) ने ओडिशा राज्य सहित देश भर में बेस ट्रांसमिटिंग स्टेशन (बीटीएस) संस्थापित किए हैं। दिनांक 31 मई, 2014 की स्थिति के अनुसार भारत संचार निगम लि. के नेटवर्क में सेलुलर बीटीएस का सर्किल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) दिनांक 31 मई, 2014 की स्थिति के अनुसार वायरलाइन और वायरलैस कनेक्शनों सहित टेलीफोन कनेक्शनों का सेवा क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) संबंधी पैरामीटर निर्धारित किए जाते हैं और ट्राई उनकी निगरानी भी करता है। हालांकि बीएसएनएल सामान्य रूप में बैंचमार्क पैरामीटरों को पूरा करता है किन्तु कुछ क्षेत्रों में बीएसएनएल की सेवाएं कतिपय पैरामीटरों के बैंचमार्कों से निम्न स्तर पर हैं। सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) पैरामीटरों में कमियां नेटवर्क निष्पादन, उपभोक्ता सेवा प्रदायगी, सेकुलन और अपर्याप्त नेटवर्क कवरेज के कारण हैं।

(ङ) निम्नलिखित कारणों से बीएसएनएल देश में अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ बराबरी नहीं कर पाया है:—

— दायी कार्यशक्ति जो कि किसी उद्योग संबंधी मानकों से काफी अधिक अतिरेक संख्या में है।

— वित्तीय बाधाएं नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने में इसकी सक्षमता को अवरोधित करती हैं।

भारत संचार निगम लि. ने यह सूचित किया है कि यह अपने मोबाइल नेटवर्क का उत्तरोत्तर रूप से संवर्धन कर रहा है ताकि इसकी कवरेज क्षमता में वृद्धि की जा सके तथा सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) में और सुधार लाया जा सके। भारत संचार निगम लि. अपने कार्यनिष्पादन हेतु निरंतर अपने नेटवर्क का इष्टतम उपयोग भी कर रहा है।

भारत संचार निगम लि. सेवा की गुणवत्ता में सुधार, लीगेसी मुद्दे का समाधान और नेटवर्क कवरेज के विस्तार हेतु पुनरुद्धार योजना तैयार करने में सक्रिय रूप से कार्यरत है। भारत संचार निगम लि. अपने चरण-VII की विस्तार योजना के एक भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में 2जी और 3जी सेवाओं के लिए 1704 करोड़ रुपए की लागत पर 8784 बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) संस्थापित करके अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है।

सरकार अनेक लघु कालीन, मध्यम कालीन और दीर्घकालीन उपायों के माध्यम से भारत संचार निगम लि. के पुनरुद्धार और पुनर्जीवन के लिए कार्यरत है। बीएसएनएल को ब्राडबैंड वायरलैस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) स्पेक्ट्रम अभ्यर्पित करने पर वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

दूरसंचार विभाग बीएसएनएल के कार्यनिष्पादन की आवधिक समीक्षा भी करता है।

विवरण-I

दिनांक 31.05.2014 की स्थिति के अनुसार भारत संचार निगम लि. के नेटवर्क में सेलुलर कनेक्शन तथा सेलुलर बीटीएस का सर्किल-वार ब्यौरा

क्र. सं.	सर्किल का नाम	सेलुलर बीटीएस (2जी) की संख्या	सेलुलर बीटीएस (3जी) की संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	126	43
2.	आंध्र प्रदेश	6760	2717
3.	असम	1353	629
4.	बिहार	2383	726
5.	छत्तीसगढ़	1811	350

1	2	3	4
6.	गुजरात	4370	1983
7.	हरियाणा	1883	652
8.	हिमाचल प्रदेश	1093	215
9.	जम्मू और कश्मीर	1175	425
10.	झारखंड	1241	666
11.	कर्नाटक	5389	1347
12.	केरल	5093	1481
13.	मध्य प्रदेश	4036	887
14.	महाराष्ट्र	7057	2226
15.	पूर्वोत्तर-I	602	180
16.	पूर्वोत्तर-II	609	183
17.	ओडिशा	2126	697
18.	पंजाब	3063	1172
19.	राजस्थान	3882	1160
20.	तमिलनाडु	5685	1429
21.	उत्तराखंड	864	330
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	5318	1186
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	2230	862
24.	पश्चिम बंगाल	2421	597
25.	कोलकाता टीडी	1226	575
26.	चेन्नै टीडी	1887	714
	कुल	73683	23432

टिप्पणी: गुजरात दूरसंचार सर्किल में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र शामिल हैं।

केरल दूरसंचार सर्किल में लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र शामिल है।

पंजाब दूरसंचार सर्किल में चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र शामिल है।

पूर्वोत्तर-I दूरसंचार सर्किल में मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल में चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र शामिल है।

आंध्र प्रदेश में तेलंगाना राज्य शामिल है।

विवरण-II

दिनांक 31.05.2014 की स्थिति के अनुसार सेवा क्षेत्र-वार टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	टेलीफोनों की संख्या (मिलियन में)	
		बीएसएनएल	अन्य सेवा प्रदाता
1.	आंध्र प्रदेश	11.57	57.65
2.	असम	1.48	14.20
3.	बिहार	3.56	59.43
4.	गुजरात	4.87	51.33
5.	हरियाणा	3.63	17.84
6.	हिमाचल प्रदेश	1.67	5.76
7.	जम्मू और कश्मीर	1.47	6.90
8.	कर्नाटक	8.59	47.98
9.	केरल	9.94	23.57
10.	मध्य प्रदेश	4.98	51.32
11.	महाराष्ट्र	8.15	66.73
12.	पूर्वोत्तर	1.68	8.00
13.	ओडिशा	3.69	22.14
14.	पंजाब	5.43	26.90
15.	राजस्थान	6.80	47.29
16.	तमिलनाडु	12.05	66.79
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	11.10	68.47
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	4.92	44.64
19.	पश्चिम बंगाल	2.53	41.10
20.	कोलकाता	1.68	20.60
21.	दिल्ली	—	46.06
22.	मुम्बई	—	33.87
	अखिल भारतीय	109.79	828.56

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों (पीएसयू) का विनिवेश

58. प्रो. सौगत राय : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विनिवेश के लिए सरकारी क्षेत्र के किसी रुग्ण उपक्रम की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान विनिवेश के लिए कोई लक्ष्य तय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा चिन्हित सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों की मूल्यांकन प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) सरकार चालू वित्तीय वर्ष में एक रुग्ण केन्द्रीय सरकारी उद्यम यथा टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विनिवेश के कार्य में लगी हैं। टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) (स्वामित्व विनिवेश) बिल 2007 को संसद द्वारा वर्ष 2007 में पास किया गया था। बाद में सीसीईए ने दिनांक 16 नवम्बर, 2008 को आउट राइट विक्रय द्वारा टीसीआईएल में विनिवेश का अनुमोदन किया था। तद्नुसार, विनिवेश विभाग ने अंतर — मंत्रालय समूह तथा सलाहकारों की नियुक्ति के साथ विनिवेश प्रक्रिया शुरू कर दी। बोली लगाने वालों द्वारा कार्यस्थल निरीक्षण तथा विहित अध्यवसाय कार्य दिसम्बर, 2012 में पूरा कर लिया गया था। तथापि, यह प्रक्रिया लीजहोल्ड जमीन को पश्चिम बंगाल सरकार को सौंपने के कारण रुक गई है। इसके अलावा कलकत्ता उच्च न्यायालय ने असुरक्षित ऋणदाताओं के देयों का निपटान करने में असफल रहने के कारण टीसीआईएल के विरुद्ध परिसमापन का आदेश जारी किया है। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा दायर स्थगन याचिका को अस्वीकृत कर दिया गया है। चूंकि यह मामला न्याय निर्णय के अधीन है तथा कंपनी परिसमापन के अधीन है इसलिए उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश आने तक विनिवेश का कार्य रुका हुआ है।

(ग) और (घ) अंतरिम बजट 2014-15 में विनिवेश का लक्ष्य 51925 करोड़ रुपए रखा गया है जिसमें केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के विनिवेश के 36925 करोड़ तथा गैर-सरकारी कम्पनियों में सरकारी हिस्से के विनिवेश से 15000 करोड़ रुपए शामिल है।

(ङ) परिसम्पति मूल्यांकन कंपनी को मई, 2012 में नियुक्त किया गया था तथा उन्होंने कार्य-स्थल को निरीक्षण किया था। इसके आगे की कार्यवाई टीसीआईएल द्वारा लीज होल्ड जमीन को अपने पास रखे जाने की प्रास्थिती तथा मामला न्याय निर्णय के अधीन होने के कारण रुकी हुई है।

नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क परियोजना

59. श्री प्रताप सिम्हा :
श्री एंटो एन्टोनी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) झारखंड और कर्नाटक सहित इस परियोजना के अंतर्गत राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है;

(ग) इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितना अनुदान जारी तथा उपयोग किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में सभी ग्राम पंचायतों को एक निर्धारित समय के अंदर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) राष्ट्रीय ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क परियोजना को चलाने के लिए दिनांक 25.02.2012 को एक विशेष प्रयोजन कंपनी (एसपीवी) नामत: भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) को निगमित किया गया है। बीबीएनएल 3 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नामत: बीएसएनएल (भारत संचार निगम लिमिटेड), रेलटेल और पीजीसीआईएल (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) के माध्यम से इस योजना को चलवा रहा है।

अजमेर जिला (राजस्थान) में अरेन ब्लॉक, उत्तर त्रिपुरा जिला (त्रिपुरा) में पानीसागर ब्लॉक, विशाखापट्टनम जिला (आंध्र प्रदेश) में परवदा ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों को शामिल करने के लिए तीन

प्रायोगिक परियोजनाएं पूरी की गई हैं। 15.10.2012 की स्थिति के अनुसार, इन तीन प्रायोगिक परियोजना ब्लॉकों में प्रत्येक 59 ग्राम पंचायतों में 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ उपलब्ध कराया गया है।

लगभग 2,30,000 ग्राम पंचायतों (जीपी) हेतु सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है और 1,81,000 ग्राम पंचायतों के लिए तकनीकी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) और इलैक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन उपकरण के लिए प्रापण आदेशों को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है। तीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नामत: बीएसएनएल, रेलटेल और पीजीसीआईएल को 210 ब्लॉकों में खुदाई और ओएफसी बिछाने का कार्य सौंपा गया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) परियोजना के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) ने अब तक 919 करोड़ रुपए का अनुदान जारी कर दिया है और कार्यान्वयन अभिकरण बीबीएनएल ने परियोजना हेतु अब तक 463 करोड़ रुपए का उपयोग किया है। इस परियोजना को 3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (बीएसएनएल, रेलटेल और पीजीसीआईएल) द्वारा चलाया जा रहा है और उन्हें विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उस स्थान पर सौंपा गया है जहां पर उनके द्वारा यह परियोजना चलाई जानी है। इस परियोजना को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। अत: बीबीएनएल द्वारा राशि के निर्गमन और उपयोग से संबंधित राज्य-वार जानकारी नहीं रखी जा रही है।

(घ) परियोजना को पूरा करने के लिए मार्च, 2017 का लक्ष्य रखा गया है।

चरणबद्ध रूप में कार्य करने का विवरण निम्न प्रकार है:—

- मार्च, 2015 तक 50,000 जीपी (चरण-I)
- मार्च, 2016 तक 100000 जीपी (चरण-II)
- मार्च, 2017 तक शेष जीपी (चरण-III)

(ङ) परियोजना को चलाए जाने के लिए सृजित एक एसपीवी (विशेष प्रयोजन कंपनी) बीबीएनएल ने सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों (बीएसएनएल, रेलटेल और पीजीसीआईएल) के साथ इस आशय के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं कि वे सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए संवृद्धिक ऑप्टिकल फाइबर बिछाने हेतु ग्राउंड पर कार्य संचालित करने के प्रयोजनार्थ अपने मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करें। सार्वजनिक क्षेत्र के इन 3 उपक्रमों ने चरण-I में 100,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं और अन्य चरण बाद में शुरू किए जाएंगे।

विवरण

एनओएफएन के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायतें

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	ग्राम पंचायतों (जीपीएस) की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (संघ राज्यक्षेत्र)	67
2.	आंध्र प्रदेश	21852
3.	अरुणाचल प्रदेश	1756
4.	असम	2205
5.	बिहार	8474
6.	चंडीगढ़ (संघ राज्यक्षेत्र)	17
7.	छत्तीसगढ़	10041
8.	दादरा और नगर हवेली	10
9.	दमन और दीव	14
10.	गुजरात	14141
11.	हरियाणा	6279
12.	हिमाचल प्रदेश	3241
13.	जम्मू और कश्मीर	4146
14.	झारखंड	4464
15.	कर्नाटक	5631
16.	केरल	977
17.	लक्षद्वीप (संघ राज्यक्षेत्र)	10
18.	मध्य प्रदेश	23028
19.	महाराष्ट्र	27971
20.	मणिपुर	3011

1	2	3
21.	मेघालय	1463
22.	मिज़ोरम	776
23.	नागालैंड	1123
24.	ओडिशा	6234
25.	पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	98
26.	पंजाब	12800
27.	राजस्थान	9200
28.	सिक्किम	163
29.	तमिलनाडु	12617
30.	त्रिपुरा	1038
31.	उत्तर प्रदेश	51994
32.	उत्तराखंड	7555
33.	पश्चिम बंगाल	3352
	कुल	245748

डाकघरों के लिए भवन सुविधाएं

60. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के डाकघरों के लिए अपनी भवन सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक सहित देश भर में डाकघरों के लिए अपने रिक्त विभागीय भूखंडों पर भवनों का निर्माण एवं इनकी व्यवस्था करना एक सतत् कार्यकलाप है। सरकार प्राथमिकता सूची तैयार करके अपने भवनों के निर्माण हेतु कार्रवाई कर रही है। जिसके उपरांत 'व्यय वित्त समिति' का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, जो योजना आयोग द्वारा योजनागत लेखाशीर्षों के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों के अध्यधीन होता है।

(ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजनागत स्कीम 'संपदा प्रबंधन' के अधीन 202 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है, जिसमें कर्नाटक में एक डाकघर भवन सहित देश में 75 डाकघर भवनों का निर्माण किया जाएगा।

आपराधिक विधि में सुधार

61. श्री हंसराज गंगाराम अहीर : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विधि आयोग को एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है जिसमें आपराधिक विधि से संबंधित सभी पहलुओं को कवर किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आपराधिक न्याय प्रणाली में मालीमठ समिति तथा माधव मेनन समिति की सिफारिशों को समाविष्ट करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाने हेतु विभिन्न विधियों को संशोधित करने का भी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय से प्राप्त संदर्भ पर, भारत के विधि आयोग ने समीक्षा करने और दंड विधि के सभी पहलुओं का समावेश करने वाली व्यापक रिपोर्ट देने के लिए अनुरोध किया है ताकि विभिन्न विधियों अर्थात् भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 आदि में व्यापक संशोधन किये जा सके।

(ग) से (ङ) इस संबंध में आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस की मांग और आपूर्ति

62. श्री नलीन कुमार कटील : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्राकृतिक गैस की वर्तमान मांग और आपूर्ति कितनी है और देश में अगले दो से तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक गैस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) देश में विद्युत और उर्वरक क्षेत्रों के लिए आवश्यक प्राकृतिक गैस की कुल आवश्यकता और आपूर्ति कितनी है और सरकार द्वारा इन क्षेत्रों के लिए अगले दो से तीन वर्षों में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संभावित कदम क्या हैं; और

(ग) प्राकृतिक गैस के उत्पादन की लागत और जिस दर पर यह इन क्षेत्रों को बेची जाती है का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र से संबंधित कार्य समूह (12वीं पंचवर्षीय योजना) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2013-14 के दौरान, लगभग 371 एमएमएससीएमडी की कुल मांग थी जिसमें से विद्युत और उर्वरक क्षेत्र की मांग क्रमशः 153 एमएमएससीएमडी और 10 एमएमएससीएमडी तक थी। उसी अवधि के दौरान, विद्युत और उर्वरक क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति क्रमशः 29.43 एमएमएससीएमडी (27.26 एमएमएससीएमडी-घरेलू और 2.17 एमएमएससीएमडी-आरएलएनजी) और 42.95 एमएमएससीएमडी (30.30 एमएमएससीएमडी-घरेलू और 12.65 एमएमएससीएमडी-आरएलएनजी) थी।

सरकार ने गैस की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं – नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) दौरों के जरिए घरेलू अन्वेषण और उत्पादन कार्यकलापों में तेजी लाना, शेल गैस नीति फ्रेमवर्क का विकास करना, देश में गैस हाइड्रेट संशोधनों का अनुसंधान और विकास, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का आयात, राष्ट्रपार गैस पाइपलाइनों के अन्वेषण की संभावना, कुछ एनईएलपी ब्लॉकों के अन्वेषण और विकास के लिए स्वीकृति, खनन पट्टा क्षेत्रों में कुछ शर्तों के साथ अन्वेषण और विदेश स्थित तेल और गैस परिसंपत्तियों का अर्जन।

(ग) वर्ष 2012-13 के दौरान, ओएनजीसी (जेवी को छोड़कर) की प्राकृतिक गैस के उत्पादन की लागत 3.62 अमेरिकी डॉलर/एमएमबीटीयू थी। उसी अवधि के दौरान, उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत, मुख्य गैस उत्पादक क्षेत्रों में गैस उत्पादन की औसत लागत 2.19 अमेरिकी डॉलर/एमएमबीटीयू से 4.80 अमेरिकी डॉलर/एमएमबीटीयू तक अलग-अलग थी।

विद्युत और उर्वरक क्षेत्रों को बेंची जा रही विभिन्न प्रकार की गैसों के वर्तमान मूल्य निम्नानुसार हैं:–

क्र. सं.	स्रोत	वर्तमान मूल्य (अमेरिकी डॉलर/एमएमबीटीयू)
1.	एपीएम (नामांकित क्षेत्रों से)	4.2 2.52 (पूर्वोत्तर ग्राहकों के लिए)
2.	गैर-एपीएम (नामांकित क्षेत्र)	4.2 – 5.25
3.	पीएससी व्यवस्था (एनईएलपी, एनईएलपी पूर्व, सीबीएम)	3.5 – 6.87

[हिन्दी]

मोबाइल संचार प्रणाली

63. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की सेल्युलर संचार प्रणाली में बारम्बार 'कॉल-ड्रॉप्स' पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बीएसएनएल द्वारा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए कौन-से कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) गुणवत्ता सेवा मानदंडों का विनिर्धारण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा किया जाता है। जबकि बीएसएनएल सामान्यतः बेंचमार्क मानदंडों को पूरा करता है, वहीं बीएसएनएल की सेवाएं कुछ क्षेत्रों में उच्च मानदंडों के लिए बैंचमार्क सतर से नीचे है। सेवा गुणवत्ता मानदंडों में निहित कमियां नेटवर्क कार्यनिष्पादन, उपभोक्ता सेवा संवितरण, संकुलन, अपर्याप्त नेटवर्क कवरेज आदि के कारण हैं।

बीएसएनएल के लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्रों में औसत कॉल-ड्रॉप दर असम, पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल को छोड़ कर ट्राई द्वारा विनिर्धारित बेंचमार्क की सीमा के भीतर है।

हाल ही के वर्षों में अवसंरचना विस्तारण में अपर्याप्त निवेश, जनशक्ति से संबंधित मामले, विद्युत आपूर्ति आदि की उपलब्धता में कमी बीएसएनएल की सेवाओं में निहित कमियों के मुख्य कारण हैं।

(ग) बीएसएनएल सेवा गुणवत्ता में सुधार लाने, लीगेसी मामलों का निदान करने और नेटवर्क कवरेज का विस्तारण करने के लिए सक्रिय रूप से एक पुनरुद्धार योजना तैयार कर रहा है। बीएसएनएल अपने कार्यनिष्पादन में सुधार हेतु अपने नेटवर्क का अनवरत इष्टतम उपयोग भी कर रहा है।

बीएसएनएल ने सूचित किया है कि वह अपने नेटवर्क में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है ताकि 4804 करोड़ रुपए की लागत से चरण-7 के विस्तारण की योजना के एक भाग के रूप में ग्रामीण और शहरों सहित उनकी लाइसेंसकृत सेवा क्षेत्रों में 2जी और 3जी सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ 24765 बेस ट्रांसीवर स्टेशनों के संस्थापनों के माध्यम से कवरेज क्षमता में वृद्धि की जा सके।

[अनुवाद]

केरल में नए विमानपत्तनों का निर्माण

64. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में कुन्नूर सहित देश में नए विमानपत्तनों के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी परियोजना-वार, राज्य-वार अनुमानित लागत सहित वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस विमानपत्तन का निर्माण कब तक पूरा होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार द्वारा केरल में कुन्नूर सहित देश में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। ऐसे हवाईअड्डों तथा इनकी अनुमानित परियोजना लागत की सूची निम्नानुसार है: गोवा में मोपा (लगभग 3000 करोड़ रुपए), महाराष्ट्र में नवी मुम्बई (लगभग 14500 करोड़ रुपए), शिरडी (लगभग 300 करोड़ रुपए) तथा सिंधुदुर्ग (लगभग 350 करोड़ रुपए), कर्नाटक में बीजापुर (लगभग 150 करोड़ रुपए), गुलबर्गा (प्रारंभिक चरण में 13.78 करोड़ रुपए), हसन (लगभग 313 करोड़ रुपए) तथा शिमोगा (प्रारंभिक चरण में 38.91 करोड़ रुपए), केरल में कुन्नूर (लगभग 1800 करोड़ रुपए) तथा अर्णमुला (लगभग 2000 करोड़ रुपए), पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर (लगभग 480 करोड़ रुपए), मध्य प्रदेश में डाबरा (लगभग 200 करोड़ रुपए), सिक्किम में पेक्योंग (लगभग 309 करोड़ रुपए), पुदुचेरी में करैकल (लगभग 280 करोड़ रुपए) तथा उत्तर प्रदेश में कुशीनगर (लगभग 355 करोड़ रुपए)।

(ग) हवाईअड्डे से संबद्ध प्रवर्तक द्वारा परियोजना विकास के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाती है। हवाईअड्डा परियोजनाआं के निर्माण की समय-सीमा अलग-अलग प्रचालक द्वारा भूमि अधिग्रहण, परियोजना वित्तियन, अनिवार्य क्लीयरेंस की प्राप्ति, वित्तीय क्लोजर, इत्यादि जैसे कई कारकों पर निर्भर होती है।

केन्द्रीय सरकार के रुग्ण उद्यमों में सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाया जाना

65. मोहम्मद फैज़ल : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड इत्यादि सहित केन्द्रीय सरकार के रुग्ण तथा हानि उठा रहे उपक्रमों में कर्मचारियों की वर्तमान सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का कोई विचार या प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने संबद्ध केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के पुनरुद्धार पैकेज के क्रियान्वयन पर सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि के प्रभाव की जांच पर कोई अध्ययन कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) फर्टिलाइजर केमिकल त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी) सहित रुग्ण तथा घाटे में चल रहे केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कर्मचारियों के लिए अधिवार्षिता की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) फर्टिलाइजर एंड केमिकल त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी) की ट्रेड यूनियन तथा आफिसर्स एसोसिएशन सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष

से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की मांग प्रबंधन के साथ विभिन्न बैठकों में करते रहे हैं। एसएसीटी लिमिटेड के कर्मचारियों से सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष करने की याचिकाएं प्राप्त हुई हैं। तथापि, एफएसीटी लिमिटेड सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड को पूरा नहीं करता है।

(घ) और (ङ) लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) को संबंधित केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम के पुनरुद्धार पैकेज का क्रियान्वयन होने पर सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि के प्रभाव की गहराई से जांच करने तथा यह सुनिश्चित करने का निर्देश हुआ है कि रुग्ण/घाटे में चल रहे केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पुनरुद्धार पैकेज की जांच/सिफारिश करते समय अधिवर्षिता की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के मुद्दे को पर्याप्त रूप से ध्यान में रखा गया है ताकि पुनरुद्धार पैकेज में इस संबंध में विशेष सिफारिश की जा सके। अधिवर्षिता की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के बारे में लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड की सिफारिश, यदि हो, तो उसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग को भेजना होता है। लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड को 3 रुग्ण केन्द्रीय सरकारी उद्यमों यथा (i) नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीसी) (ii) नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी) तथा (iii) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) के संदर्भ में आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के लिए पूर्ण प्रस्ताव उनके संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग से प्राप्त हुए हैं। लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड ने इन प्रस्तावों पर विचार किया है तथा एनटीसी और एनपीसीसी में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की सिफारिश की है तथा बीवीएफसीएल में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की सिफारिश नहीं की है।

विमान सेवाएं

66. श्री निशिकांत दुबे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक टियर-II और टियर-III शहरों में पर्याप्त विमान सेवाएं नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे शहरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन शहरों में विमान सेवाएं शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) और (ख) भारत में अनुसूचित वाहकों द्वारा 74 हवाईअड्डों से/के लिए उड़ानों का प्रचालन किया जा रहा है। अनुसूचित घरेलू वाहकों की राज्य-वार हवाई सम्पर्कता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) हवाई परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन के लक्ष्य की प्राप्ति तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों तथा दूरस्थ क्षेत्रों के लिए हवाई परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा देश के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए तथा ऐसे विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर निम्नतम हवाई परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मार्ग संवितरण मार्गनिर्देश (आरडीजी) जारी किए गए हैं।

विवरण

राज्य-वार संपर्कता — ग्रीष्म अनुसूची 2014

क्र. सं.	राज्य	विमान के जुड़ने वाले शहरों के नाम	हवाईअड्डों की संख्या
1	2	3	4
		राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना	हैदराबाद, राजामुंदरी, तिरुपति, विजयवाड़ा, विजाग	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	
3.	असम	डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर	4
4.	बिहार	गया, पटना	2
5.	छत्तीसगढ़	रायपुर	1

1	2	3	4
6.	दिल्ली	दिल्ली	1
7.	गोवा	गोवा	1
8.	गुजरात	अहमदाबाद, भावनगर, भुज, जामनगर पोरबंदर, राजकोट, सूरत, बडोदरा	8
9.	हरियाणा	—	
10.	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला, कुल्लु	2
11.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू, लेह, श्रीनगर, तोईसे	4
12.	झारखंड	रांची	1
13.	कर्नाटक	बेंगलूरु, बेलगांव, हुबली, मंगलौर, मैसूर	5
14.	केरल	कालीकट, कोचीन, त्रिवेन्द्रम	3
15.	मध्य प्रदेश	भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खजुराहो	5
16.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद, मुम्बई, नागपुर, पुणे	4
17.	मणिपुर	इम्फाल	1
18.	मेघालय	शिलॉंग	1
19.	मिज़ोरम	ऐजावल	1
20.	नागालैंड	दीमापुर	1
21.	ओडिशा	भुवनेश्वर	1
22.	पंजाब	अमृतसर, लुधियाना	2
23.	राजस्थान	जयपुर, जोधपुर, उदयपुर	3
24.	सिक्किम	—	
25.	तमिलनाडु	चेन्नई, कोयम्बटूर, मुदैर, त्रिचि, तूतीकोरिन	5
26.	त्रिपुरा	अगरतला	1
27.	उत्तर प्रदेश	आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी	6
28.	उत्तराखंड	देहरादून	1
29.	पश्चिम बंगाल	बागडोगरा, कोलकाता	2

1	2	3	4
		संघ राज्यक्षेत्र	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर	1
2.	लक्षद्वीप	अगाती	1
3.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	1
4.	दादरा और नगर हवेली	—	
5.	दमन और दीव	दीव	1
6.	पुदुचेरी	—	
	अनुसूचित घरेलू वाहकों द्वारा जोड़े गए शहरों की संख्या		74

माननीय अध्यक्ष : सभा मध्याह्न 12 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.22 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

(i) ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान सी-23 का सफल प्रक्षेपण

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यो जैसा कि आप जानते हैं 30 जून, 2014 को हमारे देश में पांच उपग्रहों के साथ ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) सी-23 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया तथा इन उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षाओं में सटीक तरीके से स्थापित किया।

इस प्रक्षेपण के साथ हमारे देश ने एक बार फिर अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपने कौशल और अपार क्षमता का प्रदर्शन किया है। हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि से हम गौरवान्वित हुए हैं।

यह सभा इस मिशन को सफल बनाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की समर्पित टीम को बधाई देती है तथा उनके भावी प्रयासों की सफलता के लिए कामना करती है।

(ii) सुश्री सायना नेहवाल, श्री पंकज आडवाणी और श्री जीतू राय को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए बधाई

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यो, मैं अपनी ओर से और सभा की ओर से कुमारी सायना.नेहवाल को 29 जून, 2014 को सिडनी में स्टार आस्ट्रेलियाई सुपर सीरीज जीतने, श्री पंकज आडवाणी को उसी दिन मिस्र के शर्म एल-शेख में आईबीएसएफ वर्ल्ड 6-रेड स्नूकर चैम्पियनशिप जीतकर बिलियर्ड्स और स्नूकर के लम्बे और छोटे दोनों प्रारूपों में विश्व खिताब जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बनने और श्री जीतू राय को म्यूनिख, जर्मनी और मरिबोर, स्लोवेनिया में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में तीन पदक जीतकर विश्व में नम्बर एक रैंकिंग हासिल करने के लिए बधाई देती हूं।

यह सभा कुमारी सायना नेहवाल, श्री पंकज आडवाणी और श्री जीतू राय को उनकी इन उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए बधाई देती है। यह राष्ट्र के लिए गौरव की बात है और ये हमारे उदीयमान खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे।

अपराह्न 12.03 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय अध्यक्ष : अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। मद संख्या 5 — श्री जी.एम.ए सिद्देश्वरा।

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 43 के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखा विवरण) नियम, 2014 जो 31 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 981(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, *देखिए* संख्या एल.टी. 17/16/14]

(2) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिए* संख्या एल.टी. 18/16/14]

[अनुवाद]

कैप्टन अमरिन्दर सिंह (अमृतसर) : महोदया, आज सुबह हमने नियम 56 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें आवश्यक वस्तुओं विशेष रूप से दालों, सब्जियों, फलों, तेलों और अन्य खाद्य वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों जिसके कारण आम आदमी का बजट बिगड़ गया और गरीब असहाय नजर आए, को नियंत्रित करने में सरकार की असफलता के कारणों के बारे में पूछा गया है।...*(व्यवधान)* हम इसी विषय पर चर्चा करना चाहते थे। अब, जबकि राज्य सभा ने प्रश्न काल को निलम्बित कर दिया है और बढ़ती हुई कीमतों पर चर्चा करने की अनुमति दे दी है, तो इसी मुद्दे पर हम लोक सभा में चर्चा क्यों नहीं कर सकते? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैकैय्या नायडू) : अध्यक्ष महोदया, सरकार की ओर से हम तैयार हैं। आप सभी चर्चा करें, आगे चर्चा करें। आप तय करिए कि कौन से नियम के आधार पर वे नोटिस दें। आप उसे स्वीकार करिए। उस आधार पर हम नियम 193 में प्राइस राइज पर विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कोई छिपाने का विषय है ही नहीं। कौन जिम्मेदार है, पूरे देश को मालूम है। इसलिए यह बहस शुरू करिए, कोई प्राब्लम नहीं है।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : हमने नियम 56 के आधार पर स्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा शुरू करने का अनुरोध किया है। यदि आप हमारे स्थगन प्रस्ताव को अनुमति दें, तो हम इस विषय को उठाने और इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : देखिए, एडजर्नमेंट मोशन और भी आए हैं, मैं कोई भी एडजर्नमेंट मोशन एलाऊ नहीं कर रही हूं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जैसा अभी कहा गया है, अगर सरकार प्राइस राइज पर चर्चा के लिए तैयार है, तो आप नोटिस दे दीजिएगा। जब आप चाहें, दोनों मिलकर तय कर लें, किसी भी समय चर्चा हो सकती है।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : कृपया मुझे बोलने दीजिए। इस विषय पर अलग से चर्चा हो सकती है। चर्चा के लिए मना नहीं किया है, लेकिन स्थगन प्रस्ताव के तहत नहीं होगा। आप नियम 193 में इस चर्चा के लिए नोटिस दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : इसके अलावा अन्य जो विषय इस तरह आएंगे, नियम 193 के अंतर्गत चर्चा की अनुमति दी जाएगी। सौगत राय जी ने भी रेल किराए में वृद्धि पर स्थगन प्रस्ताव दिया है। इस बारे में भी मेरा यही उत्तर है कि यह विषय स्थगन प्रस्ताव के तहत नहीं लिया जाएगा। आप नियम 193 के अंतर्गत इस पर चर्चा कर सकते हैं। वैसे भी रेल बजट पर चर्चा के दौरान आप यह मुद्दा उठा सकते हैं। राजेश रंजन जी ने भी जो मामला उठाया है, बच्चों की मौत के बारे में, हम सब उससे अति सहानुभूति रखते हैं। इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। मैं जानकारी लेकर उस पर भी कभी समय तय करके चर्चा की अनुमति दूंगी। अब हम शून्य काल को लेते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री जयप्रकाश नारायण यादव (बांका) : हमारा भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप भी नियम 193 के तहत चर्चा के लिए नोटिस दे दें।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : उनका भी प्राइस राइज़ के बारे में है, आप भी नियम 193 के तहत चर्चा के लिए नोटिस दे सकते हैं। अब शून्य काल लेंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : लगता है कि आप शून्य काल भी नहीं चाहते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2014 और अध्यादेश के संबंध में वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष : मद संख्या 6 और 7 - श्री राजनाथ सिंह।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2014 पुर:स्थापित करने के लिए सरकार अनुच्छेद 3 के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि विधेयक से संबंधित मद संख्या 6 और 7 तथा अध्यादेश से सम्बन्धित व्याख्यात्मक विवरण जिसे कि इस विधेयक की पुर:स्थापना के समय सभा पटल पर रखा जाना है, को चर्चा के लिए न लिया जाए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.01 बजे

इस समय, श्री राजेश रंजन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

अपराह्न 2.01½ बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : नियम 377 के अंतर्गत जितने भी आपके प्रपोजल हैं, पहले यह होता था कि वे सभी "ले" होते थे लेकिन हमें उन्हें नये मैम्बर्स के लिए पढ़ने का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। आज ऐसा लगता है कि सहयोगी आपको पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, अत: माननीय सदस्य नियम 377 के अंतर्गत आने वाले विषयों को 10 मिनट के अंदर सभा पटल पर रख सकते हैं।

(एक) मध्य प्रदेश में जबलपुर की बरगी बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजनाओं की स्कीम में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश सिंह (सतना) **:** मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बरगी बांध बना हुआ है। उसकी दांयी तट नहर के जबलपुर, कटनी, सतना तथा रीवा जिले की 2,45,010 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई प्रस्तावित है। इससे इन जिलों की 81,53,684 जनसंख्या लाभान्वित होगी। उक्त परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने हेतु राज्य सरकार ने मार्च, 2010 में सभी मानदंडों को पूरा करके केन्द्र सरकार के पास 3797 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता हेतु भेजा है।

तत्कालीन माननीय जल संसाधन मंत्री ने 12 जून, 2013 को इस संदर्भ में मेरे पत्र के जवाब में मुझे सूचित किया कि उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति की 17.02.2010 को आयोजित द्वितीय बैठक में बरगी बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना की स्कीम में शामिल करने के प्रस्ताव की सिफारिश की गई थी। योजना आयोग तथा अन्य मंत्रालयों की टिप्पणियों के अनुपालन को शामिल करने के पश्चात् संशोधित ईएफसी टिप्पणी इस मंत्रालय में प्राप्त हुई थी। इस दौरान वित्त मंत्रालय ने सितंबर, 2012 में कुछ टिप्पणियां की थीं, जो 12वीं योजना में एआईबीपी और राष्ट्रीय परियोजनाओं की स्कीम जारी रखने के मूलत: संबंधित थी। राज्य सरकार ने अपने दिनांक 18.09.2012 के पत्र के माध्यम से योजना आयोग से संशोधित कार्यक्रम सहित बरगी बांध परियोजना के पूर्ण होने की तारीख को मार्च, 2013 से बढ़ाकर मार्च, 2017 करने का भी अनुरोध किया था। योजना आयोग ने भी उपर्युक्त विस्तार को सहमति दे दी थी। ईएफसी ज्ञापन को संशोधित कर दिया गया है और यह मंत्रालय में विचाराधीन है।

मैं जल संसाधन मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना को प्राथमिकता देते हुए अविलंब स्वीकृति देने की कृपा करें।

---

*सभा पटल पर रखे माने गये।

(दो) राजस्थान के जालौर और सिरोही जिलों में सिंचाई और पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए माही बजाज परियोजना को शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर) : माही नदी का पानी जालौर एवं सिरोही जिले को सुलभ कराने की महत्वाकांक्षी योजना 25 साल से कागजों में दफन है। ऐसे में आम जन की उम्मीदें टूटने लगी है। दरअसल वर्ष 1966 में राजस्थान व गुजरात सरकार में हुए समझौते के अनुरूप माही परियोजना की कवायद शुरू हुई। इसके बाद गुजरात सरकार ने राज्य को पानी की आवश्यकता का हवाला देते हुए पानी देने से मना कर दिया। बाद में समझौता कमेटी के जरिए इस पर सहमति बनाने के प्रयास किए गए। वर्ष 1988 में आखिरी बार इस पर मंथन किया गया। इसके बाद से यह परियोजना कागजों में दफन है। परियोजना के तहत बांसवाड़ा से सुरंग बनाकर जालौर, सिरोही, बाड़मेर के अनेक गांवों को माही नदी से पानी दिया जाना था। परियोजना को माही क्रासिंग पर अनास पिक वियर व चैनल के जरिए डूंगरपुर जिल के टिमरूआ गांव के पास माही नदी से शुरू कर जालौर के बागोड़ा उपखंड अंतर्गत विशाला गांव तक प्रस्तावित किया गया था। योजना से समांतर 5.94 लाख एवं 7.11 लाख एकड़ भूमि को लिफ्ट से सिंचित किया जाना प्रस्तावित था। माही बजाज परियोजना की खोसला कमेटी एवं राजस्थान गुजरात समझौते के अनुसार पानी की मात्रा 40 टीएमसी है। निष्पादित अनुबंध के अनुसार गुजरात राज्य के राजस्थान में उपयोग के लिए सहमति प्राप्त करने एवं इस जल उपयोग के माही बेसिन मास्टर प्लॉन का कार्य राज्य सरकार स्तर पर नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली को आबंटित किया हुआ है। जालौर सिरोही जिला में कम वर्षा के चलते एवं गिरते भू-जल स्तर से पूरा जिला डार्क जोन घोषित किया जा चुका है। गिरते भू-जल स्तर के स्थायी समाधन व जिले को हराभरा बनाने के लिए माही बांध की वर्षों पुरानी प्रस्तावित योजना को मूर्त रूप देने की आवश्यकता है। अत: इस क्षेत्र की पेयजल की समस्या को देखते हुए पिछले 25 वर्षों से कागजों में दम तोड़ रही माही-बजाज परियोजना को जल्द से जल्द शुरू किया जाए।

(तीन) केन-बेतवा नदी सम्पर्क परियोजना का कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ छतरपुर में नदियों को आपस में जोड़ने की योजनान्तर्गत के-बेतवा नदियों को जोड़ने का कार्य पहले चरण में शामिल किया गया था। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा भी पूरा सहयोग किया गया था। इस योजना पर कार्य होने से मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के अनेक जिले लाभान्वित होंगे। बुन्देलखंड के वह जिले जो विकास की दौड़ से पिछड़े हैं वह इस योजना पर कार्य होने से आर्थिक प्रगति की तरफ बढ़ेंगे एवं सिंचाई के साघनों का विस्तार होगा।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि नदियों को आपस में जोड़ने की योजनान्तर्गत केन एवं बेतवा नदियों को जोड़ने का कार्य शीघ्र प्रारंभ करवाने का सहयोग करें।

(चार) बरौनी तेलशोधक कारखाने के लिए पुनरुद्धार पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : बरौनी तेलशोधक कारखाने की स्थापना के 50 वर्ष हो चुके हैं। बेगूसराय जिला के पुरखों की दानशीलता, राष्ट्र के प्रति उनकी असीम राष्ट्रभक्ति तथा बिहारी केसरी डॉ. श्री कृष्ण सिंह की राजनीतिक पहल पर काफी जद्दोजहद के बाद इस तेलशोधक कारखाने की स्थापना संभव हुई। असम से कच्चे तेल की आपूर्ति पाइप के द्वारा होती और बरौनी में उसका शोधन होता पर यह रिफायनरी राजनीतिक नक्षत्रों के ग्रहों से निकल नहीं पाया यह बांझ बनकर रह गया। इसके नेप्था से 35 पैट्रोकेमिकल एरोमेटिक कारखाने लगते। सैंकड़ों घरेलू मध्यम दर्ज के उद्योग धंधों का जन्म होता पर कुछ भी नहीं हुआ। इतना ही नहीं असम में एक दूसरी रिफायनरी, दूसरा तेलशोधक कारखाना श्री राजीव गांधी के शासनकाल में स्थापित हुआ। बरौनी तेलशोक कारखाना घोर संकट में फंस गया। बिना इस कारखाने की भविष्य की चिंता किए हुए इसे गोदाम बनाने के सारे प्रयास हुए पर जन दबाव के कारण अभी तक यह नहीं हुआ। इस कारखाने का न तो विस्तार हो रहा है और न इसे जीवित रहने के लिए इसकी शक्ति का उपयोग हो रहा है। अभी हाल में देश के तमाम तेलशोधक कारखानों के विस्तार के लिए 80 हजार करोड़ रुपए की योजना आकार ले रही है पर बरौनी उसमें शामिल नहीं है। बरौनी का पाप यही है कि सार्वजनिक क्षेत्र में वह किसानों की अद्‌भुत दानशीलता की प्रवृति को लेकर है। वह देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू एवं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की आत्मा का स्पंदन है। मैं केन्द्रीय सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से मांग करता हूं कि बरौनी तेलशोधक कारखाने को न्याय मिले एवं उसका विस्तार हो एवं यह कामकाज विकास की उच्चता को प्राप्त करे।

(पांच) झारखंड के पलामू में उत्तर कोयल जलाशय तथा बांध परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : मेरा संसदीय क्षेत्र चतरा सर्वाधिक पिछड़े, गरीब, सूखाग्रस्त तथा अकाल पीड़ित क्षेत्रों में से एक है। पलामू तथा लातेहार जिलों के पॉकी, लेस्लीगंज, लातेहार, बालूमाथ तथा चंदवा प्रखंड तो और भी अधिक पीड़ित तथा प्रभावित है।

पलामू प्रमंडल में उत्तर कोयल जलाशय योजना के अंतर्गत मंडल में जलाशय एवं डैम 1972 से ही निर्माणाधीन है। इस योजना की स्वीकृति के समय संसद में एक प्रश्न के जवाब में 1972 में कहा गया था कि

पलामू में मंडल डैम से 24 मेगावाट जल विद्युत की आपूर्ति तथा औरंगा एवं अमानत नदियों पर जलाशय का निर्माण कराकर लगभग 1,20,000 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था होगी, जो आज तक पूरी नहीं हुई।

मैं भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय से मांग करता हूं कि जलाशय व डैम का कार्य स्वीकृत का पूरा कराए जिससे चतरा के सर्वाधिक पिछड़े पॉकी, मनिका, लेस्लीगंज, बालूमाथ, लातेहार, बरवाडीह मनिका आदि प्रखंडों की जनता को गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने के लिए पर्याप्त पेजयल, सिंचाई एवं उद्योगों को जलापूर्ति हो सके।

(छह) देश में रोजगार सृजन के लिए पशुपालन को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : व्यक्ति हो या परिवार अथवा देश, सभी के लिए आवश्यक है कि वह प्रगति पथ पर निरंतर बढ़ता चले किन्तु यह तभी संभव है जब वह अपने संसाधन, क्षमता और आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्रगति पथ का चयन करे। आज के हिन्दुस्तान का अकुशल श्रमिक वर्ग देश की एक बड़ी सामर्थ्य है, और साधन है नवजवान का पसीना, और जरूरत है अधिक से अधिक रोजगार के अवसर। भारत में पशुपालन हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इसमें देश के असंगठित क्षेत्र के असंख्य लोगों को सदैव रोजगार के अवसर उपलब्ध रहते हैं।

देश के अकुशल श्रमिक वर्ग के लिए पशुपालन व्यवसाय खरा उतरता है। अत: सरकार से मेरा आग्रह है कि देश में पशुपालन व्यवसाय को व्यापक तौर पर प्रोत्साहित करके देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस व्यवसाय की भागीदारी बढ़ाएं तथा सरकार से मेरी मांग है कि वो देश के प्रत्येक जिले में पशु चिकित्सालय का निर्माण कराएं तथा पशुपालन विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु कदम उठाने की कृपा करें।

(सात) उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति में सुधार लाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : भारत के विभिन्न स्थानों पर खासकर उत्तर प्रदेश एवं देश की राजधानी दिल्ली में इस भीषण गर्मी में विद्युत कटौती से देश की जनता में काफी आक्रोश है। वर्तमान समय में जब लोगों को गर्मी से बचने के लिए ज्यादा बिजली की जरूरत है तब मात्र उत्तर प्रदेश की जनता को 4 से 5 घंटे बिजली मिल रही है। उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति के लिए 14 हजार मेगावाट से अधिक विद्युत की आवश्यकता बनी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार का एक तरफ इस विद्युत आपूर्ति को पूरा करने के लिए नयी विद्युत इकाई खोल रही है तो वहीं पर दूसरी तरफ पुरानी विद्युत इकाई बंद हो रही है जिससे उत्तर प्रदेश में विद्युत संकट से निपटने हेतु किये जा रहे प्रयास अपर्याप्त लगते हैं।

अत: भारत सरकार से इस गंभीर मामले को देखते हुए तुरंत कोई प्रभावी उपचारात्मक कदम उठाने की मांग करता हूं।

(आठ) राजस्थान के पाली जिले में स्थित बांदी नदी और नेहडा बांध को प्रदूषण मुक्त बनाने के उपाय किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी.पी. चौधरी (पाली) : मैं सरकार का ध्यान मेरे लोक सभा क्षेत्र पाली की गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र की बादी नदी व नेहडा बांध लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। वर्तमान में स्थिति बद से बदतर हो रही है। पीने के लिए भू-जल का पानी खराब हो चुका है। पानी के किनारे बसने वाले पशु-पक्षी भी नगण्य संख्या में दिखते हैं।

इस संबंध में राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल व केन्द्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल आदि के द्वारा उठाए गए कदम व दिये गए निर्देश नाकाफी रहे हैं। यहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य में भी निरंतर गिरावट देखी जा सकती है। पाली जिले के किसानों की जमीन बंजर होती जा रही है और उस जमीन पर कुछ उग भी जाता है तो उसकी गुणवत्ता बहुत ही निम्न किस्म की होती है, जिसे बाजार भाव में बेचा जाना संभव नहीं होता। राज्य पशुपालन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार यहां विचरण करने वाले पशुओं में बांझपण, प्रतिरोधक क्षमता व उत्पादन क्षमता में कमी आदि दर्ज की गयी है। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण करने के अनेकों उपायों पर विचार किया जा चुका है, जो नाकाफी रहे हैं।

अत: मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार द्वारा विशेषज्ञों की टीम राजस्थान के पाली जिले में भेजी जाए तथा पाली जिले की इस गंभीर समस्या को दूर करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा विस्तृत योजना तैयार की जाये।

(नौ) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीवर लाइन डाले जाने की आवश्यकता

साध्वी निरंजन ज्योति (फतेहपुर) : मेरा संसदीय क्षेत्र फतेहपुर, उत्तर प्रदेश एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक शहर है। यह शहर भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व. वी.पी. सिंह का भी संसदीय क्षेत्र रहा है। इतने प्राचीन एवं सुविख्यात क्षेत्र में अभी तक जनता को सवीर लाइन जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं, जिससे नगरवासियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सीवर लाइन न होने के कारण नगर में जगह-जगह जलभराव एवं गंदगी का अंबार है। गंदगी की वजह से लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है जिसके कारण उन्हें गंभीर बीमारियां लगी हुई हैं। हर वर्ष बरसात में स्थिति और भी बदतर हो जाती है। फतेहपुर शहर में सीवर

लाइन डालने का प्रस्ताव संबंधित मंत्रालय में लंबित है। क्षेत्र के विकास और जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तुरंत सीवर लाइन डालने की आवश्यकता है।

अत: केन्द्र सरकार से विनम्र अनुरोध है कि जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शीघ्रातिशीघ्र सवीर लाइन डालने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करें।

(दस) बिहार के पटना में महात्मा गांधी सेतु तथा मोकामा में राजेन्द्र रोड पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही की अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : नार्थ एवं साउथ बिहार को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु पर तकनीकी खराबी के कारण 10 चक्के एवं उससे ज्यादा चक्के वाले वाहनों की आवाजाही मई, 2014 से बंद कर दी गयी है। महात्मा गांधी सेतु पटना एवं राजेन्द्र सड़क पुल, मोकामा के माध्यम से आम जनता की अधिकतर गतिविधियां संपन्न होती है। छोटे वाहनों से माल मंगाना या भेजना दोनों महंगा पड़ता है। आवाजाही पर रोक लगाने के कारण दवा, खाद्यान्न, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं तथा अन्य प्रकार के माल का आवागमन बाधित हो रहा है और इससे वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ने लगी है। आवागमन पर रोक लगने से आम जनता, ट्रांसपोर्टर एवं शीघ्र नष्ट होने वाली सामग्रियों यथा सब्जी, फल आदि के विक्रेता के साथ-साथ राज्य के उद्यमी एवं व्यवसायी भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं जिसका प्रतिकूल प्रभाव राज्य की आर्थिक एवं औद्योगिक गतिविधियों पर पड़ रहा है।

बिहार राज्य में उपरोक्त पुल पर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने से विकास गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सरकार से अनुरोध है कि महात्मा गांधी सेतु पटना एवं राजेन्द्र सड़क पुल मोकामा पर दस एवं उससें अधिक चक्के के वाहनों के आवागमन को प्रारंभ करने की अनुमति दी जाये।

(ग्यारह) देश के तटीय क्षेत्रों, विशेषकर केरल में रह रहे लोगों को सुरक्षित पेयजल, साफ-सफाई तथा शौचालय सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (वडकरा) : भारत की तटीय सीमा 7517 किमी. लम्बी है और यह नौ राज्यों तथा तीन संघ राज्य क्षेत्रों से लगती है। सागर तट के किनारे लाखों लोग निवास करते हैं जो अपनी आजीविका के लिए समुद्र पर निर्भर हैं। भारत समुद्री उत्पादों के निर्यात के एवज़ में भारी विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है। इन तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जीवन यापन की स्थिति बहुत ही खराब है। मानसून के दौरान, खराब मौसम के कारण गरीब मछुआरे समुद्र में जाने का साहस नहीं कर पाते और इसके फलस्वरूप उन्हें वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

चूंकि, मैं एक तटीय राज्य से आता हूं, अत: मैं समुद्र के किनारे रहने वाले मछुआरों की दशा जानता हूं। केरल की तटीय सीमा 580 किमी. लम्बी है और यहां के लोग सुरक्षित पेयजल की कमी से जूझ रहे हैं। समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों का पानी खारा है और प्रसाधन सुविधाओं की कमी भी सभी तटीय राज्यों की प्रमुख समस्या है।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इन मुद्दों से युद्ध स्तर पर निपटने के लिए रणनीति बनाए।

(बारह) तमिलनाडु में तिरुवन्नमलाई जिले के मिशेनगाम गांव स्थित बीज फार्म को कार्यशील बनाने तथा इस क्षेत्र में एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती आर. वनरोजा (तिरुवन्नमलाई) : वर्ष 1972 में तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई जिले में चेनगाम के निकट मिशेनगाम गांव में वन विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय - राज्य बीज फार्म खोला गया था जो 11500 एकड़ भूमि पर फैला था। बाजरे, चीकू और अमरूद के पौधों की संकर प्रजातियां जो कि बागवानी तकनीकों के माध्यम से उगाई गई थी, किसानों में वितरित की गई थी। इस बीज फार्म में दैनिक मजदूरी के आधार पर लगभग 10,000 श्रमिक कार्य करते थे। अक्षम प्रशासन के कारण, बीज फार्म में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या घटकर 2,000 रह गई और अन्तत: हानि के कारण यह फार्म वर्ष 2002 में बंद हो गया। अब 10,000 से अधिक श्रमिक बेरोजगार हैं। इस बीज फार्म में 110 ट्यूबवैल थे जो अच्छी तरह कार्य कर रहे थे। यह अत्यधिक चिन्ता का विषय है कि यह बीज फार्म बंद हो गया है। अब यह बीज फार्म टैफकोर्न (तमिलनाडु वनारोपण कॉर्पोरेशन लिमिटेड) को सौंप दिया गया है और यहां पर नीलगिरी के पौधे रोप दिए गए हैं। अभी भी यहां पर 110 ट्यूबवैल हैं जो इस क्षेत्र के किसानों के लिए वरदान हैं, बीज फार्म में अभी कार्य नहीं हो रहा है। नीलगिरी के पौधों का उगना अलग से चिन्ता का विषय है। मैं जोर देकर केन्द्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि किसानों को मानकीकृत बीज उपलब्ध कराने के लिए बीज फार्म को चलाने के लिए लगभग 11500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाए। इसके अतिरिक्त, यह फार्म 10,000 से अधिक श्रमिकों के लिए रोजगार का साधन भी होगा। इसके अलावा, चूंकि तिरुवन्नमलाई जिला कृषि गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है, अत: लोगों के लाभ के लिए केन्द्र सरकार को कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए अपने स्वामित्व में आने वाली भूमि में से जमीन आबंटित करने के लिए आगे आना चाहिए।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि तिरुवन्नमलाई के मिशेनगाम गांव के बीज फार्म को चालू किया जाए ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके और हजारों श्रमिकों को रोजगार मिल सके। मैं यह भी अनुरोध करती हूं कि कृषि के छात्रों के लाभ के लिए केन्द्र सरकार इस क्षेत्र में एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि प्रदान की जाए।

(तेरह) खाद्यान्नों, उर्वरकों, चीनी तथा सीमेंट की पैकिंग के लिए जूट बैग के कोटे को बहाल किए जाने की आवश्यकता

प्रो. सौगत राय (दमदम) : जूट पैकिंग को अनिवार्य बनाने वाला आदेश केन्द्र सरकार वर्ष 1987 में लेकर आई थी। इसमें खाद्य पदार्थों, उर्वरकों, चीनी और सीमेंट की पैकिंग के लिए जूट बैग के निर्धारित कोटे का प्रावधान किया था। संप्रग-II सरकार ने जूट पैकिंग के आदेश को निष्प्रभावी कर दिया और विभिन्न उद्योगों में जूट बैग के कोटे में कमी कर दी। इससे जूट उद्योग पर संकट आ गया जो कि पश्चिम बंगाल में दो लाख लोगों को रोजगार देता है। पश्चिम बंगाल में मिलों में जूट का भारी स्टॉक पड़ा है तथा चार जूट मिलें बंद हो चुकी हैं। केन्द्र सरकार और वस्त्र मंत्रालय को पहले की तरह ही जूट बैग के कोटे को तुरंत बहाल कर देना चाहिए।

(चौदह) ओडिशा में पारादीप स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी द्वारा महानदी के संतारा क्रीक में औद्योगिक अपशिष्टों के प्रवाह को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. कुलमणि सामल (जगतसिंहपुर) : इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओआईसीएल) ने पारादीप में महानदी के संतारा क्रीक और अतहरबांकी क्रीक के किनारे-किनारे 3344 एकड़ से अधिक भूमि पर अपनी रिफाइनरी स्थापित की थी। इन क्रीकों के किनारे रहने वाले लोग अधिकतर मछुआरे और कृषक समुदाय से हैं। वे मत्स्यपालन या खेती करने के लिए मुख्य रूप से जल संसाधनों पर निर्भर हैं। पता चला है कि पारादीप स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी पिछले दो माह से अधिक समय से खतरनाक अपशिष्ट नजदीकी संतारा क्रीक में डाल रही है। परिणामस्वरूप, जहां पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तेल शोधन परियोजना स्थित है, वहां पर मृत मछलियों और जलीय प्रजातियां जल स्रोतों और क्रीकों के नजदीक तैरती हुई नजर आ रही हैं। जनता के प्रतिनिधियों और इस क्षेत्र के स्थानीय लोगों की बहुत सी अपीलों के बावजूद आईओसीएल प्राधिकरण जल स्रोतों में छोड़े जा रहे अपशिष्टों को नियंत्रित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसके कारण, इन जल स्रोतों पर निर्भर मछुआरा समुदाय को अपनी आजीविका को बचाए रखने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यही स्थिति किसानों की भी है जो आशंकित हैं कि इस कारण उनके खेतों की उर्वरता घट सकती है और इससे उत्पादन स्तर प्रभावित हो सकता है। यह उल्लेखनीय है कि पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर), नीति 2007 का लक्ष्य इस क्षेत्र में संतुलन लाने और सतत् विकास के लिए एकीकृत और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से औद्योगिक समूहों का विकास करना है। परन्तु पारादीप स्थित आईओसीएल जो कि सर्वाधिक प्रतिष्ठित और पूंजी आधारित परियोजनाओं में से है, पीसीपीआईआर नीति, 2007 के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा है। अत: मैं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान इस मामले की जांच करने तथा इस क्षेत्र के गरीब मछुआरों और कृषक समुदाय के हित को सुरक्षित करने के लिए उचित कार्रवाई करने हेतु आकर्षित करना चाहता हूं।

(पंद्रह) महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां पर्याप्त पर्यटन सुविधाओं को विकसित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : महाराष्ट्र के मेरे संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद को 52 गेटो का शहर कहा जाता है यहां प्राचीन इमारते एवं ऐतिहासिक धरोहरें अपने अटूट इतिहास का बयान कर रही है। मेरे इस संसदीय क्षेत्र में हिन्दू, मुस्लिम एवं बौद्ध संस्कृति का अनुपम समन्वय देखने को मिलता है। अजन्ता एवं एलौरा की गुफाएं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जायकाबाडी डैम और बीबी का मकबरा, औरंगजेब की कब्र इस जिले में स्थित हैं, गुफाओं में बौद्ध कलाकृति एवं अद्‌भुत गौतम बुद्ध की मूर्तियों अहिंसा एवं शांति का संदेश दे रही है। दौलतबाद का देवगिरी किला, हिन्दुओं के कई प्रसिद्ध मंदिर जिसमें, भदरा मारूति मंदिर दुलीभंजन के भगवान दत्त का मंदिर एवं 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग इसी औरंगाबाद में स्थित है। इन ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए विश्व भर के पर्यटक आते हैं, परन्तु यहां पर पहुंचने के लिए उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। औरंगाबाद के ऐतिहासिक धरोहरों की महत्ता को देखते हुए यहां पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यहां पर आने जाने के लिए मात्र एक दो रेलगाड़ियां हैं। औरंगाबाद को वायुयान सेवा से कई अन्य शहरों से जोड़ा जाना चाहिए और पर्यटन की सुविधा को बढ़ाना चाहिए। पर्यटन की आवश्यक सुविधा यहां पर न के बराबर है।

पूरे भारत में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पर्यटन के विकास की काफी संभावनाएं हैं और काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है। अत: सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पर्यटन की संभावनाओं का भरपूर उपयोग किया जाये।

(सोलह) केरल में पालक्काड़ रेलवे जंक्शन के पास स्थित समपार पर एक सड़क उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम.बी. राजेश (पालक्काड़) : मैं अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से सम्बन्धित अति महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान एक बार फिर से आकर्षित करना चाहता हूं। नडक्कावऊ रेलवे द्वार, एलसी नं. 160/टी/स्पेशल क्लास/533/8-10 जो कि पालक्काड़ रेलवे जंक्शन के बहुत नजदीक है, इस क्षेत्र के लोगों के लिए कठिनाईयां और परेशानियां उत्पन्न कर रहा है। यह द्वार पालक्काड़ – मलमपुजा रोड पर स्थित है। मलमपुजा राज्य का प्रमुख पर्यटन केन्द्र है और प्रतिदिन हजारों वाहन इस सड़क पर से गुजरते हैं। चूंकि वाहनों की इस सड़क पर से गुजरने की दर बहुत अधिक है, अत: द्वार के बार-बार बंद होने से समस्याएं खड़ी हो रही हैं और इस क्षेत्र के लोगों के दैनिक जीवन में बाधा उत्पन्न हो रही है। केवल यही नहीं, केवल पिछले तीन वर्षों में ही एक दर्जन रोगी इसी रास्ते पर मर चुके हैं क्योंकि द्वार बंद होने के कारण उनहें समय पर उपचार नहीं मिल सका। पिछले महीने ही एक और मौत हुई है। बंद द्वार के कारण रोगियों की लगातार मृत्यु होने के कारण बड़े पैमाने पर जनांदोलन हो रहा है। इस द्वार के बार-बार बंद होने के कारण बहुत से छात्रों की परीक्षाएं, साक्षात्कार इत्यादि छूट चुके हैं। इस द्वार के मुख्य रेलवे जंक्शनों के निकट होने के कारण द्वार को बार-बार बंद करना पड़ता है। स्थिति की गंभीरता के दृष्टिगत, मेरा सकरार से अनुरोध है कि अविलंब सड़क उपरिपुल के निर्माण के लिए त्वरित कार्रवाई करे।

(सत्रह) महाराष्ट्र के पुणे में स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड्कवासला के परिसर में पेड़ों की कटाई को रोके जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : मैं सरकार का ध्यान पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी द्वारा चारदीवारी के निर्माण और अपने परिसर में 45 एकड़ किनारे-किनारे सड़क के निर्माण के लिए 1774 पेड़ों को अवैध रूप से काटने की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। इसमें चौंकाने वाली बात जो सामने आयी वह यह है कि वन विभाग में केवल 739 अधिसूचित पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी और शेष 1035 गैर-अधिसूचित पेड़ों को काटने की कोई औपचारिक अनुमति अकादमी के पास नहीं थी। उत्तमनगर और कुडजे गांवों के बीच पेड़ों को काटने का काम पूरी प्रगति पर था। चौंकाने वाली बात यह है कि चारदीवारी और परिफेरल सड़क के निर्माण में बाधा उपस्थित नहीं करने वाले कुछ पेड़ों को भी काट डाला गया। एनडीए परिसर में अवैध वृक्षों की कटाई से न केवल इसके आस-पास का वातावरण प्रभावित होगा बल्कि बड़े पैमान पर लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए पेड़ों को काटने के स्थान पर हाईटेक मशीनों का उपयोग करके पेड़ों को जड़ों से उखाड़कर कहीं दूसरी जगह पर रोप देना चाहिए। अत: मेरा पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री से अनुरोध है कि इस मामले की जांच करे तथा सार्वजनिक हित में शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करें।

(अठारह) बिहार के भागलपुर में रेल मंडल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र भागलपुर में रेल सुविधाओं सहित रेलवे के परिचालन आदि की समस्या को देखते हुए वर्ष 2009 के अनुपूरक बजट में तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा भागलपुर को रेल मंडल बनाने की घोषणा की गई थी लेकिन अभी तक रेलवे द्वारा भागलपुर को रेल मंडल बनाने की दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। रेलवे की तरफ से पूर्व रेलवे को अभी कोई सूचना नहीं दी गई है जिससे रेल मंडल की स्थापना में सकारात्मक स्थिति स्पष्ट हो सके। स्थानीय रेल यात्रियों को आरक्षण की सुविधा तथा रेलवे के परिचालन में हो रही कठिनाई के चलते घोर निराशा का सामना करना पड़ रहा है।

अत: से सरकार से मेरा आग्रह है कि भागलपुर जो कि पूर्व से ही रेल मंडल घोषित है इसकी स्थापना यथाशीघ्र किये जाने के संबंध में रेलवे अधिकारियों को निर्देशित करने का कार्य करें जिससे स्थानीय रेल यात्रियों तथा रेल परिचालन के वर्तमान समस्या को दूर किया जा सके।

अपराह्न 2.02 बजे

इस समय श्री राजेश रंजन और कुछ माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट आप मेरी बात सुनिये, आप महंगाई की बात उठाना चाहते हैं जैसा मैं समझ रही हूं। सुबह एडजर्नमेंट मोशन पर मेरी रुलिंग आ गयी है, आप वास्तव में अगर उस पर चर्चा करना चाहते हैं तो नियम 193 के अंतर्गत नोटिसेज मेरे पास आई हैं, आप चाहें तो मैं अभी नियम 193 के तहत चर्चा शुरू करवा सकती हूं।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : कोई भी एक व्यक्ति बोलेगा तो अच्छा रहेगा। मैंने माननीय मल्लिकार्जुन जी को कहा है। कोई भी एक व्यक्ति बोले।

[अनुवाद]

कैप्टन अमरिन्दर सिंह (अमृतसर) : महोदया, हम चाहते हैं कि हमारे स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : क्या?

कैप्टन अमरिन्दर सिंह : महोदया, मैं इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए खड़े होकर बोल रहा हूं कि मैंने नियम 56 के तहत स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया था। मैंने इसके लिए अनुरोध किया है। अत: मैं इस विषय पर बोलने की अनुमति चाहता हूं। हमें नियम 193 में क्यों जाना चाहिए? यह नियम 193 के तहत केवल एक वक्तव्य है। हम सरकार से इसका उत्तर चाहते हैं। हम इस मुद्दे पर सभा में मत-विभाजन चाहते हैं क्योंकि यह मुद्दा देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। लोग भूखे मर रहे हैं और खाद्य वस्तुओं की कीमतें भयानक स्तर तक बढ़ रही हैं। आप किस प्रकार से सोच भी सकते हैं कि आम आदमी जीवित रह सकता है? क्या यह चर्चा अधिक महत्वपूर्ण है अथवा अन्य उन चीजों पर प्रश्न तथा चर्चा करना अधिक महत्वपूर्ण हैं जिन पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं जैसे कि एयर इंडिया ओवरड्राफ्ट इत्यादि? ये वे चीजें नहीं हैं कि हम. ..

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट आप रुकिये। आपने जो नोटिस दिया है वह एडजर्नमेंट मोशन के लिए दिया है वह मैंने अलाउ नहीं किया है। आप लोग प्राइस-राइज पार जो चर्चा चाहते हैं, गरीबों की बात उठाना चाहते हैं, उस पर मैं आपसे सहमत हूं और इसलिए वही बात आप यहां नियम 193 के अंतर्गत कर सकते हैं। नियम 193 के अंतर्गत नोटिसेज आई हुई हैं, मैं उन्हें अलाउ कर सकती हूं।

[अनुवाद]

यह आप नहीं चाहते...

...*(व्यवधान)*

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : महोदया, हम मत-विभाजन चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : नहीं, नहीं मुझे खेद है। नियम 193 के अंतर्गत हम चर्चा के लिए तैयार है। हम तैयार हैं। मैं चर्चा की अनुमति दे रही हूं। अब एडजर्नमेंट मोशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर आप कैसे चर्चा कर सकते हैं।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदया, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। विषय यह है कि जब राज्य सभा में अलाउ किया गया है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : सवाल राज्य सभा का यहां नहीं है आप इसे समझिये। आप सीनियर मैम्बर हैं, दूसरे हाउस में क्या चल रहा है वह यहां नहीं आ सकता है, यहां की बात करो। हम चर्चा करवाने के लिए तैयार हैं। मुझे खेद है, इसका मतलब है कि आप गरीबों की बात नहीं करना चाहते। मैं नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करवाने के लिए तैयार हूं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैय्या नायडू) : माननीय अध्यक्ष महोदया, विपक्ष तथा हमारे अन्य मित्र स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से बढ़ती हुई कीमतों का मुद्दा उठाना चाहते थे जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है।. ..*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदया ने आदेश दिया है कि स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं है।...*(व्यवधान)* इसके पश्चात् कुछ माननीय सदस्यों ने बढ़ती हुई कीमतों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नियम 193 के तहत नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)* यदि अध्यक्ष महोदया नियम 193 के अंतर्गत चर्चा की अनुमति देती हैं, जहां, तक सरकार का संबंध है, संसदीय प्रक्रिया की कार्यशैली की मेरी समझ के अनुसार तत्काल चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है और सरकार उस पर तत्काल चर्चा के लिए तैयार है, अब स्वयं...*(व्यवधान)* अध्यक्षपीठ को यह निर्णय करना होता है कि ऐसा किस नियम के तहत किया जाए...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : यह पहले ही निश्चित किया जा चुका है। मुझे खेद है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मेरे पास दो प्रकार के मोशन थे, मैंने एडजर्नमेंट मोशन पर डिसीज़न दे दिया है। 193 का नोटिस है। *[अनुवाद]* मैं उन नोटिसों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : जब मैं रूलिंग दे चुकी हूं, तो आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। *[अनुवाद]* जब मैं इस विषय पर रूलिंग दे चुकी हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैं रूलिंग दे चुकी हूं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : मैं नहीं कह रही हूं, नहीं। कृपया समझिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यो, मुझे नियम 193 के तहत अल्पावधि चर्चा के लिए छह नोटिस मिले हैं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.06 बजे

इस समय, श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा, श्री राजेश रंजन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

माननीय अध्यक्ष : यह सर्वश्री पी. करुणाकरन, जय प्रकाश नारायण यादव, शैलेश कुमार, भर्तृहरि महताब, शंकर प्रसाद दत्ता और भगवंत मान की ओर से बढ़ती कीमतों के संबंध में है।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.07 बजे

इस समय, श्री भगवंत मान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी. करुणाकरन द्वारा सभा पटल पर रखा गया नोटिस सबसे पहले प्राप्त हुआ है। अत:, मैं श्री करुणाकरन से बढ़ती हुई कीमतों पर चर्चा प्रारंभ करने का आग्रह करती हूं।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मैं इस पर चर्चा करने का समय दे रही हूं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.08 बजे

इस समय, श्री एम.आई. शनवास और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

माननीय अध्यक्ष : अब, श्री करुणाकरन, क्या वे उपस्थित हैं?

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : नहीं, यह इसे करने का तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मुझे खेद है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अगर आप डिस्कशन नहीं चाहते हैं, तो ठीक है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : सभा कल 8 जुलाई, 2014 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.09 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 8 जुलाई, 2014/17 आषाढ़, 1936 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री हंसराज गंगाराम अहीर	1
2.	श्रीमती सुप्रिया सुले	2
3.	श्री आर. ध्रुवनारायण	3
4.	श्री एम.बी. राजेश श्रीमती के. मरगथम	4
5.	श्री निशिकांत दुबे	5
6.	श्री नलीन कुमार कटील कुमारी शोभा कारान्दलाजे	6
7.	श्रीमती कृष्णा राज	7
8.	श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव श्री धनंजय महाडीक	8
9.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	9
10.	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन श्री सुल्तान अहमद	10
11.	योगी आदित्यनाथ श्री सुनील कुमार सिंह	11
12.	श्री बी.वी. नाईक प्रो. सौगत राय	12
13.	श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान	13
14.	श्री राजीव सातव	14
15.	मोहम्मद फैज़ल	15
16.	एडवोकेट जोएस जॉर्ज श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	16
17.	श्री प्रताप सिम्हा	17
18.	श्री पी.के. बिजू	18
19.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	19
20.	श्री एंटो एन्टोनी	20

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री हंसराज गंगाराम अहीर	10, 32, 52, 61
2.	श्री पी.के. बिजू	9, 3
3.	श्री आर. ध्रुबनारायण	5, 27, 47, 60
4.	श्री निशिकान्त दुबे	17, 38, 54, 66
5.	मोहम्मद फैज़ल	7, 29, 48, 65
6.	कुमारी शोभा कारान्दलाजे	19, 36, 40, 54
7.	श्री नलीन कुमार कटील	8, 30, 49, 62
8.	श्री धनंजय महाडीक	16, 18, 37, 39
9.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	20, 41, 55, 63
10.	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	13, 34, 56, 64
11.	श्री बी.वी. नाईक	14, 22, 35, 51
12.	श्री देवजी एम. पटेल	2, 6, 28
13.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	24, 41
14.	श्री ए.टी. नाना पाटील	1, 22
15.	श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान	23, 44, 57
16.	श्री एम.बी. राजेश	9, 31, 50
17.	प्रो. सौगत राय	25, 45, 58
18.	श्री ए. सम्पत	3, 9

1	2	3
19.	श्री राजीव सातव	16, 18, 37, 39
20.	श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव	16, 18, 37, 39
21.	श्री एंटो एन्टोनी	12, 33, 59
22.	श्री प्रताप सिम्हा	15, 36, 54, 59
23.	श्री सुनील कुमार सिंह	11, 43
24.	श्रीमती सुप्रिया सुले	16, 37, 53
25.	श्री के.सी. वेणुगोपाल	4, 26
26.	योगी आदित्यनाथ	21, 22, 42, 46

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	4, 8, 10, 20
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	5, 6, 17
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	9
श्रम और रोजगार	:	2, 7, 14, 16, 19
विधि और न्याय	:	11, 18
खान	:	3
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	1, 12, 13, 15
इस्पात	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	8, 9, 12, 16, 22, 24, 34, 46, 48, 49, 52, 64, 66
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	2, 3, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 27, 28, 30, 32, 36, 56, 57, 59, 60, 63
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	7, 31, 38, 44, 54, 58, 65
श्रम और रोजगार	:	4, 20, 21, 33, 35, 37, 41, 50, 53
विधि और न्याय	:	5, 18, 25, 42, 43, 45, 47, 61
खान	:	17, 51, 55
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	1, 19, 23, 26, 39, 40, 62
इस्पात	:	

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैः

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडिया ऑफसैट प्रैस, ए-1 मायापुरी इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज 1, नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित।